भारत

के

नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए

संख्या 1

(राजस्व प्राप्तियां)

==================================

हिमाचल प्रदेश सरकार

==================================

भारत

के

नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए

संख्या 1

(राजस्व प्राप्तियां)

हिमाचल प्रदेश सरकार

विषय सूची

		परिच्छेद	पृष्ठ
	प्रस्तावनात्मक टिप्पणियां		(v)
	विहंगावलोकन		(vii)
पहला अध्याय	**सामान्य**		
	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	3
	बजट आकलनों एवं वास्तविक आंकड़ों में भिन्नताएं	1.2	7
	वसूलियों का विश्लेषण	1.3	8
	संग्रहण लागत	1.4	9
	बकाया राजस्व	1.5	10
	बकाया निर्धारण	1.6	13
	अनिर्णीत अपीलें	1.7	13
	कर/शुल्क की धोखाधड़ी व अपवंचन	1.8	14
	राजस्व को बट्टे खाते डालना	1.9	15
	लेखापरीक्षा परिणाम	1.10	15
	बकाया पड़े निरीक्षण प्रतिवेदन व लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	1.11	15
	विभागीय आंकड़ों का मिलान	1.12	17
दूसरा अध्याय	**बिक्री कर**		
	लेखापरीक्षा परिणाम	2.1	21
	कुल बिक्री के गलत निर्धारण के कारण कर का अल्पोद्ग्रहण	2.2	21
	क्रय कर का अनुद्ग्रहण	2.3	23
	व्यापारियों का अपंजीकरण	2.4	24
	बिक्रियां छिपाना	2.5	24
	कर का अवनिर्धारण	2.6	26
	रियायत वापस न लेने के कारण कर का अल्पोद्ग्रहण	2.7	27
	क्रय छिपाने के कारण कर का अनुद्ग्रहण	2.8	29
	गलत दरें लागू करने के कारण कर का अल्पोद्ग्रहण	2.9	30

		परिच्छेद	पृष्ठ
तीसरा अध्याय	**राज्य आबकारी**		
	लेखापरीक्षा परिणाम	3.1	35
	स्पिरिट का कम उत्पादन	3.2	35
	पुनरासवन हानियां	3.3	37
	निर्यात शुल्क का अल्पोद्ग्रहण	3.4	37
चौथा अध्याय	**वाहन, माल तथा यात्री कर**		
	लेखापरीक्षा परिणाम	4.1	41
	यात्री एवं माल कराधान अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारण	4.2	41
	एक मुश्त सांकेतिक कर का अवनिर्धारण/ अल्प निर्धारण	4.3	51
पांचवां अध्याय	**वन प्राप्तियां**		
	लेखापरीक्षा परिणाम	5.1	55
	निम्न दरें लागू करने के कारण रॉयल्टी की अल्प वसूली	5.2	55
	ब्याज तथा शास्ति का अनुद्ग्रहण	5.3	56
	रॉयल्टी की वसूली न होना	5.4	58
	वृक्षों के आयतन के गलत निर्धारण के कारण राजस्व की वसूली न होना	5.5	59
	समयवृद्धि शुल्क का अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण	5.6	59
	सड़क संरेखण में आने वाले हरे वृक्षों की रॉयल्टी की वसूली न होना	5.7	61
	वृक्षों की सघनता के गलत निर्धारण के कारण रॉयल्टी की अल्पवसूली	5.8	61
	हिमपात से क्षतिग्रस्त वृक्षों के निपटान न करने के कारण राजस्व का अवरोधन	5.9	63
	रज्जु मार्ग संरेखण में आने वाले वृक्षों तथा अवैधरुप से गिराए गए वृक्षों का मूल्य वसूल न करना	5.10	64
	बिक्री कर की अल्प वसूली	5.11	65
	रॉयल्टी की अल्प वसूली	5.12	66
	रॉयल्टी की गलत दरें लागू करना	5.13	66

		परिच्छेद	पृष्ठ
	ईंधनकाष्ठ पर रॉयल्टी की वसूली न करना	5.14	67
	उपयुक्त वृक्षों पर रॉयल्टी की अल्प वसूली	5.15	68
	गलत दरें लागू करने से मूल्य की अल्प वसूली	5.16	69
छठा अध्याय	**अन्य कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां**		
	क-विलास कर (होटलों तथा आवास गृहों में)		
	लेखापरीक्षा परिणाम	6.1	73
	होटलों तथा आवास गृहों में विलास कर का निर्धारण तथा संग्रहण	6.2	73
	ख-भू-राजस्व		
	लेखापरीक्षा परिणाम	6.3	85
	राजस्व की वसूली न होना	6.4	85
	ग-स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस		
	लेखापरीक्षा परिणाम	6.5	87
	स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का अल्प निर्धारण	6.6	87
	स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण	6.7	88

प्रस्तावनात्मक टिप्पणियां

31 मार्च 1997 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति और सेवा-शर्त) के अधिनियम, 1971 की धारा-16 के अधीन की जाती है। यह प्रतिवेदन राज्य के बिक्री कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन कर, यात्री तथा माल कर, वन प्राप्तियों तथा अन्य कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 1996-97 के दौरान अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में ध्यान में आये मामले उल्लिखित हैं। इसके अतिरिक्त वे मामले भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए किन्तु पिछले वर्षों के प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके थे।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 5.72 करोड़ रु0 के कर प्रभाव से अन्त:ग्रस्त 30 परिच्छेद तथा 2 समीक्षाएं समाविष्ट हैं। कुछ मुख्य निष्कर्ष नीचे उल्लिखित हैं:-

(परिच्छेद 1.10)

1. सामान्य

(i) सरकार की वर्ष 1996-97 की कुल प्राप्तियां 1992.02 करोड़ रुपये थीं। वर्ष के दौरान सरकार की राजस्व प्राप्तियां 558.97 करोड़ रुपये थीं जिनमें से 412.11 करोड़ रुपये कर राजस्व तथा 146.86 करोड़ रुपये कर-भिन्न राजस्व का निरुपण करती थीं। सरकार ने विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से के रुप में 440.23 करोड़ रुपये तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान के रुप में 992.82 करोड़ रुपये भी प्राप्त किए। कर राजस्व प्राप्तियों में राज्य आबकारी (132.46 करोड़ रुपये), बिक्री कर (146.26 करोड़ रुपये) और माल तथा यात्री कर (65.26 करोड़ रुपये) प्रमुख थे तथा कर-भिन्न राजस्व के अन्तर्गत मुख्य प्राप्तियां वानिकी तथा वन्य प्राणियों (41.19 करोड़ रुपये) से थीं।

(परिच्छेद 1.1)

(ii) 31 मार्च 1997 को राजस्व के मुख्य शीर्षो के अंतर्गत राजस्व की बकाया राशियां 155.48 करोड़ रुपये थीं जिनमें 81.61 करोड़ रुपये वन कृषि एवं संरक्षण विभाग से सम्बन्धित थे।

(परिच्छेद 1.5)

(iii) वर्ष 1996-97 की समाप्ति पर बिक्री कर तथा यात्री एवं माल कर के निर्धारण के 60,652 मामले अंतिम रुप दिये जाने के लिए लंबित थे।

(परिच्छेद 1.6)

(iv) वर्ष 1996-97 के दौरान आबकारी एवं कराधान, परिवहन, वन तथा अन्य विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच से 778 मामलों में 16.89 करोड़ रुपये के राजस्व के अवनिर्धारण/अल्पोद्ग्रहण का पता चला। सम्बद्ध विभागों ने 8.09 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण आदि स्वीकार किए।

(परिच्छेद 1.10)

(v) 31 दिसम्बर 1996 तक जारी 130.76 करोड़ रुपये की राशि से युक्त 7,206 आपत्तियों वाले 2502 लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन 30 जून 1997 तक नहीं निपटाए गए थे।

(परिच्छेद 1.11)

2. **बिक्री कर**

(i) वर्ष 1991-92 तथा 1993-94 के मध्य तीन व्यापारियों की कुल बिक्री के गलत निर्धारण के कारण 14.20 लाख रु0 के कर तथा ब्याज का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 2.2)

(ii) तीन मामलों में 6.14 लाख रु0 के ब्याज सहित खरीद कर का उद्ग्रहण नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 2.3.)

3. **राज्य आबकारी**

(i) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान दो आसवनियों में यवरस तथा शीरा से स्पिरिट के उत्पादन के निर्धारित मानकों को लागू करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरुप सरकार 52.94 लाख रु0 के आबकारी शुल्क से वंचित रही।

(परिच्छेद 3.2)

(ii) एक मद्यनिर्माणशाला तथा एक बोतल भरने के संयंत्र में वर्ष 1995-96 के दौरान पुनरासवन की प्रक्रिया में स्पिरिट की क्षति पर उद्ग्राह्य 9.32 लाख रु0 के आबकारी शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया गया।

(परिच्छेद 3.3)

(iii) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान राज्य से बाहर निर्यात किए गए यवरस स्पिरिट पर आयात शुल्क की सही दर के उद्ग्रहरण में विभाग की विफलता से 7.59 लाख रु0 की अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 3.4)

4. **वाहन, माल तथा यात्री कर**

"यात्री तथा माल कराधान अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारण" पर समीक्षा निम्नलिखित तथ्यों को इंगित करती है:-

(i) वर्ष 1991-92 तथा 1995-96 की मध्यावधि की 7,298 मासिक विवरणियों को दायर करने में विफलता के लिए 7.29 लाख रु0 की न्यूनतम शास्ति वाहन मालिकों से वसूली की जा सकती थी।

[परिच्देद 4.2.6(क)]

(ii) वर्ष 1991-92 से 1995-96 की अवधि हेतु आबकारी एवं कराधान विभाग के पास 531 टैक्सियों तथा 323 माल वाहनों के पंजीकरण न करवाने से यात्री कर एवं माल कर के क्रमशः 8.99 लाख रु0 तथा 5.69 लाख रु0 की वसूल नहीं हो सकी। हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत पंजीकरण की विफलता से 4.27 लाख 0 की न्यूनतम शास्ति भी उद्गृहित नहीं की जा सकी।

(परिच्छेद 4.2.7)

(iii) 15 अक्तूबर 1994 तथा मार्च 1995 की मध्यावधि हेतु तीन जिलों में माल वाहन के मालिकों द्वारा दायर मासिक विवरणियों की जांच से 25.55 लाख रु0 के यात्री कर तथा अधिभार के कम जमा का पता चला।

[परिच्छेद 4.2.9 (क)]

(iv) वर्ष 1993-94 तथा 1995-96 की मध्यावधि के दौरान यात्री कर एवं अधिभार के संगृहीत 45.61 लाख रु0 या तो जमा नहीं करवाए अथवा कम जमा करवाए।

[परिच्छेद 4.2.10(क)]

5. **वन प्राप्तियां**

(i) चार वन मण्डलों में रॉयल्टी की कम दरें लगाने के कारण 81.28 लाख रु0 (बिक्री कर सहित) की रॉयल्टी कम वसूल की गई।

(परिच्छेद 5.2)

(ii) छः वन मण्डलों में विभाग द्वारा राज्य वन निगम से रॉयल्टी तथा बिक्री कर की विलम्बित अदायगी पर उद्ग्राह्य ब्याज और शास्ति के 61.44 लाख रु0 की मांग नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 5.3)

(iii) तीन वन मण्डलों में विभाग द्वारा निगम से उसको सौंपे गए मूल/अनुपूरक चिन्हांकित वृक्षों पर 49.73 लाख रु0 की रॉयल्टी की मांग नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 5.4)

(iv) एक वन मण्डल में राज्य वन निगम से इमारती लकड़ी के आयतन के गलत निर्धारण से 37.13 लाख रु0 (बिक्री कर सहित) की रॉयल्टी की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 5.5)

(v) पांच वन मण्डलों में राज्य वन निगम यद्यपि पट्टावधियों की समाप्ति के पश्चात् भी वन समूहों में कार्य करता रहा जिस पर 28.78 लाख रु0 की समयवृद्धि फीस या तो विभाग द्वारा मांगी नहीं गई अथवा कम मांग गई।

(परिच्छेद 5.6)

(vi) एक मण्डल में विभाग द्वारा राज्य वन निगम से मार्ग संरेखण में आने वाले वृक्षों पर 20.20 लाख रु0 की रॉयल्टी की मांग नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 5.7)

(vii) वृक्षों की सघनता के गलत निर्धारण के कारण राज्य वन निगम से 18.33 लाख रु0 (बिक्री कर सहित) की रॉयल्टी कम वसूल की गई।

(परिच्छेद 5.8)

(viii) विभ्भग के अविवेकपूर्ण निर्णय से हिमपात से क्षतिग्रस्त वृक्षों का दोहन नहीं हो पाया जिससे 8.11 लाख रु0 के राजस्व का अवरोधन हुआ।

(परिच्छेद 5.9)

(ix) एक वन मण्डल में रज्जुमार्ग संरेखण में आने वाले वृक्षों तथा अवैध रुप से गिराए गए वृक्षों की कीमत के संबंध में सात वर्ष बीत जाने के बाद भी 5.40 लाख रु0 के राजस्व की मांग नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 5.10)

6-क विलास कर
(होटलों तथा आवास गृहों में)

(i) किराए के कमरों की रसीदों के गलत जोड़ के कारण कर योग्य 14.45 लाख रु0 छिपाए गए। निर्धारण प्राधिकारियों की संगणन गलतियां पकड़ने में विफलता के कारण 1.45 लाख रु0 के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ब्याज तथा शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

[परिच्छेद 6.2.6 (क)]

(ii) गलत दरें लागू करने के कारण 3.04 लाख रु0 के विलास कर का अल्प निर्धारण हुआ।

[परिच्छेद 6.2.7(क)]

(iii) सात जिलों में 60 होटल मालिकों ने या तो अनुमोदित कमरे की शुल्क दर से कम दरों पर विलास कर की अदायगी की अथवा कर बिल्कुल ही नहीं दिया। निर्धारण प्राधिकारी निर्धारण के समय इसका पता लगाने में विफल रहे जिसके कारण 10.64 लाख रु0 के कर का अवनिर्धारण हुआ।

[परिच्छेद 6.2.7(ख)]

(iv) अप्रैल 1991 की अधिसूचनानुसार कर देने वाला मालिक तब तक मालिक के रुप में कारोबार नहीं चला सकता जब तक वह पंजीकृत नहीं हो जाता तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं रखता। यद्यपि होटलों के मालिकों के पंजीकरण हेतु अधिसूचना जुलाई 1996 में जारी की गई थी,

किन्तु आबकारी एवं कराधान विभाग के पास दिसम्बर 1996 तक कोई व्यापारी पंजीकृत नहीं हुआ था और इस प्रकार पंजीकरण न करवाने हेतु शास्ति उपबन्धों को लागू नहीं किया जा सका।

(परिच्छेद 6.2.10)

(v) यद्यपि अप्रैल 1991 से अक्तूबर 1994 तक की अवधि की विवरणियां देय विलास कर प्रकट करती थीं किन्तु निर्धारण प्राधिकारी की इस अवधि हेतु देय कर का निर्धारण करने में तथा 1989-90 से 1990-91 की अवधि हेतु अप्रैल 1996 में उठाई गई मांग की वसूली करने में विफलता से होटल मालिक द्वारा 5.25 लाख रु0 के सरकारी राजस्व का अनुचित अवरोधन हुआ। इसके अतिरिक्त 2.15 लाख रु0 का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(परिच्छेद 6.2.12)

6-ख भू-राजस्व

संशोधित वार्षिक किराए के विलम्बित निर्धारण के कारण 8.83 लाख रु0 के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 6.4)

पहला अध्याय : सामान्य

	परिच्छेद	पृष्ठ
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	3
बजट आकलनों एवं वास्तविक आंकड़ों में भिन्नताएं	1.2	7
वसूलियों का विश्लेषण	1.3	8
संग्रहण लागत	1.4	9
बकाया राजस्व	1.5	10
बकाया निर्धारण	1.6	13
अनिर्णीत अपीलें	1.7	13
कर/शुल्क की धोखाधड़ी व अपवंचन	1.8	14
राजस्व को बट्टे खाते डालना	1.9	15
लेखापरीक्षा परिणाम	1.10	15
बकाया पड़े निरीक्षण प्रतिवेदन व लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	1.11	15
विभागीय आंकड़ों का मिलान	1.12	17

पहला अध्याय

सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 1996-97 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जुटाया गया कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों व सहायता अनुदान का अंश तथा पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरुपी आंकड़े निम्नांकित हैं तथा चार्ट-1 में भी प्रदर्शित है:-

		1994-95	1995-96	1996-97
			(करोड़ रुपए)	
I	राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व			
	(क) कर राजस्व	299.45	341.52	412.11
	(ख) कर-भिन्न राजस्व	132.74	117.34	146.86
	जोड़	**432.19**	**458.86**	**558.97**
II	भारत सरकार से प्राप्तियां			
	(क) विभाज्य संघीय करों में राज्यांश	368.83	400.28	440.23*
	(ख) सहायता अनुदान	505.34	894.88	992.82
	जोड़	**874.17**	**1295.16**	**1433.05**
III	राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां (I व II)	1306.36	1754.02	1992.02
IV	**III पर I की प्रतिशतता**	**33**	**26**	**28**

---

* ब्यौरों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 1996-97 के वित्त लेखे की "विवरण संख्या 10-राजस्व का लघु शीर्षवार विस्तृत लेखा" देखें। मुख्य शीर्ष "0021- निगम कर को छोड़कर आयकर- निवल आय का राज्य को दिया गया हिस्सा" के अधीन वित्त लेखाओं में क-कर राजस्व के अन्तर्गत दर्ज आंकड़ों को राज्य सरकार द्वारा जुटाये गये राजस्व से अलग रखा गया है और इस विवरणी में विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

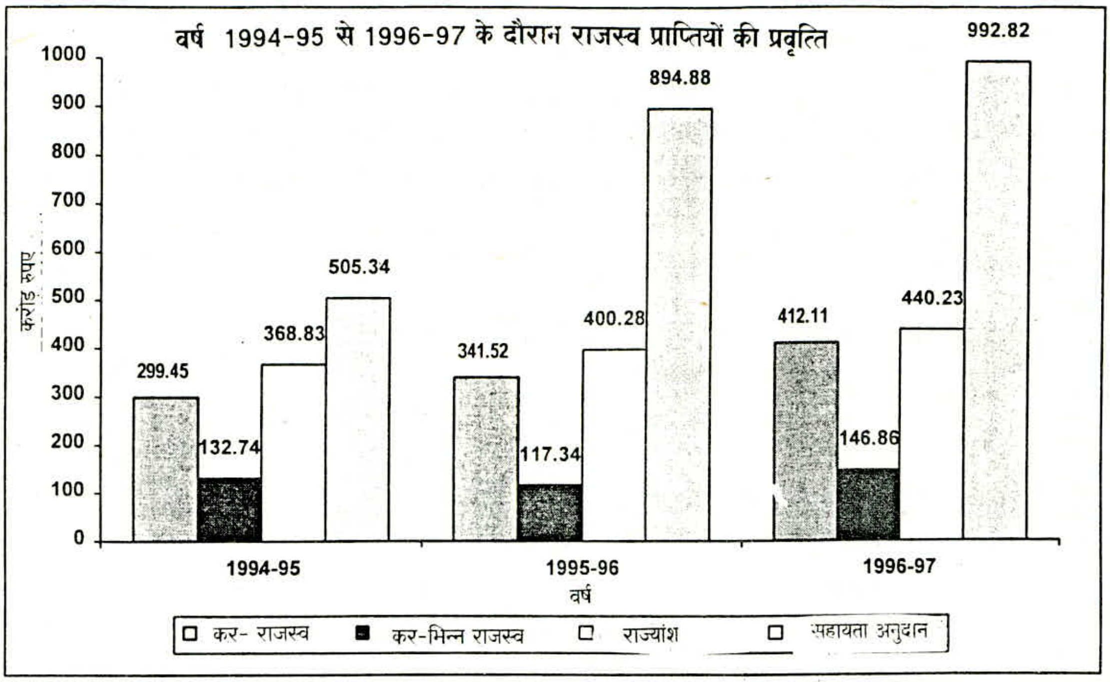

चार्ट 1

(i) वर्ष 1996-97 के दौरान जुटाए गए कर राजस्व के ब्यौरों के साथ-साथ पूर्वगामी दो वर्षों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं तथा चार्ट-2 में भी प्रदर्शित हैं:-

		1994-95	1995-96 (करोड़ रुपये)	1996-97	वर्ष 1995-96 की अपेक्षा वर्ष 1996-97 में हुई वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
1	राज्य आबकारी	94.55	105.50	132.46	(+) 26
2.	बिक्री कर-	107.18	122.83	146.26	(+) 19
3.	माल तथा यात्री कर	39.77	45.80	65.26	(+) 42
4.	वाहन कर	11.17	12.32	14.47	(+) 17
5.	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	12.00	13.78	15.44	(+) 12
6.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	9.88	17.92	18.64	(+) 4
7.	भू-राजस्व	1.15	0.87	5.95	(+)584
8.	अन्य	23.75	22.50	13.63	(-) 39
	जोड़	299.45	341.52	412.11	(+) 21

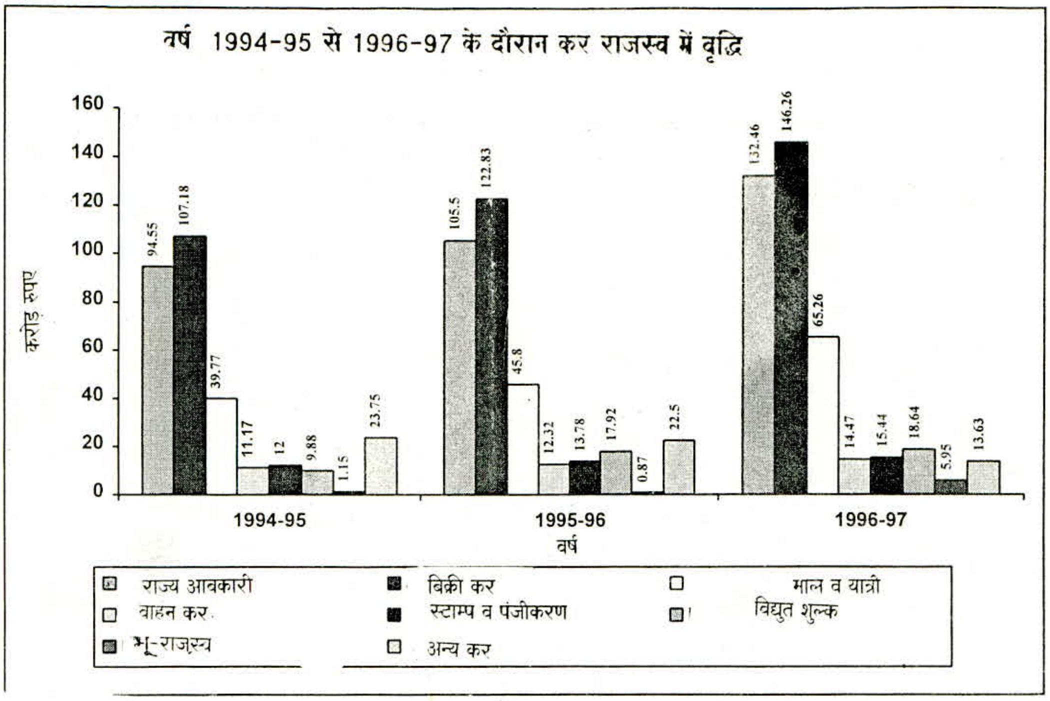

चार्ट 2

(ii) वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक वसूल किए गए कर-भिन्न राजस्व के ब्यौरे निम्नांकित हैं तथा चार्ट 3 में भी प्रदर्शित हैं:-

		1994-95	1995-96	1996-97	वर्ष 1995-96 की अपेक्षा वर्ष 1996-97 में हुई वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता
			(करोड़ रुपये)		
1.	वानिकी एवं वन्य प्राणी	47.11	44.94	41.19	(-) 8
2.	ब्याज प्राप्तियां	9.23	25.37	24.35	(-) 4
3.	अलौह, खनन एवं धातु-कर्म संबंधी उद्योग	6.71	8.73	13.22	(+) 51
4.	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	2.66	2.41	2.68	(+) 11
5.	कृषि कर्म (उद्यान सहित)	1.81	2.64	2.91	(+) 10
6.	अन्य	65.22	33.25	62.51	(+) 88
	जोड़	132.74	117.34	146.86	(+) 25

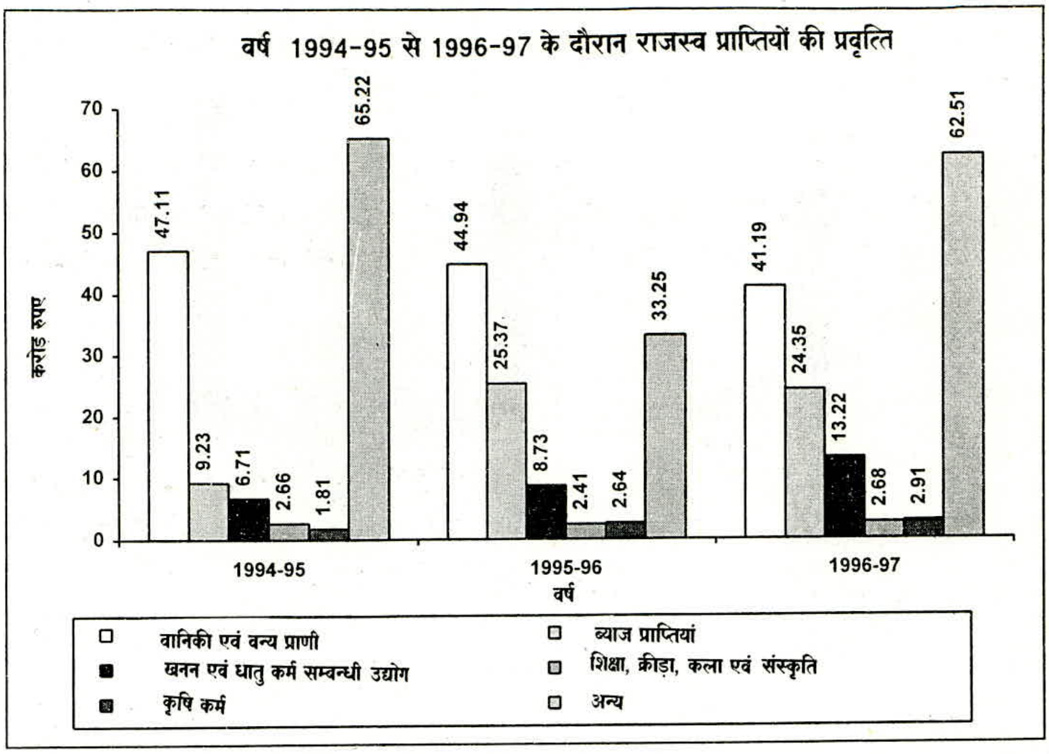

चार्ट 3

निम्नांकित शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्तियों में उल्लेखनीय भिन्नता थीं तथा उनके बारे में सम्बद्ध विभाग द्वारा बतायें गये कारण निम्नांकित थे:-

(क) "राज्य आबकारी"- वर्ष 1995-96 की प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 1996-97 की प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः इस वर्ष वसूल किए गए अधिक नीलामी धन, शराब की खपत में वृद्धि, वर्ष के दौरान एक युनिट की स्थापना से आवकारी शुल्क से अतिरिक्त राजस्व, 2 रु0 प्रति प्रूफ लीटर की दर से देशी शराब पर आबकारी शुल्क में वृद्धि, "भारत निर्मित विदेशी शराब" पर 2 रु0 परमिट फीस तथा "देशी शराब" पर प्रति प्रूफ लीटर एक रु0 की वृद्धि के कारण थीं।

(ख) "माल व यात्री कर" - वर्ष 1995-96 की प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 1996-97 की प्राप्तियों में वृद्धि 1 अक्तूबर 1996 से अतिरिक्त माल कर की उगाही के कारण थी।

(ग) "वाहन कर" - वर्ष 1995-96 की प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 1996-97 की प्राप्तियों में वृद्धि वर्ष के दौरान प्रत्याशा से अधिक वाहनों के पंजीकरण तथा राज्य के बाहर के वाहनों को राज्य में लाने के कारण हुई।

(घ) "अलौह, खनन व धातुकर्म सम्बन्धी उद्योग" -वर्ष 1995-96 की प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 1996-97 की प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः राज्य में स्थापित नये सीमेंट संयंत्र से अतिरिक्त रॉयल्टी की प्राप्ति तथा खनिजों की अधिक खपत के कारण हुई।

(ड.) "वानिकी तथा वन्य प्राणी" - वर्ष 1995-96 की प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 1996-97 में प्राप्तियों में वृद्धि का कारण वर्ष 1994-95 के 2.98 करोड़ रु0 के खजाना चालान का वर्ष 1995-96 में समायोजन था।

1.2 बजट आकलनों एवं वास्तविक आंकड़ों में भिन्नताएं

मुख्य शीर्षों के अन्तर्गतं वर्ष 1996-97 के राजस्व से सम्बन्धित बजट आकलनों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नताएं निम्नांकित हैं:-

राजस्व शीर्ष	बजट आकलन	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नताएं वृद्धि(+) कमी(-)	भिन्नता की प्रतिशतता
		(करोड़ रुपए)		
1. राज्य आबकारी	116.00	132.46	(+) 16.46	14
2. बिक्री कर	132.00	146.26	(+) 14.26	11
3. माल तथा यात्री कर	48.00	65.26	(+) 17.26	36
4. वाहन कर	12.26	14.46	(+) 2.20	18
5. स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	11.48	15.44	(+) 3.96	34
6. विद्युत कर एवं शुल्क	15.11	18.64	(+) 3.53	23
7. भू राजस्व	0.96	5.95	(+) 4.99	520
8. वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	25.00	13.62	(-) 11.38	46
9. वानिकी एवं वन्य प्राणी	27.00	41.19	(+) 14.19	53
10. उद्योग	10.47	19.20	(+) 8.73	83
11. ब्याज प्राप्तियां	2.78	24.35	(+) 21.57	776
12. अलौह, खनन तथा धातु-कर्म सम्बन्धी उद्योग	6.00	13.22	(+) 7.22	120
13. शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	3.07	2.68	(-) 0.39	13
14. कृषि कर्म (उद्यान सहित)	1.96	2.91	(+) 0.95	48

सम्बन्धित विभागों द्वारा सूचित बजट आकलनों तथा वास्तविक आंकड़ों में भिन्नताओं के कारण निम्नांकित थे:-

(क) "राज्य आबकारी" के अन्तर्गत वृद्धि (14 प्रतिशत) मुख्यतः वर्ष 1996-97 के दौरान नीलामी से प्राप्त अधिक धन, मार्च 1996 की तुलना में मार्च 1997 में अधिक अग्रिम लाइसेंस फीस का जमा किया जाना, शराब की अधिक खपत, वर्ष के दौरान नये संयंत्र की स्थापना के फलस्वरुप आबकारी शुल्क के अतिरिक्त राजस्व तथा राज्य से बाहर शराब के निर्यात के कारण थी।

(ख) "बिक्री कर" के अन्तर्गत वृद्धि (11 प्रतिशत) मुख्यतः वस्तुओं की कीमतों में साधारण वृद्धि के कारण थी।

(ग) "माल व यात्री कर" के अन्तर्गत वृद्धि (36 प्रतिशत) 1 अक्तूबर 1996 से अतिरिक्त माल कर के उद्ग्रहण के कारण थी।

(घ) "वाहन कर" के अधीन वृद्धि (18 प्रतिशत) राज्य में प्रत्याशा से अधिक वाहनों के प्रवेश तथा पंजीकरण के कारण थी।

(ङ.) "वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क" के अन्तर्गत ह्रास (46 प्रतिशत) हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क से ढोए गए कुछ सामान पर) अधिनियम 1991 के अन्तर्गत कर के उद्ग्रहण के मामले में न्यायालय द्वारा 16 सितम्बर 1991 से स्थगन आदेश देने के कारण थीं।

(च) "वानिकी एवं वन्य प्राणी" के अन्तर्गत वृद्धि (53 प्रतिशत) हिमाचल प्रदेश वन निगम को प्रत्याशा से अधिक लकड़ी के गट्ठों के अधिक आयतन के आबंटन के कारण थीं।

(छ) "शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति" के अन्तर्गत कमी (13 प्रतिशत) मुख्यतः राज्य के शिक्षा विभाग के दूर-दराज क्षेत्रों में स्थित कुछ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से समय पर बजट प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थीं।

(ज) "स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस" के अन्तर्गत वृद्धि (34 प्रतिशत) मुख्यतः प्रत्याशा से अधिक दस्तावेजों के पंजीकरण के कारण थीं।

1.3 वसूलियों का विश्लेषण

आबकारी तथा कराधान विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1996-97 के दौरान राज्य आबकारी, बिक्री कर, यात्री एवं माल कर और वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य करों एवं शुल्कों की कुल वसूलियों (निर्धारण से पूर्व की अवस्था में तथा नियमित निर्धारण के पश्चात्) का ब्यौरा पूर्ववर्ती

दो वर्षों के तदनुरुपी आंकड़ों सहित निम्नांकित है:-

कर शीर्ष का नाम	वर्ष	निर्धारण से पूर्व वसूल की गई राशि	नियमित निर्धारणोत्तर वसूल की गई राशि अतिरिक्त मांग	करों/शुल्कों की विलम्बित अदायगी के प्रति शास्ति	ब्याज	अन्य शास्तियां	प्रत्यर्पित राशि	करों/शुल्कों की निवल वसूली	कॉलम 9 पर 3 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(ला	ख	रु	प	ये	)	
राज्य आबकारी	1994-95	9406.99	..	2.47	56.10	7.02	17.82	9454.76	..
	1995-96	10568.39	..	2.97	33.99	1.49	56.71	10550.13	100
	1996-97	13157.67	..	2.17	82.32	4.19	--	13246.35	99
बिक्री कर	1994-95	9638.10	698.76	6.28	268.64	20.66	4.57	10717.87	90
	1995-96	11305.56	836.61	56.41	82.63	36.31	34.27	12283.24	92
	1996-97	13946.10	367.45	85.82	196.77	30.20	0.18	14626.16	95
यात्री एवं माल कर	1994-95	812.71	141.24	12.37	..	10.47	..	3976.79	96
	1995-96	4351.60	170.80	47.49	..	10.55	..	4580.44	95
	1996-97	6304.48	179.55	27.66	..	14.31	..	6526.00	96
वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	1994-95	2373.15	1.45	0.69	..	0.01	0.09	2375.21	100
	1995-96	2230.89	8.43	1.76	9.41	0.41	1.36	2249.54	99
	1996-97	1332.15	12.40	13.28	4.98	0.03	0.57	1362.27	98

उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा संगृहीत राजस्व की स्थिति से विदित है कि मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के दौरान निर्धारण पूर्व अवस्था में राजस्व संग्रहण 95 से 99 प्रतिशत के मध्य था तथा नियमित निर्धारण के उपरान्त की गई अतिरिक्त मांग 1 से 5 प्रतिशत के मध्य थी।

1.4 संग्रहण लागत

वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों की सकल वसूलियां, संग्रहण व्यय तथा सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता और वर्ष 1995-96 के लिए सकल संग्रहण से संगत अखिल भारतीय औसत संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता

निम्नांकित है:-

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल वसूली	वसूली पर व्यय	सकल वसूली पर व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 1995-96 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
		(लाख	रुपए)		
1. राज्य	1994-95	9454.76	176.80	2	
आबकारी	1995-96	10550.13	221.51	2	3.20
	1996-97	13246.35	237.82	1.79	
2. बिक्री कर	1994-95	10717.87	200.28	2	
	1995-96	12283.24	257.89	2	1.29
	1996-97	14626.16	262.59	1.79	
3. वाहन, माल	1994-95	5093.78	105.17	5	
तथा यात्री	1995-96	5811.96	132.54	5	2.57
कर	1996-97	7972.48	157.32	1.97	
4. स्टाम्प	1994-95	1200.38	28.25	5	
शुल्क एवं	1995-96	1377.86	27.16	2	3.46
पंजीकरण	1996-97	1544.22	47.07	3	
फीस					

1.5 बकाया राजस्व

31 मार्च 1997 को विभागों द्वारा यथाप्रतिवेदित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व की बकाया राशियां निम्नलिखित थीं:-

	राजस्व शीर्ष	बकाया लम्बित संग्रहण	पांच वर्षोपरि बकाया राशियां	अभ्युक्तियां
		(लाख	रुपए)	
1.	वानिकी एवं वन्य प्राणी	8160.83	प्राप्त नहीं हुए	विभाग ने सम्बद्ध अवधि तथा वसूली हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई सूचित नहीं की थी (अगस्त 1997)।
2.	बिक्री कर	4189.84	1160.01	4189.84 लाख रु0 में से 577.36 लाख रु0 की मांगे भू-राजस्व की बकाया राशियों के रुप में वसूली हेतु प्रमाणित की जा चुकी थीं। 144.94 लाख रु0 तथा 48.24 लाख रु0 की वसूलियां क्रमश: न्यायालयों तथा सरकार द्वारा स्थगित की जा चुकी थीं। 2.07 लाख रु0 की वसूलियां आवेदन पत्रों के संशोधन/पुनरावलोकन के कारण अवरुद्ध पड़ी थी। 786.68 लाख रु0 की मांगे बट्टे-खाते डाली जानी संभावित थी। शेष 2630.55 लाख रु0 के सम्बन्ध में की गई विशेष कार्रवाई की सूचना मांगी गई थी (अप्रैल 1997) जिसे विभाग ने सूचित नहीं किया था (अगस्त 1997)।

	राजस्व शीर्ष	बकाया लम्बित संग्रहण	पांच वर्षोपरि बकाया राशियां	अभ्युक्तियां
		(लाख	रुपए)	
3.	माल तथा यात्री कर	795.31	26.15	795.31 लाख रु० की बकाया राशियों में से 43.78 लाख रु० की मांगे भू-राजस्व की बकाया राशियों के रुप में वसूली हेतु प्रमाणित की जा चुकी थीं। 21.14 लाख रु० की वसूलियां न्यायालयों ने स्थगित कर दी थीं। 11.50 लाख रु० की वसूली आवेदन पत्रों के संशोधन/पुनरावलोकन के कारण अवरुद्ध पड़ी थीं। 0.90 लाख रु० की मांगे बट्टे-खाते डाली जानी संभावित थीं। शेष 717.99 लाख रु० की बकाया राशि के लिए की गई विशेष कार्रवाई की सूचना मांगी गई थी (अप्रैल 1997) जिसे विभाग ने सूचित नहीं किया है (अगस्त 1997)।
4.	विद्युत कर तथा शुल्क	685.35	--	यह राशि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से वर्ष 1996-97 के लिए विद्युत शुल्क के रुप में वसूलीयोग्य है।
5.	राज्य आबकारी	95.37	24.67	95.37 लाख रु० मे से 13.07 लाख रु० की मांगें भू-राजस्व की बकाया राशि के रुप में वसूली हेतु प्रमाणित की चुकी थीं। 10.45 लाख रु० की वसूलियां न्यायालयों ने स्थगित कर दी थी। 9.99 लाख रु० की मांगें बट्टे खाते डाली जानी संभावित थी। शेष 61.86 लाख रु० की बकाया राशि के लिए की गई विशेष कार्रवाई की सूचना मांगी गई थी (अप्रैल 1997) जिसे विभाग ने सूचित नहीं किया है (अगस्त 1997)।
6.	पदार्थों तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	29.99	0.69	29.99 लाख रु० में से 0.58 लाख रु० की मांगे भू-राजस्व की बकाया राशि के रुप में वसूली हेतु प्रमाणित की जा चुकी थीं। 0.69 लाख रु० की वसूलियां न्यायालयों ने स्थगित कर दी थीं। शेष 28.72 लाख रु० की बकाया राशि के लिए की गई विशेष कार्रवाई की सूचना मांगी गई थी (अप्रैल 1997) जिसे विभाग ने सूचित नहीं किया था (अगस्त 1997)।
7.	जलापूर्ति, स्व-च्छता तथा लघु सिंचाई	861.31	प्राप्त नहीं हुए	विभाग ने सम्बद्ध अवधि तथा वसूली हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई सूचित नहीं की थी (अगस्त 1997)।
8.	उद्योग (ग्रामीण एवं लघु उद्योगों सहित)	126.98	36.53	सरकारी देय राशियों की वसूली हेतु बताए गए बारम्बार नोटिस व वारण्ट जारी किए जा रहे थे। इन बकाया राशियों की वसूली हेतु की गई विशेष कार्रवाई की सूचना मांगी गई थी (अप्रैल 1997) जिसे विभाग ने सूचित नहीं किया था (अगस्त 1997)।

	राजस्व शीर्ष	बकाया लम्बित संग्रहण	पांच वर्षोपरि बकाया राशियां	अभ्युक्तियां
		(लाख	रुपए)	
9.	पुलिस	390.03	18.28	390.03 लाख रु0 की कुल बकाया राशियों में से अधिकांश बकाया राशियां नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन (174.10 लाख रु0), सिविल विमानन प्राधिकरण (81.25 लाख रु0), भाखड़ा तथा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (73.74 लाख रु0) तथा रेलवे (43.81 लाख रु0) से सम्बद्ध थी। शेष राशि (17.13 लाख रु0) अन्य विभागों से सम्बद्ध थी। बकाया राशियों की वसूली का मामला सम्बद्ध प्राधिकारियों के साथ अनुसरित किया जा रहा था।
10.	भू-राजस्व	75.14	प्राप्त नहीं हुए	विभाग ने सम्बद्ध अवधि तथा वसूली हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई सूचित नहीं की थी (अगस्त 1997)।
11.	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	48.86	20.83	48.86 लाख रु0 की बकाया राशि शिक्षा (27.81 लाख रु0), ग्रामीण विकास तथा एकीकरण (9.90 लाख रु0), लोक निर्माण (3.62 लाख रु0), सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य (2.15 लाख रु0) तथा अन्य विभागों (5.38 लाख रु0) से प्राप्य थे। विभाग ने सूचित किया (जून 1997) कि सरकार ने वित्त विभाग के माध्यम से स्रोत पर ही सम्बद्ध विभागों से बकाया राशि की वसूली का निर्णय लिया है (मार्च 1996)। तदनुसार वसूली के मामले प्रशासनिक विभागों के माध्यम से वित्त-विभाग को भेजे जा रहे थे। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1997)।
12.	स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग	43.76	--	विभाग द्वारा बकाया राशियों को समाप्त करने के लिए कथित रुप से सतत प्रयास किए जा रहे थे।
13.	अलौह, खनन एवं धातुकर्म उद्योग	27.75	12.64	14.92 लाख रु0, 5.03 लाख रु0 तथा 1.91 लाख रु0 की राशियां क्रमशः वसूली प्रमाणपत्र प्रक्रिया, न्यायालयों/अन्य प्राधिकारियों द्वारा स्थगन तथा बट्टे-खाते डाले जाने की सम्भावना में शामिल थीं। शेष 5.89 लाख रु0 की बकाया राशियों के लिए की गई विशेष कार्रवा की सूचना मांगी गई थी (अप्रैल 1997) जिसे विभाग ने सूचित नहीं किया था (अगस्त 1997)।
14.	लोक निर्माण	17.52	प्राप्त नहीं हुए	विभाग ने सम्बद्ध अवधि तथा वसूली हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई सूचित नहीं की थी (अगस्त 1997)।
	जोड़	15548.04		

1.6 बकाया निर्धारण

1992-93 से 1996-97 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में बिक्री कर एवं यात्री तथा माल कर निर्धारण के लम्बित मामलों, वर्ष के दौरान निर्धारणार्थ निश्चित हुए मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में अन्तिम रुप देने हेतु लम्बित मामलों की संख्या के विभाग द्वारा यथाप्रस्तुत ब्यौरे निम्नांकित हैं:-

वर्ष	आदि शेष	वर्ष के दौरान निर्धारणार्थ मामले	जोड़	वर्ष के दौरान अन्तिम रुप दिए गए मामले	वर्ष के अन्त में शेष	कॉलम 4 पर 5 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1992-93	33,940	31,616	65,556	21,347	44,209	33
1993-94	44,209	32,798	77,007	28,097	48,910	36
1994-95	48,910	34,610	83,520	32,396	51,124	39
1995-96	51,124	35,667	86,791	35,909	50,882	41
1996-97	50,882	42,861	93,743	33,091	60,652	35

उपर्युक्त तालिका से प्रदर्शित है कि वर्ष 1992-93 के आरम्भ में अनिर्णीत मामलों की संख्या 33940 थी जो वर्ष 1996-97 के अन्त में 79 प्रतिशत की वृद्धि दशति हुए 60,652 तक पहुंच गई। जबकि निर्धारण मामलों को अन्तिम रुप देने की प्रतिशतता 1995-96 वर्ष में बढ़कर 41 प्रतिशत होने पर भी वर्ष 1996-97 में घटकर 35 प्रतिशत रह गई।

1.7 अनिर्णीत अपीलें

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई (सितम्बर 1997) सूचनानुसार मार्च 1997 में समाप्त पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर बिक्री कर, यात्री एवं माल कराधान अधिनियम आदि के अन्तर्गत दर्ज अपीलों की संख्या, निपटाई गई अपीलों की

संख्या तथा अपील प्राधिकारियों के पास अनिर्णीत पड़े मामलों की संख्या निम्नवत् थीं:-

वर्ष	आदि शेष	वर्ष के दौरान दर्ज अपीलों की संख्या	जोड़	वर्ष के दौरान निपटाई गई अपीलों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर शेष	कुल मामलों पर निपटाए गए मामलों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1992-93	607	207	814	358	456	44
1993-94	456	212	668	316	352	47
1994-95	352	275	627	404	223	64
1995-96	223	324	547	290	257	53
1996-97	257	460	717	314	403	44

मार्च 1997 के अन्त में अनिर्णीत 403 मामलों में से सबसे पुराना मामला दिसम्बर 1992 का था। इन मामलों के निपटान हेतु प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

1.8 कर/शुल्क की धोखाधड़ी व अपवंचन

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई (सितम्बर 1997) सूचनानुसार वर्ष के आरम्भ में अनिर्णीत करों व शुल्कों की धोखाधड़ी व अपवंचन के मामलों, विभागीय प्राधिकारियों द्वारा पता लगाए गए मामलों की संख्या, निर्धारण/छानबीन पूर्ण किए गए मामलों की संख्या तथा वर्ष के दौरान व्यापारियों से की गई करों/शुल्कों की अतिरिक्त मांग (शास्तियों आदि सहित) तथा मार्च 1997 के अन्त में अन्तिम रुप दिए जाने हेतु अनिर्णीत मामलों की संख्या के ब्यौरे नीचे दिए गए है:-

क्रमांक	कर/शुल्क का नाम	31 मार्च 1996 को अनिर्णीत मामले	वर्ष 1996-97 के दौरान पता लगाए मामले	निर्धारण/छानबीन पूर्ण किए गए मामलों की संख्या तथा शास्ति सहित अतिरिक्त मांग		31 मार्च 1997 को अन्तिम रुप दिए जाने हेतु अनिर्णीत मामलों की संख्या
				मामलों की संख्या	मांग राशि (लाख रुपये)	
1.	बिक्री कर	1222	2217	2329	9.39	1110
2.	राज्य आबकारी	--	114	114	1.50	--
3.	यात्री एवं माल कर	2252	5556	4801	8.73	3007
4.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	6	25	23	0.07	8
	जोड़	**3480**	**7912**	**7267**	**19.69**	**4125**

1.9 राजस्व को बट्टे-खाते डालना

परिवहन व आबकारी एवं कराधान विभागों के 10 मामलों व 19 मामलों में 1953-54 से 1974-75 तथा 1972-73 से 1986-87 वर्षों के बीच पड़ रही अवधि में क्रमशः 32,180 रु0 व 8,22,089 रु0 की मांगें वर्ष 1996-97 में बट्टे-खाते डाल दी गयी थीं। विभाग द्वारा जारी की गई संस्वीकृतियों में बट्टे-खाते डालने के कोई कारण नहीं दिए गए थे।

1.10 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 1996-97 के दौरान बिक्री कर, राज्य आबकारी, वाहन, माल एवं यात्री कर, वन प्राप्तियों, अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जांच से 778 मामलों में 1689.26 लाख रु0 के राजस्व अवनिर्धारण/अल्प उद्ग्रहण/हानि का उद्घाटन हुआ। वर्ष 1996-97 में सम्बद्ध विभागों ने 619 मामलों में 809.22 लाख रु0 के अवनिर्धारण आदि स्वीकार कर लिये जिनमें से 26.55 लाख रु0 के 17 मामले वर्ष 1996-97 के दौरान लेखापरीक्षा में सूचित किए गए और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में सूचित किए गए थे।

इस प्रतिवेदन में 5.72 करोड़ रु0 के कर, शुल्क, ब्याज, शास्ति आदि के अनुद्ग्रहण, अल्प-उद्ग्रहण से सम्बद्ध 32 परिच्छेद (दो समीक्षाओं सहित) निहित हैं। विभाग/सरकार ने 3.34 करोड़ रु0 की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार कर ली थीं जिसमें से अगस्त 1997 तक 18.46 लाख रु0 की वसूली की जा चुकी थी। कुल 10.19 लाख रु0 के राजस्व प्रभावयुक्त लेखापरीक्षा टिप्पणियां सरकार ने स्वीकार नहीं की हैं लेकिन उनके तर्क तथ्यों या विधि-उपबन्धों से संगत नहीं पाए गए हैं और उन्हें सम्बद्ध परिच्छेदों/समीक्षाओं में उपयुक्त रुप से विवेचित किया गया है। अन्य मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

1.11 बकाया पड़े निरीक्षण प्रतिवेदन व लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

(i) लेखापरीक्षा में ध्यान में आई व तत्काल न निपटाई गई प्रारम्भिक अभिलेखों के रख-रखाव की त्रुटियों सहित दोषपूर्ण निर्धारणों, कर, शुल्क, फीस आदि के अल्प उद्ग्रहण पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से कार्यालयाध्यक्षों व अन्य विभागीय प्राधिकारियों को सूचित की जाती हैं। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों एवं सरकार को सूचित की जाती हैं। कार्यालयाध्यक्षों से दो मास की अवधि के भीतर सम्बद्ध विभागाध्यक्षों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर भेजे जाने अपेक्षित होते हैं।

(ii) 31 दिसम्बर 1996 तक समाप्त तीन वर्षों के दौरान जारी राजस्व प्राप्तियों से सम्बद्ध उन निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या नीचे दी गई है जो 30 जून 1995, 30 जून 1996 तथा 30 जून 1997 को विभागों द्वारा समायोजन हेतु अनिर्णीत थीं:-

	जून के अन्त में		
	1995	1996	1997
समायोजन हेतु अनिर्णीत निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,253	2,335	2,502
बकाया पड़ी लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	6,388	6,688	7,206
निहित राजस्व राशि (करोड़ रुपए)	109.23	123.68	130.76

(iii) बकाया पड़े निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का वर्षबद्ध ब्यौरा (30 जून 1997 को) निम्नवत् है:-

वर्ष (जिसमें निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए गए)	बकाया संख्या		निहित प्राप्ति राशि (करोड़ रुपये)
	निरीक्षण प्रतिवेदन	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	
1992-93 तक	1427	3516	58.07
1993-94	269	715	19.92
1994-95	239	757	26.95
1995-96	318	1,046	12.41
1996-97	249	1,172	13.41
जोड़	**2,502**	**7,206**	**130.76**

(iv) 30 जून 1997 को बकाया पड़े निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विभागबद्ध विवरण निम्नांकित है:-

विभाग	बकाया संख्या		निहित प्राप्ति राशि (करोड़ रुपए)	अभ्युक्तियों का वर्ष	उन निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या जिनके प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए
	निरीक्षण प्रतिवेदन	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां			
1. राजस्व	515	1,117	5.79	1972-73 से 1996-97	69
2. वन कृषि एवं संरक्षण	464	1,503	84.35	1970-71 से 1996-97	23
3. आबकारी व कराधान	623	2,300	22.83	1971-72 से 1996-97	27

विभाग	बकाया संख्या		निहित प्राप्ति	अभ्युक्तियों का	उन निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या
	निरीक्षण प्रतिवेदन	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	राशि (करोड़ रुपए)	वर्ष	जिनके प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए
4. परिवहन	373	1,118	3.75	1971-72 से 1996-97	20
5. अन्य विभाग (लोक निर्माण, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य, कृषि तथा भू-संरक्षण, उद्यान, सहकारिता, खाद्य एवं आपूर्ति तथा उद्योग)	527	1,168	14.04	1974-75 से 1996-97	45
जोड़	2,502	7,206	130.76		184

यह मामला सितम्बर 1997 में सरकार के मुख्य सचिव के ध्यान में लाया गया। बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए पगों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

1.12 विभागीय आंकड़ों का मिलान

प्राप्तियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने की दृष्टि से सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को वार्षिक लेखों के बंद होने से पूर्व महालेखाकार द्वारा अनुरक्षित लेखों में पुस्तांकित प्राप्तियों के साथ अपनी सम्बद्ध विभागीय प्राप्तियों का आवधिक रुप से मिलान किया जाना अपेक्षित है।

सरकार को मिलान में विलम्ब आवधिक रुप से सूचित करने के बावजूद एक* नियंत्रक अधिकारी ने वर्ष 1996-97 के चाल लेखा शीर्षों के संबंध में 1457.40 करोड़ रु0 की प्राप्तियों का मिलान नहीं किया।

मामला सरकार को सितम्बर 1997 में सूचित किया गया था। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

----

* सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार (0021-निगम कर के अतिरिक्त आय कर : 67.51 करोड़ रु0; 0049-ब्याज प्राप्तियां:24.35 करोड़ रु0; 1601- केन्द्र सरकार से अनुदान: 992.82 करोड़ रु0 तथा 1603-संघीय आबकारी शुल्क का राज्यांश : 372.72 करोड़ रु0)

दूसरा अध्याय : बिक्री कर

	परिच्छेद	पृष्ठ
लेखापरीक्षा परिणाम	2.1	21
कुल बिक्री के गलत निर्धारण के कारण कर का अल्पोद्ग्रहण	2.2	21
क्रय कर का अनुद्ग्रहण	2.3	23
व्यापारियों का अपंजीकरण	2.4	24
बिक्रियां को छिपाना	2.5	25
कर का अवनिर्धारण	2.6	26
रियायत वापस न लेने के कारण कर का अल्पोद्ग्रहण	2.7	27
क्रय छिपाने के कारण कर का अनुद्ग्रहण	2.8	29
गलत दरें लागू करने के कारण कर का अल्पोद्ग्रहण	2.9	30

दूसरा अध्याय

बिक्री कर

2.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 1996-97 के दौरान लेखापरीक्षा में बिक्री कर निर्धारणों तथा अन्य अभिलेखों की नमूना जांच से 186 मामलों में 93.87लाख रु0 के करों के अल्पनिर्धारणों का पता चला जो कि मोटे तौर पर निम्नांकित श्रेणियों में आते हैं:-

	मामलों की संख्या	राशि (लाख रु0)
1. क्रय /विक्रय छिपाने के कारण कर का अपवंचन	57	20.51
2. व्यापारियों का अपंजीकरण	4	0.82
3. ब्याज/शास्ति की वसूली न होना/ अल्प वसूली	33	18.72
4. कर का अवनिर्धारण	63	39.91
5. अन्य अनियमितताएं	29	13.91
जोड़	**186**	**93.87**

1996-97 वर्ष में सम्बद्ध विभागों ने 174 मामलों मे 45.98 लाख रु0 के अवनिर्धारण आदि स्वीकार किए जिनमें से 0.61 लाख रु0 के 10 मामले 1996-97 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किये गये थे और बाकी पूर्ववर्ती वर्षों में दर्शाये गये थे, जिनका प्राचीनतम वर्ष 1980-81 था। 38.75 लाख रु0 के वित्तीय प्रभावयुक्त महत्वपूर्ण टिप्पणियों को उजागर करने वाले कतिपय मामले सोदाहरण निम्नांकित परिच्छेदों में दिए गए हैं।

2.2 कुल बिक्री के गलत निर्धारण के कारण कर का अल्पोद्ग्रहण

(i) हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत 'कुल बिक्री' में प्रदत्त अवधि के दौरान व्यापारी द्वारा वास्तविक क्रय व विक्रय की धनराशि का योग शामिल है। अधिनियम के अन्तर्गत बिक्री से तात्पर्य नकदी या आस्थगित भुगतान या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल हेतु माल के रुप में सम्पत्ति के हस्तान्तरण से है और इसमें निर्माणकार्य संविदा के निष्पादन में अन्तःग्रस्त माल (चाहे माल या किसी अन्य रुप में हो) के रुप में सम्पत्ति हस्तान्तरण शामिल है। इसके अतिरिक्त निर्धारण को अन्तिम रुप देते समय निर्धारण प्राधिकारी से व्यापारी के खातों की जांच अपेक्षित है ताकि वह व्यापारी द्वारा किए गए समस्त क्रय-विक्रय के समुचित रुप से लेखाबद्ध होने से सन्तुष्ट हो सके।

(क) सहायक आबकारी व कराधान आयुक्त, बिलासपुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (मार्च 1996) कि 1992-93 तथा 1993-94 वर्षों के दौरान निर्माणकार्य संविदाओं के निष्पादन में 106.14 लाख रु0 की सामग्री की खपत हुई थी। निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि व्यापारी ने अपने व्यापारिक लेखाओं में सामग्री की खपत दर्शाई थीं लेकिन कर-निर्धारण प्राधिकारी 1992-93 व 1993-94 वर्षों के निर्धारणों को अन्तिम रुप देते समय अभिलेख में उपलब्ध सूचना पर ध्यान देने में विफल रहा। इसके फलस्वरुप कुल बिक्री का अल्प निर्धारण हुआ और 11.93 लाख रु0 (ब्याज सहित) के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

इसे लेखापरीक्षा में विभाग को सूचित (मार्च 1996) तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित (अप्रैल 1996) किया गया था। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 1997)।

(ख) सहायक आबकारी व कराधान आयुक्त, चम्बा की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया (सितम्बर 1996) की संविदा कार्यों में लगे एक व्यापारी के वर्ष 1991-92 व 1992-93 के कर-निर्धारणों को नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन द्वारा क्रमशः आपूरित 6.02 लाख रु0 व 2.96 लाख रु0 की सामग्री पर कटौती की अनुमति देने के पश्चात् अन्तिम रुप दिया गया था (अप्रैल 1995)। निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि इन वर्षों में वास्तव में 2.40 लाख रु0 व 97,754 रु0 की सामग्री की आपूर्ति की गई थी। अभिलेखों की समुचित संवीक्षा करने में निर्धारण प्राधिकारी के विफल रहने के फलस्वरुप 5.60 लाख रु0 की अधिक कटौती हुई और 44,787 रु0 के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

इसे लेखापरीक्षा में विभाग को सूचित (सितम्बर 1996) तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित (नवम्बर 1996) किया गया था। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 1997)।

(ii) हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत 'कुल बिक्री' में प्रदत्त अवधि के दौरान व्यापारी द्वारा वास्तविक क्रय व विक्रय की धनराशि का योग शामिल होता है। अधिनियम के अन्तर्गत बिक्री की परिभाषा में नकदी आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल हेतु किसी प्रयोजन (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो अथवा नहीं) के लिए किसी माल के प्रयोगार्थ अधिकार हस्तान्तरण शामिल है। यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर के भुगतान में विफल रहता है तो वह देय कर पर एक मास तक एक प्रतिशत मासिक तथा तत्पश्चात् दोष विद्यमान रहने तक डेढ़-प्रतिशत मासिक दर से ब्याज भुगतान का दायी हो जाता है।

सहायक आबकारी व कराधान आयुक्त, सिरमौर की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया (दिसम्बर 1996) कि ऑक्सीजन गैस के उत्पादन में लगे एक व्यापारी के 1991-92 वर्ष के निर्धारण को जुलाई 1995 में अन्तिम रुप दिया गया था। निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि व्यापारी ने वर्ष 1991-92 में अपने लाभ-हानि लेखे में सिलेण्डर किराए की 12.37 लाख रु0 की प्राप्ति भी दर्शाई थी जिसे निर्धारणों को अन्तिम रुप देते समय ध्यान में नहीं रखा गया था। यद्यपि ये प्राप्तियां उसकी बिक्री (उपर्युक्त परिभाषा के अनुरुप) का अंग थीं लेकिन निर्धारण को अन्तिम रुप देते

समय इन पर कर नहीं लगाया गया था। इसके परिणामस्वरुप 1.82 लाख रु0 (ब्याज सहित 82,591 रु0) के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

इसे लेखापरीक्षा में विभाग को सूचित (दिसम्बर 1996) तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित (जनवरी 1997) किया गया था। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 1997)।

2.3 क्रय कर का अनुद्ग्रहण

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत जारी की गई दो अधिसूचनाओं (मई 1987 व मार्च 1988) के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत कर-भुगतान का दायी कोई व्यापारी यदि किसी स्रोत से ऐसा कोई कर देय माल खरीदता है जिसके क्रय पर कोई कर नहीं दिया गया है तथा ऐसे माल या उससे विनिर्मित माल को हिमाचल प्रदेश से बाहर अपनी किसी शाखा या कमीशन एजेण्ट को खपत या बिक्री के लिए प्रेषित करता है तो वह ऐसे माल के क्रय मूल्य पर 4 प्रतिशत कर-भुगतान का दायी है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर के भुगतान में विफल रहता है तो वह एक मास तक एक प्रतिशत मासिक तथा तत्पश्चात् दोष विद्यमान रहने तक डेढ प्रतिशत मासिक दर से ब्याज भुगतान करेगा।

चम्बा, सिरमौर व सोलन जिलों के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया (मार्च 1995 व सितम्बर 1996 के बीच) कि 1989-90 तथा 1992-93 वर्षों के बीच 92.36 लाख रु0 के माल के शाखान्तरण की अनुमति के पश्चात् तीन व्यापारियों के इन वर्षों के निर्धारणों को अन्तिम रुप दिया गया था (फरवरी 1992 व जुलाई 1995 के बीच)। निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रदर्शित हुआ कि इन व्यापारियों ने कर-भुगतान के बिना स्थानीय व्यापारियों से माल खरीदा था। इन वर्षों में उनके द्वारा राज्य से बाहर अपनी शाखाओं में प्रेषित माल/प्रेषण बिक्री का क्रय मूल्य 83.41 लाख रु0 (10 प्रतिशत लाभ, भाड़े आदि की कटौती के पश्चात्) संगणित किया गया था। इसके फलस्वरुप 6.14 लाख रु0 (लेखापरीक्षा तिथि तक 2.81 लाख रु0 के ब्याज सहित) के क्रय कर का अनुद्ग्रहण हुआ जैसे कि निम्नांकित है:-

जिले का नाम	व्यापारियों की संख्या	निर्धारण वर्ष	निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अनुमति दिए गए माल (कर भुगतान के बिना स्थानीय रुप से खरीदा गया) का शाखान्तरण/प्रेषण बिक्री	10 प्रतिशत लाभ, भाड़े की कटौती के बाद संगणित किए गए हस्तान्तरित माल का क्रय मूल्य	उद्ग्राह्य कर व ब्याज की राशि (लेखापरीक्षा तिथि तक)
				(लाख रुपए)	
चम्बा	1	1992-93	5.04	4.58	0.27
सिरमौर	1	1989-90 1990-91	60.37	54.33	3.94
सोलन	1	1990-91	26.35	24.50	1.93
जोड़	**3**		**92.36**	**83.41**	**6.14**

उपर्युक्त मामले मार्च 1995 तथा सितम्बर 1996 के बीच विभाग को लेखापरीक्षा में सूचित तथा अप्रैल 1995 व नवम्बर 1996 के बीच सरकार को प्रतिवेदित किए गए थे। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 1997)।

2.4 व्यापारियों का अपंजीकरण

(क) हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत कर-भुगतान का दायी कोई व्यापारी केवल तभी कारोबार चला सकता है जब वह पंजीकृत हो चुका हो और उसके पास वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र हो। प्रत्येक व्यापारी उस तिथि से 30 दिन की समाप्ति पर बिक्री कर के भुगतान का दायी हो जाता है जिस तिथि के पश्चात किसी वर्ष प्रथमतः उसकी सकल बिक्री कर-योग्य मात्रा से बढ़ जाती है। पूर्वोक्त अधिनियम के अन्तर्गत बिक्री से तात्पर्य नकदी या आस्थगित भुगतान या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल हेतु माल के रुप में सम्पत्ति के हस्तान्तरण से है और इसमें निर्माणकार्य संविदा के निष्पादन में अन्तःग्रस्त माल (चाहे माल या किसी अन्य रुप में हो) के रुप में सम्पत्ति हस्तान्तरण शामिल है। निर्माणकार्य संविदा के निष्पादन में कर-योग्य मात्रा 3 लाख रु0 है।

लोकनिर्माण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार यह पाया गया कि दो ठेकेदारों ने वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान 17.97 लाख रु0 (श्रम की लागत शामिल न करके) के निर्माणकार्य निष्पादित किये। हमीरपुर व कांगड़ा के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों से इस सूचना के परस्पर मिलान पर पता चला (मार्च 1995 व जून 1996) कि प्रत्येक मामले में उनकी वार्षिक कुल बिक्री कर-योग्य मात्रा से बढ़ गई थी लेकिन उन्होंने व्यापारीस्वरुप पंजीकरणार्थ आवेदन नहीं किया। विभाग भी इन मामलों का पता लगाने व उन्हें पंजीकृत करवाने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरुप 0.72 लाख रु0 के कर का अनुद्ग्रहण हुआ जैसे कि निम्नांकित है:-

क्रमांक	जिला/मण्डल का नाम	व्यापारियों की संख्या	वर्ष	निर्माणकार्य संविदा के निष्पादन में आपूरित/प्रयुक्त सामग्री का मूल्य (लाख रुपए)	बिक्री कर की कुल राशि
1.	हमीरपुर	1	1991-92 तथा 1992-93	10.09	0.40
2.	कांगड़ा	1	1991-92 तथा 1992-93	7.88	0.32
	जोड़	2		17.97	0.72

ये मामले मार्च 1995 व जून 1996 में विभाग को लेखापरीक्षा में सूचित तथा अप्रैल 1995 व जुलाई 1996 में सरकार को प्रतिवेदित किए गए थे। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 1997)।

(ख) हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत कोई व्यापारी त्यों ही कर भुगतान का दायी होगा ज्यों ही उसकी कुल बिक्री कर योग्य मात्रा से बढ़ जाएगी। उस व्यापरी के मामले में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4(6) के अन्तर्गत कर-योग्य मात्रा कुछ भी नहीं है जो हिमाचल प्रदेश में बिक्री या विनिर्माण में उपयोग या किसी माल के प्रसंस्करण हेतु माल मंगाता है। इस अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत सभी आयातक (विशेष रुप से कर-मुक्त माल का कारोबार करने वालों को छोड़कर) पंजीकृत होने अपेक्षित हैं चाहे उनकी वार्षिक कुल बिक्री की राशि कितनी ही क्यों न हो।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, नाहन की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (दिसम्बर 1996) कि एक व्यापारी ने राज्य के बाहर से 53.73 लाख रु0 की ईंटे मंगवाईं और वर्ष 1993-94 व 1995-96 के मध्य उन्हें राजबन स्थित सीमेण्ट फैक्टरी को बेच दिया। अभिलेखों से पता चला कि विक्रयार्थ ईंटें मंगवाने वाला व्यापारी न तो पंजीकृत था और न ही उस पर 4.30 लाख रु0 के कर का निर्धारण किया गया।

यह मामला विभाग को लेखापरीक्षा में सूचित (दिसम्बर 1996) तथा जनवरी 1997 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 1997)।

2.5 बिक्रियां छिपाना

(i) हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत जारी किए गए (अप्रैल 1978) विभागीय अनुदेशों के अनुसार निर्धारण को अन्तिम रुप देते समय निर्धारण प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह सरकारी कार्यालयों जैसे कि आय-कर, नागरिक आपूर्ति, लोक निर्माण, उद्योग आदि से एकत्रित किन्ही आंकड़ों की परस्पर जांच करके स्वयं यह सुनिश्चित करे कि व्यापारी द्वारा किये गये सभी क्रयों तथा विक्रयों को उपयुक्त रुप से लेखाबद्ध कर लिया गया है। यदि किसी व्यापारी ने अपने क्रयों अथवा विक्रयों को छिपाने के उद्देश्य से मिथ्या या अशुद्ध लेखाओं का अनुरक्षण किया है तो वह शास्तिस्वरुप (निर्धारित कर के अतिरिक्त) उस राशि का देनदार है जो उसके लिए निर्धारित या निर्धारणयोग्य कर राशि के 25 प्रतिशत से कम किन्तु डेढ़ गुणा से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक कर अदा करने में विफल रहता है तो उसे देय कर पर एक मास की अवधि के लिए एक प्रतिशत प्रतिमास की दर से तथा उसके बाद भुगतान न करने तक डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

आयकर विभाग से एकत्रित सूचना के अनुसार यह देखा गया कि एक व्यापारी ने वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान 23.95 लाख रु0 की बिक्री घोषित की तथा इस बिक्री पर आधारित आय पर आयकर का भुगतान किया। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला के अभिलेखों के साथ सूचना की परस्पर जांच से उद्घाटित हुआ कि व्यापारी ने उन वर्षों के दौरान (जुलाई 1996) 1.07 लाख रु0 की कुल बिक्री प्रकट की थी। इस प्रकार व्यापारी ने 22.88 लाख रु0 की बिक्रियां छिपाईं जिन पर 3.16 लाख रु0 का कर उद्ग्राह्य था (शास्ति: 45,765 रु0 तथा ब्याज: 87,168 रु0 जोड़कर)।

मामला लेखापरीक्षा में इंगित (जुलाई 1996) किए जाने पर विभाग ने बताया (जून 1997) कि रियायती दरों पर 1.08 लाख रु0 की अतिरिक्त मांग, प्रमाणपत्रों के आधार पर सृजित की गई थी जो कि प्रारम्भिक निर्धारण के समय प्रस्तुत नहीं किए गए थे। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1997)।

(ii) हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत बिक्री में नकदी हेतु या आस्थगित भुगतान हेतु अथवा किसी अन्य बहुमूल्य प्रतिफल हेतु माल सम्पत्ति का हस्तान्तरण और निर्माण कार्य संविदा के निष्पादन में अन्तःग्रस्त माल सम्पत्ति (चाहे माल के रुप में हो अथवा किसी अन्य रुप में) सम्पत्ति का हस्तान्तरण शामिल होता है। यदि अपनी बिक्री अथवा खरीद को छिपाने के उद्देश्य से किसी व्यापारी ने मिथ्या या अशुद्ध लेखाओं का अनुरक्षण किया है तो वह शास्तिस्वरुप (निर्धारित कर के अतिरिक्त) उस राशि का देनदार है जो उसके लिए निर्धारित या निर्धारण योग्य कर राशि के 25 प्रतिशत से कम किन्तु डेढ गुणा से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक कर का भुगतान नहीं करता है तो उसे देय कर पर एक मास की अवधि के लिए एक प्रतिशत प्रतिमास की दर से तथा उसके बाद भुगतान न करने तक डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

आयकर विभाग से एकत्रित सूचना के अनुसार यह देखा गया कि एक ठेकेदार ने वर्ष 1992-93 के दौरान ठेके पर लिए गए कार्य के निष्पादन में 13.16 लाख रु0 मूल्य की सामग्री का हस्तान्तरण किया। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन के अभिलेखों के साथ सूचना की परस्पर जांच से पता चला (सितम्बर 1996) कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत व्यापारिक लेखे में ठेकेदार ने ठेके पर लिए गए कार्य के निष्पादन में हस्तान्तरित सामग्री का मूल्य 4.57 लाख रु0 दर्शाया था। इस प्रकार व्यापारी ने 8.59 लाख रु0 की बिक्री (सामग्री का मूल्य) छिपाई जिस पर 68,697 रु0 का कर तथा 41,907 रु0 का ब्याज उद्ग्राह्य था। इसके अतिरिक्त 17,174 रु0 की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

यह तथ्य लेखापरीक्षा में विभाग को इंगित किया गया (सितम्बर 1996) तथा सरकार को नवम्बर 1996 में सूचित किया गया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1997)।

2.6 कर का अवनिर्धारण

(i) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अनुसार माल की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर (घोषित माल को छोड़कर) 10 प्रतिशत या राज्य बिक्री कर कानून के अन्तर्गत राज्य में ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर लागू दर में जो भी उच्चतर हो कर उद्ग्राहय है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक कर का भुगतान नहीं करता है तो चूक की अवधि के लिए उसे देय कर पर एक प्रतिशत प्रतिमास तथा उसके बाद डेढ प्रतिशत प्रतिमास की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1996) कि भारत में निर्मित विदेशी शराब के उत्पादन तथा बिक्री में लगे हुए एक व्यापारी ने वर्ष 1990-91 के दौरान ("ग" प्रपत्र प्रस्तुत किए बिना) 7.20 लाख रु० की अन्तर्राज्यीय बिक्रियां की, जिन पर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा गलती से 10 प्रतिशत कर लगाया गया था जबकि राज्य में ऐसी बिक्रियों पर 25 प्रतिशत कर देय था। इसके परिणामस्वरुप 1.08 लाख रु० के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ। कर की अल्प अदायगी के कारण 1.05 लाख रु० का ब्याज भी (सितम्बर 1996 तक) उद्ग्राह्य था।

मामला लेखापरीक्षा में विभाग को इंगित (सितम्बर 1996) किया गया तथा नवम्बर 1996 में सरकार को सूचित किया गया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1997)।

(ii) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत जारी (जुलाई 1978) की गई एक अधिसूचना के अनुसार पंजीकृत व्यापारियों को लघु औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादित तथा बिक्रीत किए गए माल की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर प्रथम पांच वर्षों के दौरान कर योग्य कुल बिक्री पर एक प्रतिशत की दर से तथा अगले पांच वर्षों की अवधि के दौरान दो प्रतिशत की दर से कर देय था बशर्ते प्रपत्र "ग" में अपेक्षित घोषणाएं प्रस्तुत की गई हों। 11 अप्रैल 1991 से कर की दर एक प्रतिशत तक संशोधित की गई। प्रपत्र "ग" को प्रस्तुत न करने की स्थिति में 10 प्रतिशत की दर से कर उद्ग्राह्य था। यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक कर का भुगतान करने में असफल रहता है तो उसे देय कर पर एक मास की अवधि हेतु एक प्रतिशत प्रतिमास की दर से तथा उसके बाद चूक जारी रहने तक डेढ प्रतिशत प्रतिमास की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सिरमौर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1996) कि पांच वर्षों की दूसरी अवधि के दौरान नालीदार पेटियों के विनिर्माण में लगी हुई एक औद्योगिक इकाई की वर्ष 1991-92 की 3.73 लाख रु० की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर निर्धारण अधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत के स्थान पर एक/दो प्रतिशत कर लगाया गया था, जबकि प्रपत्र "ग" में किसी प्रकार की घोषणा प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरुप 31,329 रु० के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ। कर की अल्प अदायगी के कारण 26,135 रु० का ब्याज भी (दिसम्बर 1996 तक) उद्ग्राह्य था।

यह मामला विभाग को इंगित (दिसम्बर 1996) किया गया तथा जनवरी 1997 में सरकार को सूचित किया गया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1997)।

2.7 रियायत वापस न लेने के कारण कर का अल्पोद्ग्रहण

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत जारी जुलाई 1978 की एक अधिसूचना के माध्यम से लघु औद्योगिक इकाइयों को, जो कि 7 प्रतिशत की दर से करयोग्य माल का विनिर्माण कर रही थी, कुछ शर्तों के आधार पर प्रथम पांच वर्षों के लिए 2 प्रतिशत तथा अगले पांच वर्षों के लिए 4 प्रतिशत की दर से कर अदा करने की अनुमति दी गई। शर्तों में से

एक में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित था कि इकाई को उस अवधि जिसके लिए पहले ही रियायत ली जा चुकी थी के बराबर अगली अवधि के लिए कार्य करते रहना चाहिए, जिसके विफल रहने पर उस राशि के बराबर कर देय था जो उक्त अवधि के दौरान दिया जाना था यदि ऐसी रियायत नहीं मिलती। 1 अप्रैल 1991 से कर की रियायती दर प्रथम पांच वर्षों के लिए 2.5 प्रतिशत तथा अगले पांच वर्षों के लिए 4.5 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई। इसके अतिरिक्त यदि व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर अदा नहीं करता तो वह देय कर पर एक मास की अवधि तक एक प्रतिशत प्रतिमास की दर से तथा उसके बाद डेढ प्रतिशत प्रतिमास की दर से चूक की अवधि तक ब्याज अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(क) सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, चम्बा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1995 तथा सितम्बर 1996) कि तीन लघु औद्योगिक इकाइयों, जिन्होनें जनवरी 1978, फरवरी 1978 तथा अप्रैल 1986 में उत्पादन शुरु किया था, ने वर्ष 1978-79 से 1980-81 तथा 1987-88 की अवधि के दौरान 20.60 लाख रु0 की छत बनाने वाली स्लेटों की बिक्री की तथा जिन पर 2 प्रतिशत की रियायती दर से कर लगाया गया। निर्धारण अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि दो इकाइयों ने 31 मार्च 1981 के बाद तथा एक इकाई ने 30 सितम्बर 1991 से उत्पादन बन्द कर दिया और इस प्रकार उस अपेक्षित अवधि हेतु जिसके लिए रियायत ली गई थी, कार्य करने में विफल रही। वर्ष 1978-79 से 1980-81 तथा 1987-88 के दौरान पहले से ही दी गई रियायत वापस लेने में निर्धारण अधिकारी की विफलता के परिणामस्वरुप 5 प्रतिशत की अन्तरीय दर से निकाले गए 1.13 लाख रु0 (10,301 रु0 के अधिभार सहित) के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

यह मामला लेखापरीक्षा में विभाग को (दिसम्बर 1995 तथा सितम्बर 1996 के मध्य) सूचित किया गया तथा सरकार को (जनवरी 1996 तथा नवम्बर 1996) प्रतिवेदित किया गया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1997)।

(ख) सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1994) कि एक लघु औद्योगिक इकाई जिसने दिसम्बर 1986 में उत्पादन शुरू किया था, वर्ष 1986-87 से 1992-93 की अवधि के दौरान 14.07 लाख रु0 की हौजरी माल का विक्रय किया तथा इस पर 2 प्रतिशत (1986-87 से 1990-91: 9.17 लाख रु0), 2.5 प्रतिशत (1 अप्रैल 1991 से दिसम्बर 1991: 1.88 लाख रु0) और 4.5 प्रतिशत (जनवरी 1992 से मार्च 1993: 3.02 लाख रु0) की रियायती दरों से कर लगाया गया था। लेखापरीक्षा में निर्धारण अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि इकाई ने मार्च 1994 में उत्पादन बन्द कर दिया तथा इस प्रकार उस अपेक्षित अवधि हेतु जिसके लिए रियायत ली गई थी, कार्य करने में विफल रही। वर्ष 1986-87 से 1992-93 के दौरान पहले से ही दी गई रियायत वापस लेने में निर्धारण अधिकारी की विफलता के परिणामस्वरुप 1.23 लाख रु0 (51,933 रु0 के ब्याज सहित) के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा में इस तथ्य को सूचित किये जाने पर (दिसम्बर 1994) आबकारी एवं कराधान अधिकारी ने अवगत कराया (जनवरी 1997) कि पुनर्निर्धारण (अक्तूबर 1995) पर 1.35 लाख रु0 की अतिरिक्त मांग की गई थी। वसूली की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1997)।

यह मामला फरवरी 1995 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया जिसके लिए मार्च 1995 तथा मई 1997 में स्मरणपत्र जारी किए गए। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1997)।

2.8 क्रय छिपाने के कारण कर का अनुद्ग्रहण

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत जारी किए गए (अप्रैल 1978) विभागीय अनुदेशों के अनुसार निर्धारण को अन्तिम रुप देते समय निर्धारण अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह व्यापारी के लेखाओं की जांच करके यह सुनिश्चित करे कि व्यापारी द्वारा की गई सभी खरीदें तथा बिंक्रियां उपयुक्त रुप से लेखाबद्ध कर ली गई हैं। यदि व्यापारी ने अपनी बिक्रियों अथवा खरीदों को छिपाने के उद्देश्य से मिथ्या या अशुद्ध लेखाओं का अनुरक्षण किया है तो वह शास्तिस्वरुप (निर्धारित कर के अतिरिक्त) उस राशि का देनदार है जो उसके लिए निर्धारित या निर्धारणयोग्य कर राशि के 1990-91 तक 10 प्रतिशत तथा उसके बाद 25 प्रतिशत से कम किन्तु डेढ गुणा से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त, यदि व्यापारी निर्धारित तिथि तक कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे देय कर पर एक मास की अवधि हेतु एक प्रतिशत प्रतिमास तथा उसके बाद चूक जारी रहने तक डेढ प्रतिशत् प्रतिमास की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जनवरी 1996 तथा सितम्बर 1996 में) कि दो व्यापारियों के वर्ष 1990-91 तथा 1994-95 के निर्धारणों को उनके द्वारा प्रकट 4.15 लाख रु0 के क्रयों के आधार पर अन्तिम रुप दिया गया (सितम्बर 1995 तथा मार्च 1996) था। अभिलेख में रखी गई बैरियर पर्चियों (एस0टी0-xxvi-क) की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि इन वर्षों के दौरान व्यापारियों ने वास्तव में 13.01 लाख रु0 का माल खरीदा था। इस प्रकार व्यापारियों ने अपने 9.34 लाख रु0 (5/10 प्रतिशत लाभ, माल भाड़ा आदि जोड़ने के बाद) के क्रयों को छिपाया। अभिलेखों में बैरियर पर्चियों के उपलब्ध होनें पर भी विभाग की सत्यापन में विफलता के परिणामस्वरुप 1.22 लाख रु0 (न्यूनतम शास्ति: 0.18 लाख रु0 तथा ब्याज: 0.27 लाख रु0 जोड़कर) के कर का अनुद्ग्रहण हुआ है जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

जिला का नाम	व्यापारियों की संख्या	निर्धारण वर्ष	व्यापारिक लेखे में व्यापारी द्वारा प्रकट क्रय	बैरियर पर्चियों (एस0टी0XXVI-क) की परस्पर जांच के अनुसार क्रय	5/10 प्रतिशत लाभ, मालभाड़ा आदि जोड़ने के बाद छिपाए हुए क्रय	कर, अधिभार, न्यूनतम शास्ति तथा ब्याज की उद्ग्राह्य राशि
सोलन	1	1990-91	0.89	1.88	1.09	0.23
	1	1994-95	3.26	11.13	8.25	0.99
जोड़	2		**4.15**	**13.01**	9.34	**1.22**

उपर्युक्त मामले जनवरी 1996 तथा सितम्बर 1996 में विभाग को सूचित किये गय थे। लेखापरीक्षा में प्रथम मामले की नवीनतम स्थिति की समीक्षा करते समय (सितम्बर 1996) विभाग ने बताया कि पुनर्निर्धारण पर अतिरिक्त मांग की गई थी। वसूली की रिपोर्ट तथा अन्य मामले के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1997)।

ये मामले सरकार को फरवरी 1996 तथा नवम्बर 1996 में प्रतिवेदित किए गए। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1997)।

2.9 गलत दरें लागू करने के कारण कर का अल्पोद्ग्रहण

(क) हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1968 के अन्तर्गत सैनिटरी फिटिंग्स, फर्नीचर तथा विद्युत उपकरणों पर 11 प्रतिशत की दर से कर देय है। पूर्वोक्त अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि यदि व्यापारी निर्धारित तिथि तक कर अदा नहीं करता है तो उसे देय कर पर एक मास की अवधि तक एक प्रतिशत प्रतिमास तथा उसके बाद चूक जारी रहने तक डेढ़ प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना होगा।

(i) जिला आबकारी एवं कराधान अधिकारी, किन्नौर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1996) कि एक व्यापारी के वर्ष 1993-94 के निर्धारण को 11 प्रतिशत की उचित दर के स्थान पर 8 प्रतिशत की दर से उसकी सैनिटरी फिटिंग्स, फर्नीचर तथा विद्युत उपकरणों की 12.86 लाख रु० की बिक्री पर कर लगाने के पश्चात् अंतिम रुप दिया गया था (जुलाई 1994)। इसके परिणामस्वरुप 38,569 रु० के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ जिस पर 14,282 रु० (मई 1996 तक) का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

मामला लेखापरीक्षा में विभाग को सूचित किया गया (मई 1996) तथा सरकार को जुलाई 1996 में प्रतिवेदित किया गया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1997)।

(ii) सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जनवरी 1996) कि एक व्यापारी के वर्ष 1991-92 से 1993-94 के निर्धारणों को 11 प्रतिशत की उचित दर के स्थान पर 8 प्रतिशत की दर से फर्नीचर की बिक्री क्रमशः 1.76 लाख रु०, 1.26 लाख रु० तथा 1.71 लाख रु० पर कर लगाने के पश्चात् अंतिम रुप दिया गया। इसके परिणामस्वरुप 14,220 रु० के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ जिस पर 6,782 रु० (दिसम्बर 1995 तक) का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जनवरी 1996) निर्धारण अधिकारी द्वारा मामले का पुनर्निर्धारण किया गया (जून 1996) तथा 23,770 रु० की अतिरिक्त मांग की गई। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1997)।

यह मामला सरकार को फरवरी 1996 में प्रतिवेदित किया गया।

(ख) हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत जारी की गई (फरवरी 1992) एक अधिसूचना के अनुसार प्रपत्र आर०एम०-1 के प्रति की गई बिक्रियों पर की 2 प्रतिशत की दर से कर उद्ग्राह्य था जिसे बाद में दिनांक 11 दिसम्बर 1992 की अधिसूचनानुसार घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, यदि व्यापारी ने निर्धारित तिथि तक देय कर अदा नहीं किया तो वह देय कर पर एक मास की अवधि तक एक प्रतिशत प्रतिमास तथा उसके बाद भुगतान न करने तक डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (मार्च 1996) कि परतदार सूती वस्त्रों, पी०वी०सी० तथा चर्म वस्त्रों, पी०वी०सी० फिल्म शीटिंग आदि के विनिर्माण तथा विक्रय में कार्यरत एक व्यापारी ने प्रपत्र आर०एम०-I के प्रति 27.50 लाख रु० मूल्य की मशीनरी की आन्तरिक बिक्रियां की (अगस्त 1992)। निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 1992-93 के निर्धारण को अन्तिम रुप देते समय इस बिक्री पर गलती से 2 प्रतिशत की उचित दर के स्थान पर 1 प्रतिशत की दर से कर लगाया। कर की गलत दर लागू करने के परिणामस्वरुप 27,500 रु० के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ। इस पर 14,300 रु० का ब्याज (मार्च 1996 तक) भी उद्ग्राह्य था।

लेखापरीक्षा (मार्च 1996) में यह मामला इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (अगस्त 1996) कि पुनर्निर्धारण पर 43,037 रु० की अतिरिक्त मांग जारी की गई थी तथा जिला प्रभारी को राशि वसूल करने के लिए निदेश दिए जा रहे थे। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1997)।

यह मामला सरकार को अप्रैल 1996 में सूचित किया गया था।

तीसरा अध्याय : राज्य आबकारी

	परिच्छेद	पृष्ठ
लेखापरीक्षा परिणाम	3.1	35
स्पिरिट का कम उत्पादन	3.2	35
पुनरासवन हानियां	3.3	37
निर्यात शुल्क का अल्पोद्ग्रहण	3.4	37

तीसरा अध्याय

राज्य आबकारी

3.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 1996-97 के दौरान की गई लेखापरीक्षा में राज्य आबकारी से सम्बद्ध अभिलेखों की नमूना जांच से 30 मामलों में 150.30 लाख रु0 के शुल्क के अनुद्ग्रहण तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं:-

		मामलों की संख्या	राशि (लाख रु0)
1.	यवरस/सीरे से स्पिरिट का कम उत्पादन	5	88.65
2.	पुनरासवन में नष्ट स्पिरिट पर शुल्क का अनुद्ग्रहण	2	11.34
3.	अन्य अनियमितताएं	23	50.31
	जोड़	**30**	**150.30**

वर्ष 1996-97 में सम्बद्ध विभाग ने 16 मामलों में 27.85 लाख रु0 के अवनिर्धारण इत्यादि स्वीकार किए जिनमें से 25.88 लाख रु0 के 6 मामले वर्ष 1996-97 के दौरान लेखापरीक्षा में सूचित किए गए थे और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में सूचित किए थे। इसमें सबसे पूर्ववर्ती वर्ष 1993-94 था। 69.85 लाख रु0 के वित्तीय प्रभावयुक्त महत्वपूर्ण टिप्पणियों को उजागर करने वाले कुछ मामले सोदाहरण निम्नांकित परिच्छेदों में दिए गए हैं।

3.2 स्पिरिट का कम उत्पादन

(क) पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (हिमाचल प्रदेश को यथाप्रयोज्य) के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की गई एक सरकारी अधिसूचना (जून 1979) तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अनुसार 19 कि0 ग्रा0 जौ से 8,200 प्रूफ लीटर स्पिरिट का उत्पादन होना अपेक्षित है लेकिन यदि निर्धारित मानकों से कम उत्पादन पाया जाता है तो अधिनियम/नियमों में गिरावट पर शुल्क या शास्ति के उद्ग्रहणार्थ कोई प्रावधान नहीं हैं।

सोलन एवं ऊना के सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (अप्रैल 1996 तथा मार्च 1997) कि 1994-95 व 1995-96 वर्षों में स्पिरिट उत्पादन में लगी दो इकाइयों ने 26,51,900 कि0ग्रा0 जौ से प्रत्याशित 11,44,504 प्रूफ लीटर

स्पिरिट उत्पादन के प्रति 10,62,635 प्रूफ लीटर स्पिरिट का उत्पादन किया जिससे 81,869 प्रूफ लीटर स्पिरिट का कम उत्पादन हुआ। यदि विहित मानक प्राप्त/लागू किए गए होते तो सरकार ने आबकारी शुल्क के माध्यम से निम्नांकित विवरणानुसार 24.56 लाख रु0 का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया होता:-

इकाई का नाम	वर्ष	प्रयुक्त जौ	मानकों के अनुसार अपेक्षित उत्पादन	स्पिरिट उत्पादन	उत्पादन में गिरावट	30 रु0 प्रति प्रूफ लीटर की दर से आबकारी शुल्क
		किलोग्राम में	--------------	प्रूफलीटर	---------------	(रुपए)
कसौली आसवनी	1995-96	21,83,000	9,42,186.800	8,67,061.8	75,075.000	22,52,250.00
रांगड़ मद्यनिर्माण-शाला लिमिटेड, मेहतपुर	1994-95	4,68,900	2,02,367.360	1,95,574.0	6,793.360	2,03,800.80
	योग	26,51,900	11,44,504.160	10,62,635.8	81,868.360	24,56,050.80

लेखापरीक्षा में यह सूचित करने (अप्रैल 1996 व मार्च 1997) पर विभाग ने बताया (अगस्त 1996) कि मेहतपुर का मामला आगामी कार्रवाई हेतु आबकारी (उत्तरी अंचल) समाहर्ता को प्रेषित किया गया था। दूसरे मामले में आगामी रिपोर्ट व उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 1997)।

यह मामला अप्रैल 1996 व अप्रैल 1997 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 1997) था।

(ख) हिमाचल प्रदेश में यथाप्रयोज्य पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 के अनुसार 100 लीटर सीरे के घोल से 12 प्रूफ लीटर स्पिरिट बननी चाहिए। नियमों में पुनः व्यवस्था है कि 454.6 लीटर घोल की तैयारी के लिए 1.49 क्विंटल सीरा अपेक्षित है। इस प्रकार प्रति क्विंटल सीरे से 36.61 प्रूफ लीटर स्पिरिट बनती है।

सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, ऊना की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (अप्रैल 1996) कि ऊना जिले में एक आसवनी ने पंजाब आसवनी नियमों में निर्धारित मानकों के अनुसार वर्ष 1994-95 के दौरान 59617.80 क्विंटल सीरे से 2182607.7 प्रूफ लीटर स्पिरिट के प्रत्याशित उत्पादन के प्रति 1946081.4 प्रूफ लीटर स्पिरिट का उत्पादन किया। 236526.2 प्रूफ लीटर स्पिरिट की गिरावट ने सरकार को 28.38 लाख रु0 के आबकारी शुल्क से वंचित रखा, जो मानक लब्ध होने पर प्रोद्भूत हो गया होता।

विभाग तथा सरकार को यह अप्रैल 1996 में इंगित तथा प्रतिवेदित किया गया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1997)।

3.3 पुनरासवन हानियां

हिमाचल प्रदेश में यथाप्रयोज्य पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित किए गए, में स्पिरिट के पुनरासवन विधायन के दौरान क्षय हेतु मानकों का कोई प्रावधान नहीं था। अपील के एक मामले में आबकारी एवं कराधान आयुक्त व वित्तायुक्त (आबकारी) ने निर्णय दिया (अक्तूबर 1995) कि पुनरासवन की प्रक्रिया के दौरान स्पिरिट की हानि पर आबकारी शुल्क का उद्ग्रहण किया जाएगा।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (मार्च 1997) कि एक मद्यनिर्माणशाला तथा बोतलीकरण संयंत्र में वर्ष 1995-96 के दौरान पुनरासवन प्रक्रिया में 62147 प्रूफ लीटर स्पिरिट नष्ट हुई, जबकि नियमों के अन्तर्गत विधायन में कोई क्षय अनुमत्य नहीं था और इस मात्रा पर भी आबकारी शुल्क उद्ग्राह्य था। उपरोक्त मद्यनिर्माणशाला तथा बोतलीकरण संयंत्र में नष्ट हुई स्पिरिट की प्रतिशतता कुल आसवित स्पिरिट के 1.35 से 2.57 के मध्य थी। वित्तायुक्त (आबकारी) के निर्णय (अक्तूबर 1995) की दृष्टि से विभाग ने 9.32 लाख रु0 के आबकारी शुल्क न लगाने में स्पष्टतः गलती की थी।

लेखापरीक्षा में यह विभाग को सूचित (मार्च 1997) तथा सरकार को अप्रैल 1997 में प्रतिवेदित किया गया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1997)।

3.4 निर्यात शुल्क का अल्पोद्ग्रहण

पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (हिमाचल प्रदेश में यथाप्रयोज्य) के अन्तर्गत 1994-95 तथा 1995-96 वर्षों हेतु जारी आबकारी उद्घोषणाओं के अनुसार जौ से बनी स्पिरिट पर 1.50 रु0 प्रति प्रूफ लीटर की दर से निर्यात शुल्क उद्ग्राह्य था।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (जून 1995 तथा मार्च 1997) कि सोलन जिले में 1994-95 तथा 1995-96 के वर्षों के दौरान एक मद्यनिर्माणशाला द्वारा राज्य से बाहर 15.18 लाख प्रूफ लीटर जौ की स्पिरिट का निर्यात किया गया। 1.50 रु0 प्रति प्रूफ लीटर की सही दर की बजाय निर्यात शुल्क एक रु0 प्रति प्रूफ लीटर की दर से वसूल किया गया था। इसके परिणामस्वरुप 7.59 लाख रु0 के निर्यात शुल्क की अल्प वसूली हुई।

यह मामला विभाग को लेखापरीक्षा में सूचित (जून 1995 तथा मार्च 1997) तथा जून 1995 व अप्रैल 1997 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1997)।

चौथा अध्याय : वाहन, माल तथा यात्री कर

	परिच्छेद	पृष्ठ
लेखापरीक्षा परिणाम	4.1	41
यात्री एवं माल कराधान अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारण	4.2	41
एकमुश्त सांकेतिक कर का अवनिर्धारण/ अल्प निर्धारण	4.3	51

चौथा अध्याय

वाहन, माल तथा यात्री कर

4.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 1996-97 के दौरान की गई लेखापरीक्षा में विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से कर के अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण तथा अन्य अनियमितताओं से सम्बन्धित 152.68 लाख रु0 की राशि से युक्त 194 मामले उद्घाटित हुए, जो मुख्यत: निम्नांकित श्रेणियों में आते हैं:-

			मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपए)
1.	अनुद्ग्रहण या अल्पोद्ग्रहण			
	(i)	सांकेतिक कर	121	58.84
	(ii)	यात्री एवं माल कर	51	56.75
2.	अन्य अनियमितताएं			
	(i)	वाहन कर	17	6.79
	(ii)	यात्री एवं माल कर	5	30.30
	जोड़		**194**	**152.68**

वर्ष 1996-97 के दौरान सम्बद्ध विभागों ने 171 मामलों से अन्त:ग्रस्त 126.13 लाख रु0 के अल्पनिर्धारण आदि स्वीकार किए, जो पूर्व वर्षों में सूचित किए गए थे तथा सबसे पूर्व वर्ष 1972-73 था। "यात्री एवं माल कर कराधान अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारण" पर लेखापरीक्षा द्वारा की गई समीक्षा के परिणाम तथा 106.71 लाख रु0 के वित्तीय प्रभाव को अन्त:ग्रस्त करने वाली महत्वपूर्ण टिप्पणियों की मुख्य विशेषता को दशनि वाला एक उदाहरणात्मक मामला निम्न परिच्छेदों में दिया गया है।

4.2 यात्री एवं माल कराधान अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारण

4.2.1 प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश यात्री तथा माल कराधान अधिनियम 1955 एवं हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान नियमावली, 1957 में संचालकों को भुगतानयोग्य किरायों व मालभाड़ों पर आधारित राज्य में स्टेज तथा कान्ट्रैक्ट कैरेज तथा पब्लिक कैरियर वाहनों द्वारा ले जाए गए यात्रियों एवं ढ़ोए गये माल पर कर उद्ग्रहण करने का प्रावधान है। अधिनियमान्तर्गत स्टेज तथा कान्ट्रैक्ट कैरेज के स्वामियों को कर के 20 प्रतिशत की दर से अधिभार भी भुगतानयोग्य है। यात्री कर स्टैम्पों अथवा नकदी के रुप में दिया जा सकता है जबकि माल कर केवल नकद ही देय है। निर्धारित अवधियों के भीतर कर देने की विफलता शास्ति आकर्षित करती है।

1 अक्तूबर 1990 से आरम्भ एक मुश्त राशि के आधार पर कर निर्धारण एवं भुगतान के ढंग को स्टेज कैरेज के स्वामियों ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायालय ने निर्णय दिया (अक्तूबर 1992) कि एक मुश्त राशि निर्धारण तथा कर-भुगतान अवैध है और यह निर्देश दिया कि विभाग वास्तविक आधार पर यात्री एवं माल कर की वसूली करें। राज्य सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर दी (दिसम्बर 1992)। उच्चतम न्यायालय ने अपने अन्तरिम आदेश में यह माना (फरवरी 1993) कि कर-संग्रहण वास्तविक आधार पर किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायलय ने अपने उत्तरवर्ती आदेश में राज्य सरकार को एक मुश्त आधार पर कर वसूल न करने तथा उसे उसी नियमावली के नियम 9(ii) के उपबन्धों के अन्तर्गत वसूल करने का निर्देश दिया (फरवरी 1994)। उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय संवैधानिक पीठ को प्रेषित कर दिया (जुलाई 1995) जिसका निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1997)। आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश ने उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय, के निर्णय/अन्तरिम आदेश को अनुपालनार्थ समस्त जिलों के आबकारी तथा कराधान कार्यालयों में क्रमशः 19 अक्तूबर 1992, 18 मार्च 1993 तथा जनवरी 1995 को परिचालित किए थे।

4.2.2 संगठनात्मक ढांचा

माल एवं यात्री कर कानून एवं नियम आबकारी तथा कराधान आयुक्त के नेतृत्व में आबकारी तथा कराधान विभाग द्वारा लागू किए जाते हैं। उसकी सहायता दक्षिण तथा उत्तर क्षेत्र के लिए संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त तथा दो उप आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा जिला स्तर पर सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, आबकारी एवं कराधान अधिकारियों तथा निरीक्षणालय के स्टाफ द्वारा की जाती है जिन्हें अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न शक्तियां प्रदान की गई हैं।

4.2.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

यात्री एवं माल कर कराधान के निर्धारण एवं संग्रहण से सम्बन्धित क्रियाविधि तथा प्रणाली की दक्षता व प्रभाव के मूल्यांकनार्थ ग्यारह जिला आबकारी एवं कराधान कार्यालयों में से आठ* के अभिलेखों की वर्ष 1991-92 से 1995-96 तक की नमूना जांच जुलाई 1996 से फरवरी 1997 के बीच की गई थी।

4.2.4 प्रमुख बातें

(i) वाहन स्वामियों द्वारा 1991-92 से 1995-96 तक की अवधि के लिए मासिक विवरणियों को प्रस्तुत न करने के कारण 7.29 लाख रु० शास्ति वसूल की जा सकती थी।

[परिच्छेद 4.2.6 (क)]

---

* बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, सोलन तथा ऊना

(ii) आबकारी एवं कराधान विभाग के पास 531 टैक्सियों तथा 323 माल वाहनों का पंजीयन न करने के फलस्वरुप 1991-92 से 1995-96 तक की अवधि के लिए यात्री कर व माल कर की क्रमश: 8.99 लाख रु0 तथा 5.69 लाख रु0 की राशियों की वसूली नहीं हुई। आबकारी एवं कराधान विभाग के पास वाहनों का पंजीयन करने में विफलता के कारण 4.27 लाख रु0 तक की शास्ति का उद्ग्रहण भी किया जा सकता था।

(परिच्छेद 4.2.7)

(iii) 15 अक्तूबर 1994 तथा मार्च 1995 तक की अवधि की मासिक विवरणियों की संवीक्षा से यात्री कर तथा अधिभार की 25.55 लाख रु0 की राशि कम जमा कराई गई उद्घाटित हुई।

[परिच्छेद 4.2.9 (क)]

(iv) 1993-94 तथा 1995-96 की अवधि का 45.61 लाख रु0 का यात्री कर तथा अधिभार या तो जमा नहीं कराया गया था या कम जमा कराया गया था।

[परिच्छेद 4.2.10(क)]

4.2.5 राजस्व प्रवृत्ति

मार्च 1996 को समाप्त गत चार वर्षों के बजट आकलनों तथा उनके प्रति यात्री तथा माल कर की प्राप्तियों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	बजट प्राक्कलन	वास्तविक आंकड़ें	आधिक्य(+) कमी (-)	अन्तर प्रतिशतता
	(करोड़ रुपए)			
1991-92	26.00	26.98	(+)0.98	4
1992-93	25.34	28.63	(+)3.29	13
1993-94	32.65	35.22	(+)2.57	8
1994-95	33.80	39.77	(+)5.97	18
1995-96	48.00	45.80	(-)2.20	5

उपरोक्त सारणी यह प्रदर्शित करती है कि वर्ष 1991-92 तथा 1994-95 के दौरान राजस्व में वृद्धि 4 प्रतिशत से 18 प्रतिशत के बीच थी तथा वर्ष 1995-96 के दौरान राजस्व संग्रहण में 5 प्रतिशत की कमी थी।

लेखापरीक्षा में (अगस्त 1996) इस तथ्य के इंगित करने पर विभाग ने बताया कि राजस्व संग्रहण में वृद्धि यात्री कर की दर में तथा माल कर पर एक मुश्त राशि में वृद्धि के कारण थी। विभाग ने वर्ष 1995-96 के दौरान कर में कमी का कारण कथित रुप से पूर्व तीन वर्षों की वास्तविक प्राप्तियों की अपेक्षा वर्ष 1995-96 के लिए आकलनों का उच्चतर निर्धारण बताया था।

यद्यपि प्राप्तियां 1995-96 के दौरान 15 प्रतिशत बढ़ गई तथापि ये मुख्यतः हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा पर्याप्त राशियों का भुगतान न करने के कारण लक्ष्यों से कम रहीं।

4.2.6 विवरणियां एवं निर्धारण

हिमाचल प्रदेश यात्री तथा माल कराधान नियमावली, 1957 के अधीन मोटर वाहन के स्वामी द्वारा यात्री कर कोषागार में मासान्त के सात दिवसों के भीतर जमा करवाना अनिवार्य है जिसमें कर संगृहीत किया गया है। स्वामी से मासान्त के दस दिनों के भीतर, जिससे भुगतान सम्बद्ध है, निर्धारित फार्म में विवरणी को निर्धारण प्राधिकारी को भेजना भी अपेक्षित है। माल कर चालान के माध्यम से चार सम त्रैमासिक किश्तों में एकमुश्त राशि में देय है तथा प्रत्येक किश्त सम्बद्ध त्रैमासिक के 30 दिनों के अन्दर देय है। निर्धारण प्राधिकारी को स्वामी द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणियों अथवा इस आशय हेतु दिए गए किसी अन्य साक्ष्य के आधार पर देय कर की राशि को वर्ष के दौरान अथवा उसके अन्त में निर्धारण करना पड़ता है। जहां वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत विवरणियों से अथवा किसी अवधि के सम्बन्ध में दिए गए कर से निर्धारण प्राधिकारी सन्तुष्ट नहीं है तो वह ऐसे स्वामी को नोटिस देगा जिसमें विनिर्दिष्ट तिथि को तथा स्थान पर उससे व्यक्तिगत रुप से हाजिर होने अथवा किसी साक्ष्य को प्रस्तुत करने या करवाने, जिस पर ऐसा स्वामी ऐसी विवरणियों के समर्थन में विश्वास कर सके, की अपेक्षा की गई हो। इसके अतिरिक्त यदि स्वामी जारी किए गए नोटिस का अनुपालन करने में असफल रहता है तो निर्धारण प्राधिकारी स्वामी से कर अथवा अधिभार की वसूलीयोग्य राशि का अपने उत्तम निर्णयानुसार ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् तीन वर्षों के भीतर निर्धारण करेगा। हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम 1955 में भी यह प्रावधान है कि जो कोई अधिनियम के अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबन्ध का उल्लघंन करता है वह सौ रुपये से अधिक परन्तु पांच हजार रुपये से कम की शास्ति का उत्तरदायी होगा।

(क) विवरणियां

विवरणियां प्रस्तुत न करना

आठ* जिला आबकारी एवं कराधान कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि स्टेज कैरेजों के स्वामियों ने 1991-92 तथा 1995-96 के बीच की अवधि से सम्बन्धित 7,298 मासिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं की थी। विवरणियों के आमंत्रण हेतु जिला कार्यालयों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। विवरणियों को प्रस्तुत करने में विफलता के लिए शास्तिक उपबन्धों को लागू करने से 7.29 लाख रु० की शास्ति राशि (निर्धारित शास्ति की न्यूनतम राशि पर संगणित) वसूल की जा सकती थी।

---

* बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, सोलन तथा ऊना

इस तथ्य के इंगित किए जाने पर (जुलाई 1996 से फरवरी 1997 के बीच) जिला प्रभारियों (कांगड़ा को छोड़कर) ने बताया (जुलाई 1996 तथा फरवरी 1997) कि निर्धारित विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए चूककर्त्ताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। आगामी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1997)।

(ख) निर्धारण

निर्धारणों को अन्तिम रुप न देना

(i) 8 जिला आबकारी तथा कराधान कार्यालयों में रखे गए अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 1996 से तथा फरवरी 1997 के बीच) से उद्घाटित हुआ कि 1043 निर्धारण अन्तिम रुप दिए जाने के लिए लम्बित पड़े थे जैसा कि निम्न ब्यौरे में दिया गया है:-

वर्ष	वर्षारम्भ में मामलों की संख्या	निश्चित हुए निर्धारणों की संख्या	निर्धारणों की कुल संख्या	निर्धारित मामलों की संख्या	निर्धारित किए जाने वाले शेष	कुल निर्धारणों के प्रति निर्धारित मामलों की प्रतिशतता
1991-92	189	128	317	96	221	30.28
1992-93	221	271	492	119	373	24.19
1993-94	373	447	820	157	663	19.15
1994-95	663	371	1,034	155	879	15.00
1995-96	879	569	1,448	405	1,043	27.97

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि 1991-92 के आरम्भ में अन्तिम रुप दिए जाने के लिए लम्बित मामलों की संख्या 189 थी जो 1995-96 के अन्त में 1,043 तक हो गई और इस प्रकार 82 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि विभाग ने निर्धारणों को अन्तिम रुप देने के लिए पहले कोई प्रभावी पग नहीं उठाए थे जिसके परिणामस्वरुप सरकारी राजस्व का अवरोधन हुआ। यदि निर्धारणों को अन्तिम रुप नहीं दिया जाता है तो वे समय-सीमा से बाधित हो सकते हैं।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किए जाने पर सम्बद्ध प्राधिकारियों (जिला कांगड़ा के प्रभारी को छोड़कर) द्वारा यह बताया गया (जुलाई 1996 तथा फरवरी 1997 के बीच) कि स्वामियों को 'वास्तविक संग्रहण' के आधार पर विवरणियां प्रस्तुत करने तथा लम्बित निर्धारणों को अन्तिम रुप देने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आगामी रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई थीं (अगस्त 1997)।

(ii) यह देखा गया था कि पांच स्टेज कैरेजों (कांगड़ा: 2, कुल्लू: 2 तथा ऊना: 1) के वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 से सम्बद्ध निर्धारणों को निर्धारितियों द्वारा चुकाये गये एक मुश्त यात्री कर राशि के आधार पर अप्रैल 1995 तथा मार्च 1996 के बीच अन्तिम रुप दिया गया था यद्यपि एक मुश्त राशि के आधार पर कर भुगतान को 1 अक्तूबर 1992 से अवैध घोषित कर दिया गया था।

इस तथ्य के इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 1996 तथा फरवरी 1997 के बीच) जिला प्रभारी, ऊना ने बताया (दिसम्बर 1996) कि मामले को पुनः आरम्भ करना सार्थक नहीं होगा। कुल्लू जिले के प्रभारी ने बताया कि वास्तविक आधार पर निर्धारण करने के लिए स्वामियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। आगामी रिपोर्ट तथा कांगड़ा जिले का उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1997)।

4.2.7 आबकारी एवं कराधान विभाग के पास पंजीकृत न किए गए वाहन

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अधीन मोटरवाहनों के स्वामियों को अपने वाहन सम्बद्ध पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराना तथा मोटर वाहन कर का भुगतान करना आवश्यक है। स्टेज/कान्ट्रैक्ट कैरेजों तथा मालवाहनों के स्वामियों को भी हिमाचल प्रदेश यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1955 के अनुसार सम्बद्ध आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के पास अपने वाहन पंजीकृत कराने तथा मोटर वाहनों द्वारा ले जाए गए यात्रियों तथा परिवहन किए गए माल के सम्बन्ध में सभी किरायों तथा भाड़ों पर निर्धारित दरों से यात्री तथा माल कर का भुगतान करना आवश्यक है। पंजीकरणार्थ आवेदन करने में विफलता के लिए इस प्रकार निर्धारित कर या अधिभार की राशि के पांच गुणा तक की शास्ति भी उद्ग्राहय होगी बशर्ते कि वह न्यूनतम पांच सौ रुपए हो। मोटर वाहन कर परिवहन द्वारा लगाया जाता है जबकि यात्री एवं माल कर आबकारी तथा कराधान विभाग द्वारा लगाया जाता है। विभागीय अनुदेशानुसार (दिसम्बर 1984) आबकारी एवं कराधान अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे परिवहन विभाग के पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी के समन्वय से हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत यात्री एवं माल कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी समस्त वाहनों का पंजीकरण सुनिश्चित करें।

आठ जिलों के जिला आबकारी एवं कराधान कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि राज्य परिवहन प्राधिकारी, शिमला के पास पंजीकृत 531 टैक्सियों और सम्बद्ध रजिस्टरिंग तथा लाईसैंसिग प्राधिकारियों के पास पंजीकृत 323 माल वाहनों के सम्बन्ध में 1991-92 से 1995-96 तक की विभिन्न अवधियों के लिए वाहन स्वामियों द्वारा यात्री कर की 8.99* लाख रु0 (एक मुश्त राशि दरों पर संगणित, तथा माल कर की 5.69* लाख रु0 की राशि (एक मुश्त राशि दरों पर संगणित) सम्बद्ध कराधान प्राधिकारियों को नहीं दी गई थी क्योंकि ये वाहन हिमाचल प्रदेश यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1955 के अधीन यथापेक्षित आबकारी तथा कराधान विभाग के पास पंजीकृत नहीं थे। हिमाचल प्रदेश यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत पंजीकरणार्थ आवेदन करने में विफलता के लिए न्यूनतम शास्ति के 4.27 लाख रु0 भी उद्गृहीत किए जा सकते थे।

---

* परिच्छेद में दर्शाया गया वित्तीय प्रभाव केवल निदर्शनात्मक है तथा एक मुश्त राशि कर पर आधरित है क्योंकि वास्तविक संग्रहण से सम्बन्धित सूचनाभाव के कारण वास्तविक कर संगणित नहीं किया जा सका। वास्तविक आधार पर की गई संगणनाओं से इन आंकड़ो में परिवर्तन हो सकता है।

लेखापरीक्षा में इस तथ्य के इंगित किए जाने पर बिलासपुर, हमीरपुर तथा शिमला के जिला प्रभारियों ने बताया (अक्तूबर 1996 तथा दिसम्बर 1996 के बीच) कि उसी अधिनियम के अन्तर्गत वाहनों के पंजीकरण के लिए दोषी व्यक्तियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। जिला प्रभारी, कुल्लू ने बताया (जनवरी 1997) कि राज्य परिवहन प्राधिकारी से तथ्य सुनिश्चित किए जाएंगे जबकि सोलन जिले के सम्बन्ध में यह बताया गया था (अगस्त 1996) कि मामले की छानबीन की जा रही है। आगामी प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1997)। ऊना तथा कांगड़ा जिलो से उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1997)।

4.2.8 अपराधों से सम्बद्ध मामलों को अन्तिम रुप न देना

हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1955 की धारा 13 इस प्रयोजन के लिए नियोजित अधिकारियों तथा कर्मियों को अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के उपबन्धों का उल्लघंन करने के अपराध के मामलों का पता लगाने, यदि कोई हों, और वाहनों की जांच करने की शक्ति प्रदान करती है। पता लगाए गए अपराध के मामलों का निपटारा उसी अधिनियम की धारा 13-क एवं 14-क के अधीन किया जाना होता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति उसके अथवा उसके अन्तर्गत निर्मित किसी प्रावधान का उल्लघंन करता है तो वह सौ रुपये से अधिक परन्तु पांच हजार रुपये तक कर शास्ति का उत्तरदायी होगा।

आठ जिला आबकारी एवं कराधान कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 1991-92 तथा 1995-96 के बीच पता लगाए गए 20,184 मामलों में से, 3,568 मामले फरवरी 1997 तक निपटान की प्रतीक्षा में थे जैसाकि नीचे ब्यौरा दिया गया है:-

पता लगाने का वर्ष	पता लगाए गए मामलों की संख्या	निपटान हेतु लम्बित मामलों की संख्या
1991-92	4,126	883
1992-93	3,509	479
1993-94	3,652	538
1994-95	3,873	982
1995-96	5,024	686
जोड़	**20,184**	**3,568**

यह भी पाया गया था कि 3,568 मामलों में से 179 मामलों में (बिलासपुरः 13, हमीरपुरः 25, कांगड़ाः 67, कुल्लूः 12, सिरमौरः 28, सोलनः 12 तथा ऊनाः 22) उन्हीं वाहनों के स्वामियों द्वारा अपराध बार-बार दोहराए गए थे।

यदि विभाग ने अधिनियम के उपबन्धों का पालन किया होता तथा यथासमय मामलों का निर्णय लिया गया होता तो शास्ति के रुप में 3.57 लाख रु0 की न्यूनतम राशि वसूल हो गई होती।

लेखापरीक्षा में इस तथ्य के इंगित किए जाने पर (जुलाई 1996 तथा फरवरी 1997 के बीच) जिला प्रभारियों ने बताया कि चूककर्त्ताओं को नोटिस जारी कर दिए गए हैं परन्तु वे दोषी मामलों को अन्तिम रुप देने में सहयोग प्रदान नहीं कर रहे थे। लम्बित मामलों की आगामी प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (अगस्त 1997)।

4.2.9 गलत दरें लागू करने के कारण यात्री कर तथा अधिभार का अवनिर्धारण

राज्य सरकार ने दिनांक 14 अक्तूबर 1994 की दो अधिसूचनाओं द्वारा किराये की दर प्रति यात्री प्रति किलोमीटर (पहाड़ी सड़कें) 20.13 पैसे से बढ़ाकर 25.16 पैसे कर दी तथा यात्री कर की दर किराये की 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी।

(क) बिलासपुर, कांगड़ा तथा कुल्लू जिलों में 15 अक्तूबर 1994 तथा मार्च 1995 के बीच की अवधि की दाखिल की गई मासिक विवरणियों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि स्टेज कैरेजों के स्वामियों ने 15 अक्तूबर 1994 से प्रभावी किराये का 40 प्रतिशत देय यात्री कर बढ़ी हुई दर से नहीं दिया था। जिसके परिणामस्वरुप 25.55 लाख रु0 का राजस्व कम जमा कराया गया था।

इसके इंगित करने पर (जनवरी तथा फरवरी 1997) सम्बद्ध जिला अधिकारियों (कांगड़ा को छोड़कर) ने बताया कि स्वामियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आगामी सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1997)।

(ख) हिमाचल पथ परिवहन निगम की केलांग इकाई से सम्बन्धित वर्ष 1994-95 के निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ (जनवरी 1997) कि 15 अक्तूबर से 30 नवम्बर 1994 तक की अवधि के दौरान यात्री कर पुरानी दरों से जमा कराया गया था तथा मार्च 1996 में निर्धारण को अन्तिम रुप देते हुए निर्धारण प्राधिकारी द्वारा चूक का पता नहीं लगाया गया था। इसके परिणामस्वरुप बढ़ी हुई दरों को लागू न करने के कारण 2.91 लाख रु0 के यात्री कर तथा अधिभार का अवनिर्धारण किया गया था।

लेखापरीक्षा में इसके बताए लाने पर जिला प्रभारी ने बताया (जनवरी 1997) कि पुनर्निर्धारणार्थ नोटिस जारी किया जा चुका है। मामले की आगामी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1997)।

(ग) गोलथाई, नैनादेवी, गोविन्दघाट तथा मेहतपुर बैरियरों में रखे गए अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ (अगस्त 1996 तथा फरवरी 1997 के बीच) कि मोटर वाहनों द्वारा अक्तूबर 1994 तथा दिसम्बर 1995 के बीच ले जाए गए यात्रियों के सम्बन्ध में यात्री कर गलत दरों से वसूल किया गया था फलतः यात्री कर तथा अधिभार की अल्प वसूली हुई और इसके परिणामस्वरुप 39,589 रु0. (गोलथाई: 6,368 रु0, नैनादेवी: 19,719 रु0, गोविन्दघाट: 5,074 रु0 तथा मेहतपुर: 8,428 रु0) की राजस्व हानि हुई।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किए जाने पर सम्बद्ध बैरियरों (गोविन्दघाट को छोड़कर) के प्रभारियों ने बताया (अगस्त 1996 तथा मार्च 1997) कि मामलों की छानबीन की जाएगी तथा यदि कोई वसूली हुई तो वसूल की जाएगी। आगामी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1997)।

4.2.10 सरकारी धन का अनधिकृत अवरोधन

अधिनियम तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अन्तर्गत जहां कर तथा अधिभार का भुगतान टिकटों के बिना किया जाता है उस स्थिति में वाहन स्वामी से मासान्त के सात दिनों के बीच, जिसके दौरान उनका संग्रहण किया गया है, कोष में कर तथा अधिभार जमा करना अपेक्षित है। निर्धारित तिथियों तक कर तथा अधिभार का भुगतान जानबूझ कर न करने के लिए इस प्रकार निर्धारित कर तथा अधिभार की राशि के पांच गुणा तक, बशर्ते न्यूनतम राशि पांच सौ रुपये हो, की शास्ति भी उद्ग्राहय है। परन्तु हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 में सन्निविष्ट प्रावधान के सदृश इस अधिनियम में कर अथवा अधिभार के विलम्बित भुगतान पर ब्याज वसूल करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(क) लेखापरीक्षा के दौरान हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर तथा शिमला जिलों में यह पाया गया (जुलाई 1996 तथा फरवरी 1997 के बीच) कि 1993-94 तथा 1995-96 के बीच की अवधि में संगृहीत 45.61 लाख रु0 के यात्री कर तथा अधिभार संचालकों द्वारा या तो जमा नहीं कराए गए थे या कम जमा कराए गए थे जैसा कि नीचे ब्यौरे में दिया गया है:-

क्रम सं0	जिले का नाम	निगम/कम्पनी की इकाई का नाम	मासिक विवरणियों की अवधि/विविरणियों की संख्या	यात्री कर तथा अधिभार की संगृहीत राशि	जमा की गई राशि	न उगाही गई/कम जमा कराई गई राशि
				(लाख रुपए)		
1.	कांगड़ा	बैजनाथ	जुलाई 1995 तथा फरवरी 1996/2	19.11	--	19.11
2.	हमीरपुर	हमीरपुर	फरवरी 1996/2	10.75	0.13	10.62
3.	कुल्लू	मैसर्ज कुल्लू ट्रांसपोर्ट कम्पनी	1993-94/12	15.84	13.53	2.31
		--तदैव--	1994-95/12	14.58	8.99	5.99
		मैसर्ज कुल्लू वैली ऐक्स सर्विसमैन कोप्रैटिव सोसाइटी	1994-95/12	3.57	0.92	2.65
		--तदैव--	1995-96/12	3.96	2.10	1.86
		मैसर्ज कुल्लू वैली ड्राइवर्ज कोप्रैटिव ट्रांसपोट सोसाइटी	1994-95/12	2.70	2.10	0.60
4.	शिमला	मैसर्ज ननखरी ट्रांसपोर्ट यूनियन कम्पनी	1995-96/12	2.08	0.53	1.55
5.	सिरमौर	मैसर्ज राजकुमार शर्मा	अप्रैल 1994 से अक्तूबर 1995/19	1.40	0.08	1.32
		योग		**73.99**	**28.38**	**45.61**

जानबूझकर कर तथा अधिभार न देने के लिए 47,000 रु0 की न्यूनतम शास्ति का उद्ग्रहण किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा में इस तथ्य के इंगित किए जाने पर जिला प्रभारियों (कांगड़ा को छोड़कर) ने बताया कि नोटिस जारी किए जाएंगे तथा विधि के अन्तर्गत राशियों की वसूली हेतु यथापेक्षित कार्रवाई की जाएगी। आगामी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुए थी (अगस्त 1997)।

(ख) कुल्लू तथा शिमला जिलों में दाखिल की गई अप्रैल 1995, मई 1995, सितम्बर 1995 तथा दिसम्बर 1995 से फरवरी 1996 तक की मासिक विवरणियों की जांच करते हुए लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि (दिसम्बर 1996 तथा जनवरी 1997) कि कर तथा अधिभार के अनधिकृत रखान के लिए 1.26 लाख रु0 (हिमाचल पथ परिवहन निगम केलांग इकाई 0.20 लाख रु0; रामपुर इकाई: 0.80 लाख रु0; तथा कोप्रेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी कुल्लू: 0.26 लाख रु0) की शास्ति मई 1995, दिसम्बर 1995 तथा फरवरी 1996 में लगाई गई थी। यद्यपि कर तथा अधिभार की राशियां फरवरी तथा मार्च 1996 में वसूल की गई थी परन्तु शास्ति की राशियों की वसूली नहीं हुई थी (फरवरी 1997)।

इस तथ्य के लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर सम्बद्ध जिला प्रभारियों ने बताया (दिसम्बर 1996 तथा जनवरी 1997) कि शास्ति राशियों की वसूली हेतु नोटिस जारी किए जाएंगे। आगामी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1997)। केलांग इकाई के सम्बन्ध में उत्तर नहीं दिया गया था।

(ग) हिमाचल प्रदेश यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1955 में अधिनियमाधीन पारित आदेशों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के पास अपील करने की व्यवस्था है। अपील तब तक स्वीकार नहीं की जानी है जब तक निर्धारित कर तथा लगाई गई शास्ति की राशि यदि कोई है, का भुगतान नहीं किया गया है तथा अपील मूल आदेशों के पारित होने से साठ दिनों के बीच की गई हों। अपील स्वीकार की जा सकती है यदि अपील प्राधिकारी संतुष्ट है कि स्वामी भुगतान करने में असमर्थ है जिसके कारण लेखाबद्ध किए जाने चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की नालागढ़ इकाई के सम्बन्ध में दिसम्बर 1992 तथा जनवरी 1993 के प्रत्येक मास के लिए 4.17 लाख रु0 के यात्री कर तथा अधिभार 12 से 14 मास तक के विलम्बों के पश्चात् जमा कराए गए थे। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर जमा में असाधारण विलम्ब तथा विवरणियों को देरी से दाखिल करने के लिए शास्ति के कारण 51,182 रु0 की मांग 15 दिसम्बर 1994 में उठाई गई थी। इस मांग के विरुद्ध हिमाचल पथ परिवहन निगम ने 18 फरवरी 1995 को अपील दायर की। अपील प्राधिकारी ने मांग राशि को जमा करवाए बिना तथा ऐसा न करने के कारणों को लेखाबद्ध किए बिना 21 फरवरी 1995 (60 दिवसों की निश्चित अवधि की समाप्ति के पश्चात्) को अपील स्वीकार कर ली। यद्यपि अपील प्राधिकारी ने निर्धारण प्राधिकारी को इन निर्देशों के साथ मामला (इस आधार पर कि कर राशि जमा कराने के लिए निगम के पास पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं थीं) वापिस भेज दिया

(सितम्बर 1995) कि वह शास्ति की न्यूनतम राशि लगाते हुए अपने निर्धारण आदेश की समीक्षा करे। तदनुसार 500 रु० की न्यूनतम शास्ति राशि के साथ मामले का फरवरी 1996 में पुनर्निर्धारण किया गया।

शास्ति राशि को जमा करवाए बिना ही 60 दिवसों के पश्चात् की अपील को स्वीकार करने का अपील प्राधिकारी का निर्णय अधिनियम के उपबन्धों का उल्लघंन था।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किए जाने पर (जुलाई 1996) जिला प्रभारी ने बताया (जुलाई 1996) कि समाहर्त्ता की टिप्पणियों हेतु मामला उसे भेजा जा रहा है। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1997)।

4.2.11 कम कर जमा कराना

सिरमौर जिले में मई 1995 की मासिक विवरणी की जांच करते समय लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (अगस्त 1996) कि हिमाचल प्रदेश में संचालन करते हुए हरियाणा रोड़वेज, यमुनानगर द्वारा मई 1995 में यात्रियों से 43,333 रु० की अधिभार राशि संगृहीत की गई थी जिसके प्रति केवल 13,333 रु० की राशि ही जमा कराई गई थी, फलतः 30,000 रु० सरकारी लेखे में जमा नहीं हुए। लेखापरीक्षा में इसके इंगित किए जाने पर (अगस्त 1996) विभाग ने बताया (अगस्त 1996) कि शेष राशि की वसूली हेतु नोटिस जारी किया जा चुका है। वसूली की आगामी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1997)।

4.2.12 आन्तरिक लेखापरीक्षा

यद्यपि आबकारी एवं कराधान विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति विद्यमान है परन्तु यात्री तथा माल कर के लेखाओं की जांच नहीं की जा रही थी।

4.3 एक मुश्त सांकेतिक कर का अवनिर्धारण/अल्प निर्धारण

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1974 के नियम 4(1) के अनुसार हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 3 के अन्तर्गत उद्गृहीत कर का निर्धारित रीति से अग्रिम में भुगतान किया जाना था। पूर्वोक्त अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई अप्रैल 1992 से लागू एक अधिसूचनानुसार सांकेतिक कर की एक मुश्त राशि दस वर्षों की अवधि के लिए उद्ग्रहण हेतु निर्धारित की जानी थी तथा हिमाचल प्रदेश में प्रयोग होने वाले या होने के लिए रखे गए सभी वाहनों (अधिनियम संलग्न अनुसूची-II में यथावर्णित) के सम्बन्ध में वसूली जानी थी। हिमाचल प्रदेश में मार्च 1992 तक पंजीकृत वाहनों के सम्बन्ध में सांकेतिक कर की एक मुश्त राशि पंजीयन की आरम्भिक तिथि से अप्रैल् को उसकी उम्र के अनुसार संगणित की जानी थी।

पंजीयन तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी, हमीरपुर कार्यालय में रखे गए अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ (अक्तूबर 1996) कि दिसम्बर 1989 से मार्च 1992 के दौरान हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत 110 मोटर वाहनों के सम्बन्ध में अनुसची-II में यथावर्णित वाहनों की उम्र के अनुसार एक मुश्त राश्याधार पर सांकेतिक कर उचित रुप से संगणित नहीं किया गया था। अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन न करने से विभाग 36,154 रु0 के राजस्व की यथासमय उगाही से वंचित रहा।

लेखापरीक्षा में यह तथ्य विभाग को इंगित (अक्तूबर 1996) तथा सरकार को प्रतिवेदित (दिसम्बर 1996) किया गया था। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1997)।

पांचवां अध्याय : वन प्राप्तियां

	परिच्छेद	पृष्ठ
लेखापरीक्षा परिणाम	5.1	55
निम्न दरें लागू करने के कारण रॉयल्टी की अल्प वसूली	5.2	55
ब्याज तथा शास्ति का अनुद्ग्रहण	5.3	56
रॉयल्टी की वसूली न होना	5.4	58
वृक्षों के आयतन के गलत निर्धारण के कारण राजस्व की वसूली न होना	5.5	59
समयवृद्धि शुल्क का अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण	5.6	59
सड़क संरेखण में आने वाले हरे वृक्षों की रॉयल्टी की वसूली न होना	5.7	61
वृक्षों की सघनता के गलत निर्धारण के कारण रॉयल्टी की अल्प वसूली	5.8	61
हिमपात से क्षतिग्रस्त वृक्षों का निपटान न करने के कारण राजस्व का अवरोधन	5.9	63
रज्जु मार्ग संरेखण में आने वाले वृक्षों तथा अवैध रुप से गिराए गए वृक्षों का मूल्य वसूल न करना	5.10	64
बिक्री कर की अल्प वसूली	5.11	65
रॉयल्टी की अल्प वसूली	5.12	66
रॉयल्टी की गलत दरें लागू करना	5.13	66
ईंधनकाष्ठ पर रॉयल्टी की वसूली न करना	5.14	67
उपयुक्त वृक्षों पर रॉयल्टी की अल्प वसूली	5.15	68
गलत दरें लागू करने के कारण कीमत की अल्प वसूली	5.16	69

पांचवां अध्याय

वन प्राप्तियां

5.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 1996-97 के दौरान की गई लेखापरीक्षा में वन-प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जांच से 151 मामलों में 1098.00 लाख रु0 की वसूली न होने, अल्प वसूलियों तथा राजस्व की अन्य हानियों के मामले उद्घाटित हुए, जो मोटे तौर पर निम्नांकित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:-

	मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपए)
1. रॉयल्टी की वसूली न होना	4	97.90
2. रॉयल्टी की अल्प वसूली	9	140.70
3. समय वृद्धि शुल्क का अनुद्ग्रहण	15	26.30
4. ब्याज का अनुद्ग्रहण	14	44.39
5. अन्य अनियमितताएं	109	788.71
जोड़	**151**	**1,098.00**

वर्ष 1996-97 की अवधि के दौरान सम्बद्ध विभाग ने 117 मामलों से अन्तर्निहित 543.38 लाख रुपये के अल्प निर्धारण आदि मान लिए जिन्हें पूर्व वर्षों में इंगित किया गया था जिसका पूर्वतम वर्ष 1970-71 था। 320.29 लाख रु0 के वित्तीय प्रभाव से अन्तःग्रस्त महत्वपूर्ण प्रेक्षणों को उजागर करने वाले कुछ निदर्शी मामले निम्नांकित परिच्छेदों में दिए जाते हैं:-

5.2 निम्न दरें लागू करने के कारण रॉयल्टी की अल्पवसूली

राज्य सरकार के अप्रैल 1983 के एक निर्णय के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम (निगम) को साल्वेज लॉटों के रुप में दोहनार्थ अंकित तथा सौंपे गए सभी खड़े हरे, हरे चोटीरहित, सूखे तथा बीमारीग्रस्त हरे वृक्षों के लिए निगम को रॉयल्टी का भुगतान खड़े हरे वृक्षों की पूर्ण दरों पर करना होता है।

चार वन मण्डल कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (अप्रैल 1995 तथा जून 1996 के बीच) कि 11 बचे खुचे समूह चिह्नित किए गए और 1993-94 तथा 1995-96 वर्षों के मध्य निस्सारण हेतु निगम को सौंपे गए। मण्डलीय अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि विभाग ने 4032.314 घनमीटर की खड़ी आयतन की इमारती लकड़ी के हरे चोटीरहित/सूखते हुए हरे वृक्षों पर गलती से 30 प्रतिशत (2 समूह), 50 प्रतिशत, (8 समूह) और 60 प्रतिशत (1 समूह) की कम दर से रॉयल्टी प्रभारित की जो चिह्नित किए गए थे और इन समूहों

में सम्मिलित थे। इसके परिणामस्वरुप नीचे दिए गए विवरणानुसार 81.28 लाख रु०(बिक्री कर सहित) की कम रॉयल्टी प्रभारित की गई:-

क्रमांक	मण्डल का नाम	समूहों की संख्या	समूह का कार्य वर्ष	इमारती लकड़ी का मूल आयतन (घनमीटर)	पूरी दरों की बजाय प्रभारित रायल्टी दरों की प्रतिशतता	अल्प प्रभारित रॉयल्टी की राशि (बिक्री कर सहित) (लाख रुपए)
1.	ठियोग	1	1993-95	3,859.919	60	79.10
		1	1994-95	25.162	50	0.55
2.	हमीरपुर	6	1994-95	86.090	50	0.92
		1	1994-95	0.850	30	0.01
3.	रोहड़ू	1	1995-96	45.130	50	0.37
4.	शिमला	1	1993-94	15.163	30	0.33
	जोड़	11		4,032.314		81.28

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने (अप्रैल 1995 और जून 1996 के बीच) पर विभाग ने ठियोग तथा शिमला मण्डलों के सम्बन्ध में इसकी आपत्ति स्वीकार कर ली(जुलाई 1995 तथा मार्च 1996 के बीच) और कहा कि रॉयल्टी तथा बिक्री कर के लिए 79.98 लाख रु० की राशि की संशोधित मांग कर ली थी (अप्रैल 1995 तथा मार्च 1996 के बीच)। रोहड़ू मण्डल के विषय में बताया गया (सितम्बर 1996) कि मामला निगम के साथ पत्राचाराधीन था। रोहड़ू मण्डल के बारे में आगामी प्रगति तथा अन्य मामलों में वसूलियों की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1997)।

मामले मई 1995 तथा जुलाई 1996 में प्रतिवेदित किए जाने पर सरकार ने बताया (जुलाई 1997) कि निगम से अक्तूबर 1995 के दौरान मांगे गए 93155 रु० के अन्तर की राशि में से 10271 रु० की राशि का भुगतान प्राप्त हो चुका था और शेष 82,884 रु० की राशि की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे थे। वसूली की रिपोर्ट तथा अन्य मण्डलों से सम्बन्धित उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1997)।

5.3 ब्याज तथा शास्ति का अनुद्ग्रहण

हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को वन समूहों के निस्सारण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, उसके लिए उसे मूल्य समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित देय तिथियों पर विभिन्न वन समूहों के सम्बन्ध में रॉयल्टी की किश्तें जमा कराना आवश्यक होता है । सरकार ने सितम्बर 1987 में निर्णय लिया कि यदि रॉयल्टी देय तिथि के बाद से 90 दिनों के भीतर भुगतान नहीं की जाती तो वर्ष 1986-87 से 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रभार्य होगा जिसे बढ़ाकर वर्ष 1991-92 से 16.5 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया (सितम्बर 1991)। 90 दिनों से अधिक देरी के मामलों में ब्याज वास्तविक देय तिथियों से प्रभार्य होगा।

पुनः मानक अनुबन्ध विलेख की धारा 18 (जी) (राज्य वन निगम को लागू) तथा विभागीय अनुदेशों (जनवरी 1994) के अनुसार एक समूह पर देय बिक्री कर की राशि उस तिमाही के भीतर वसूल की जानी अपेक्षित थी जिसमें यह निगम को सौंपा गया था। ऐसा करने की विफलता पर बिक्री कर के विलम्बित भुगतान हेतु निगम 18 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ति का भुगतान करेगा।

छः वन मण्डल कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान (जून 1994 तथा अप्रैल 1996 के बीच) पाया गया कि निगम को 1993-94 (45 समूह) तथा 1993-95 (1 समूह) के वर्षो के दौरान निस्सारणार्थ सौंपे गए 46 समूहों के सम्बन्ध में रॉयल्टी की किश्तें या तो देय तिथियों के पश्चात 90 दिनों के भीतर भुगतान नहीं की गई थी अथवा रॉयल्टी की किश्तों पर उद्ग्राह्य बिक्री कर की राशि को देय तिथियों के पश्चात् भुगताया गया था। रॉयल्टी व बिक्री कर के भुगतान में विलम्ब के कारण क्रमशः 16.5 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज तथा शास्ति उद्ग्राह.य थी परन्तु विभाग द्वारा इसकी मांग नहीं की गई। इसके परिणामस्वरुप नीचे दिए गए विवरणानुसार 61.44 लाख रु0 की वसूली नहीं हुई।

क्रमांक	मण्डल का नाम	समूहों की संख्या	निस्सारण वर्ष	के विषय में उद्ग्राह्य राशि		ब्याज तथा शास्ति का अनुद्ग्रहण
				ब्याज	शास्ति	
				(लाख रुपए)		
1.	पांवटा साहब	5	1993-94	14.96	7.36	22.32
2.	सिराज	6	1993-94	11.89	--	11.89
3.	भरमौर	12	1993-94	4.38	4.50	8.88
4.	रामपुर	6	1993-94	5.49	--	5.49
		1	1993-95	3.09	--	3.09
5.	करसोग	5	1993-94	--	0.37	0.37
6.	चुराह	11	1993-94	7.64	1.76	9.40
	जोड़	**46**		**47.45**	**13.99**	**61.44**

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर (जून 1994 तथा अप्रैल 1996 के बीच) विभाग ने बताया (नवम्बर 1994 तथा अप्रैल 1996 के बीच) कि निगम से सिराज, भरमौर तथा करसोग मण्डलों के सम्बन्ध में मांगे उठाई जा चुकी थीं और पांवटा साहब तथा चुराह मण्डलों के मामलों में मांगे उठाई जा रही थीं। वसूली के प्रतिवेदन तथा रामपुर मण्डल (6 समूहः 1993-94) के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1997)।

ये मामले जुलाई 1994 तथा अप्रैल 1996 के बीच प्रतिवेदित किए जाने पर सरकार ने बताया (जुलाई 1997) कि रामपुर मण्डल के एक समूह के विषय में 3.09 लाख रु0 की मांग निगम से उठाई जा चुकी थी (नवम्बर 1995) और इसकी वसूली हेतु प्रयास जारी थे। अन्य समूहों के सम्बन्ध में वसूली की सूचना तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1997)।

5.4 रॉयल्टी की वसूली न होना

हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को वन समूह के निस्सारण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है और मूल्य समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर वृक्षों के लिए रॉयल्टी का भुगतान करना होता है। जून 1985 में जारी किए गए विभागीय अनुदेशों के अनुसार, निगम को गट्ठों को निस्सारणार्थ सौंपने के तत्काल पश्चात् विभाग द्वारा रॉयल्टी के सम्बन्ध में मांग उठाई जानी होती है।

तीन वन मण्डलों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (फरवरी 1995 तथा जून 1996) कि निगम को चार बचे-खुचे समूह 1993-94 तथा 1995-2000 के बीच निस्सारण हेतु सौंपे गए। मण्डलीय अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि नीचे दिए गए विवरणानुसार निगम से 49.73 लाख रु० (बिक्री कर सहित) की रॉयल्टी की विभाग द्वारा मांग नहीं की गई थी, जिसमें से अकेले रोहड़ू मण्डल के सम्बन्ध में मार्च 1997 तक रॉयल्टी तथा बिक्री कर के 48.19 लाख रु० बनते थे:-

मण्डल का नाम	वृक्षों का चिह्नाकन (मूल अथवा अनुपूरक)	समूहों की संख्या	कार्य वर्ष	जिस महीने में सौंपे गए	वृक्षों की संख्या	मूल आयतन (घनमीटर)	अप्रभारित रॉयल्टी की राशि (बिक्री कर सहित) (लाख रुपए)
रोहड़ू	मूल तथा अनुपूरक	1	1995-96	नवम्बर 1994	1,439	2,236.820	10.19
	(दोनों)	1	1995-2000	तथा नवम्बर 1995	3,924	26,518.300	38.00*
डलहौजी	अनुपूरक	1	1995-96	मार्च 1996	208	75.458	0.78
ऊना	मूल	1	1993-94	जुलाई 1993	6	17.117	0.76
जोड़		**4**			**5,577**	**28,847.695**	**49.73**

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने (जून 1996) पर विभाग ने बताया कि रोहड़ू मण्डल से सम्बन्धित रॉयल्टी के समाधान सम्बन्धी मामला निगम के साथ पत्राचाराधीन था जबकि डलहौजी मण्डल के बारे में 78101 रु० की मांग निगम से उठाई जा चुकी थी। वसूलियों के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1997)।

ये मामले मार्च 1995 तथा जुलाई 1996 में प्रतिवेदित किए जाने पर सरकार ने बताया (अगस्त 1996) कि ऊना मण्डल के सम्बन्ध में मामले की छानबीन की जा रही है। मामले की आगामी प्रगति तथा रोहड़ू तथा डलहौजी मण्डलों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 1997) हैं।

---

* रॉयल्टी की कुल मांग 133 लाख रु० (30.67 लाख रु० के बिक्री कर सहित) थी जिसमें से मार्च 1997 तक चार किश्तों में वसूलीयोग्य 38.00 लाख रु० (रॉयल्टी 25.83 लाख रु० जमा बिक्री कर 12.17 लाख रु०) बकाया थे।

5.5 वृक्षों के आयतन के गलत निर्धारण के कारण राजस्व की वसूली न होना

हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम, जिसे सभी वन समूहों पर कार्य करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, के लिए वृक्षों के मूल आयतन हेतु मूल्य निर्धारण समिति की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर वृक्षों की रॉयल्टी का भुगतान करना अपेक्षित है। वृक्षों का मूल आयतन सम्बन्धित कार्यकारी योजना में विहित आयतन तालिका के आधार पर निकाला जाता है।

वन मण्डल अधिकारी ठियोग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (जून 1996) कि 1995-96 (तीन समूह) तथा 1995-97 (एक समूह) के वर्षों के दौरान निगम को निस्सारणार्थ चार बचे खुचे समूह सौंपे गए (दिसम्बर 1994 तथा जनवरी 1995)। मण्डलीय अभिलेखों की संवीक्षा से तथापि यह उद्घाटित हुआ (जून 1996) कि विभाग द्वारा इन वन समूहों में समाविष्ट 1832 वृक्षों का सम्बद्ध कार्यकारी योजना में निर्धारित आयतन तालिका के आधार पर कार्ययोग्य 3868.137 घनमीटर के सही मूल आयतन के प्रति गलती से 2030.698 घनमीटर संगणित किया गया।

इस प्रकार वृक्षों के मूल आयतन का गलत निर्धारण 37.13 लाख रु0 (8.57 लाख रु0 के बिक्री कर सहित) की राशि की रॉयल्टी की वसूली न होने में परिणत हुआ।

जुलाई 1996 में मामले प्रतिवेदित किए जाने पर सरकार ने बताया (जून 1997) कि अगस्त 1996 में 37.13 लाख रु0 की मांगी गई अदायगी निगम द्वारा जारी नहीं की गई थी। वसूली की आगामी प्रगति प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1997)।

5.6 समयवृद्धि शुल्क का अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण

मानक अनुबन्ध विलेख (हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम के लिए भी प्रयोज्य) की धारा 3 में प्रावधान है कि यदि कोई पट्टाधारक संविदा की अवधि के भीतर पट्टे पर दिए गए क्षेत्र से वृक्षों को गिराने, रुपान्तरित करने तथा उठाने में विफल रहता है तो वह कार्यावधि के दौरान ही समयवृद्धि की मांग कर सकता है। ऐसा न होने पर उसका पट्टे पर दिए गए वन में खड़े/गिराये गये वृक्षों तथा इधर-उधर बिखरे/चट्ठे में लगाई गई इमारती लकड़ी पर कोई अधिकार नहीं होगा। यदि समयवृद्धि हेतु आवेदन किया जाता है और स्वीकृति प्रदान की जाती है तो पट्टाधारक के लिए अपेक्षित है कि वह सरकार को देय शेष रॉयल्टी की राशि पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से समयवृद्धि शुल्क अदा करे। तथापि, पट्टाधारक द्वारा पूरी रॉयल्टी भुगताए जाने की अवस्था में, समयवृद्धि शुल्क वन समूह की कुल बिक्री मूल्य के 0.3 प्रतिशत की दर से प्रभार्य होगा।

पांच वन मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (फरवरी 1994 तथा अगस्त 1995 के बीच) कि 31 मार्च 1994 तथा 31 मार्च 1995 के मध्य की पट्टावधि के नौ वन समूह दोहन हेतु निगम को 1989-90 और 1993-95 के बीच सौंपे गए। मण्डलीय

अभिलेखों की संवीक्षा से तथापि यह उदघाटित हुआ कि इन समूहों के दोहन कार्य पट्टावधियों के भीतर पूर्ण नहीं किए जा सके थे। इसलिए निगम ने छः समूहों की कार्यावधियों के लिए समयवृद्धि मांगी परन्तु शेष तीन समूहों के लिए किसी समयवृद्धि की मांग नहीं की गई। यद्यपि निगम ने पट्टावधियों की समाप्ति के पश्चात् भी आठ समूहों में कार्य जारी रखा था, किन्तु विभाग ने न तो कार्यावधियों के लिए समयवृद्धि प्रदान की और न ही वन उत्पाद जब्त करने तथा 27.83 लाख रु० की समयवृद्धि शुल्क की राशि की मांग वसूल करने हेतु कोई कार्रवाई की बाकी के एक समूह के बारे में निगम से 0.95 लाख रु० की कम मांग की गई। इसके परिणामस्वरुप 28.78 लाख रु० की समयवृद्धि शुल्क की राशि का अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण हुआ जैसा नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:-

मण्डल का नाम	लेखापरीक्षा माह	वन समूहों की संख्या	समूह में कार्य करने का वर्ष	-- तक पट्टा अवधि	वह मास जिसमें समय वृद्धि की मांग की गई	निगम द्वारा जिस माह तक समयवृद्धिकी मांग की गई	समय वृद्धि प्रदान की गई या नहीं	समयवृद्धि शुल्क की राशि उद्ग्राह्य	उद्गृहीत	अनुद्ग्रहण/ अल्पोद्ग्रहण
								(लाख रुपए)		
पांगी	सितम्बर 1994	3	1989-90 1989-92	31 मार्च 1991 (2समूह) 31 मार्च 1992 (एक समूह)	--	--	नहीं	10.73	--	10.73
ठियोग	जनवरी 1995	1	1991-93	31 मार्च 1993	जनवरी 1993	सितम्बर 1993	नहीं	9.56	--	9.56
जुब्बल	अगस्त 1995	2	1993-95	31 मार्च 1995	मार्च 1995	---	नहीं	6.44	--	6.44
डलहौजी	फरवरी 1994	1	1990-91	30 जून 1991	--	जून 1992	नहीं	1.10	--	1.10
		1	1991-92	31 मार्च 1992		अगस्त 1992	नहीं			
चौपाल	जून 1995	1	1991-92	31 मार्च 1992	--	जून 1993	हाँ	6.12	5.17	0.95
	जोड़	**9**			--			**33.95**	**5.17**	**28.78**

सरकार ने, जिसे चौपाल का मामला जुलाई 1995 में प्रतिवेदित किया गया था, लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार कर लिया और बताया (अप्रैल 1996) कि निगम से समयवृद्धि शुल्क हेतु मांग उठाई जा चुकी थी (दिसम्बर 1995)। पांगी, जुब्बल और डलहौजी मण्डलों के मामलों के बारे में जो लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे (फरवरी 1994 तथा अगस्त 1995 के बीच), विभाग ने बताया (जून 1996 तथा फरवरी 1997 के बीच) कि कार्य पूर्णता की वास्तविक तिथि तक 21.53 लाख रु० की समयवृद्धि शुल्क के सम्बन्ध में निगम से मांग उठाई जा चुकी थी (जुलाई 1994 तथा जून 1996 के बीच)। सभी मामलों में वसूली के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1997)।

ठियोग मण्डल के सम्बन्ध में, विभाग को मामला जनवरी 1995 में प्रतिवेदित किया गया परन्तु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1997)।

चौपाल मण्डल के अतिरिक्त, सभी मामले सरकार को मई 1994 तथा सितम्बर 1995 में प्रतिवेदित किए गए। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1997)।

5.7 सड़क संरेखण में आने वाले हरे वृक्षों की रॉयल्टी की वसूली न होना

हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को लागू मानक अनुबन्ध विलेख के निबन्धन में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि सड़कों के संरेखण में आने वाले हरे वृक्षों का मूल्य, जिन्हें वन निगम हटाने के लिए प्राधिकृत करता है, पट्टाधारक (निगम) से पट्टे की दरों (1981-82 से लागू रॉयल्टी) के अनुसार प्रभारित किया जाएगा। जून 1985 में जारी किए गए विभागीय अनुदेशों के अनुसार दोहन हेतु निगम को समूह सौंपने के तत्काल पश्चात् विभाग द्वारा रॉयल्टी के सम्बन्ध में मांग उठाई जानी होती है।

वन मण्डल कार्यालय, रोहडू में यह पाया गया (जुलाई 1995) कि 398.62 घनमीटर मूल इमारती लकड़ी के 175 हरे वृक्ष, जो शरौंथा टिक्कर सड़क के संरेखण में आ रहे थे, 1995-96 के दौरान दोहन हेतु निगम को सौंपे गए (अक्तूबर 1994)। मण्डलीय अभिलेखों की संवीक्षा से उद्‌घाटित हुआ कि वृक्षों के मूल आयतन के सम्बन्ध में 20.20 लाख रु० की रॉयल्टी की राशि निगम से वसूलीयोग्य थी परन्तु जुलाई 1995 तक मांग नहीं की गई थी।

सरकार जिसे मामला प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 1995), ने बताया (अगस्त 1997) कि सड़क के संरेखण में परिवर्तन के कारण दोहनार्थ सौंपे गए 175 वृक्षों के स्थान पर वास्तव में 164 वृक्ष गिराए गए और निगम से दिसम्बर 1995 (3.99 लाख रु०), फरवरी 1996 (6.65 लाख रु०) तथा जून 1996 (6.64 लाख रु०) में 17.28 लाख रु० (3.98 लाख रु० के बिक्री कर सहित) की राशि वसूल की जा चुकी थी।

5.8 वृक्षों की सघनता के गलत निर्धारण के कारण रॉयल्टी की अल्प वसूली

राज्य सरकार के एक निर्णय (अप्रैल 1983) के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को बचे-खुचे समूहों में दोहन हेतु चिह्नित एवं सौंपे गए सूखे (उपयुक्त) वृक्षों की रॉयल्टी दर खड़े हरे वृक्षों की रॉयल्टी दर के 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत की दर से प्रभार्य है यदि वन अथवा उसके संभाग के कुल क्षेत्र के प्रति हैक्टेयर इस प्रकार चिह्नित किए गए वृक्षों का आयतन क्रमशः 15 घनमीटर व ऊपर ; 15 घनमीटर से कम परन्तु 5 घनमीटर तक तथा 5 घनमीटर से कम है। तथापि, निगम द्वारा ऐसे समूहों में सभी हरे खड़े वृक्षों हेतु रॉयल्टी खड़े हरे वृक्षों हेतु निर्धारित पूर्ण दरों पर भुगतानयोग्य है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के मई 1989 के निर्णयानुसार, एक समूह के चिह्नांकन के घनत्व को मूल, अतिरिक्त तथा अनुपूरक चिह्नांकनों सहित सभी चिह्नांकनों में चिह्नित वृक्षों के कुल आयतन को हिसाब में ले कर संगणित किया जाना है।

(i) वन मण्डल अधिकारी, जुब्बल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया, (अगस्त 1995) कि एक वन के 273.16 हेक्टेयर क्षेत्र में चिह्नित इमारती लकड़ी के मूल आयतन के 6981.85 घनमीटर (अर्थात् मूल चिह्नांकन : 3831.70 घनमीटर; अनुपूरक चिह्नांकन: 3150.15 घनमीटर) के एक बचे-खुचे समूह को 1993-95 के वर्षों के दौरान दोहन हेतु निगम को सौंपा गया। चूंकि समूह में वृक्षों का चिह्नांकन 25.55 घनमीटर निकाला गया था, इसलिए रॉयल्टी

खड़े हरे वृक्षों हेतु निर्धारित पूर्ण दरों के 60 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जानी थी। तथापि मण्डलीय अभिलेखों से उद्घाटित हुआ (अगस्त 1995) कि मूल चिह्नांकन का अलग से हिसाब करके 3743.81 घनमीटर सूखे आयतन पर (इमारती लकड़ी के 87.89 घनमीटर हरे मूल आयतन को छोड़कर जिस पर पूरी दरें प्रभारित की गई) विभाग ने गलती से खड़े हरे वृक्षों हेतु निर्धारित पूर्ण दरों के 60 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत प्रभारित की गई। इसके परिणामस्वरुप 6.72 लाख रु0 (बिक्री कर) की रॉयल्टी कम प्रभारित की गई।

सरकार, जिसे यह मामला सितम्बर 1995 में प्रतिवेदित किया गया था, ने बताया (जुलाई 1997) कि निगम को जनवरी 1997 में एक संशोधित मांग बिल भेज दिया गया था और राशि वसूल करने के प्रयास प्रगति पर थे। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1997)।

(ii) वन मण्डल अधिकारी ठियोग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (जनवरी 1995) कि 215 हैक्टेयर वन में चिह्नांकित 1423.067 घनमीटर (हरे: 558.319 घनमीटर तथा सूखे 864.748 घनमीटर) विद्यमान इमारती लकड़ी के एक बचे-खुचे समूह को 1993-94 वर्ष के दौरान दोहन हेतु निगम को सौंपा गया। चूंकि समूह के चिह्नांकन का घनत्व 6.619 घनमीटर प्रति हैक्टेयर निकाला गया, इसलिए समूह की इमारती लकड़ी के सूखे मूल आयतन पर रॉयल्टी पूरी दरों के 50 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जानी अपेक्षित थी। तथापि, मण्डलीय अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ (जनवरी 1995) कि गलती से वृक्षों का घनत्व 4.02 घनमीटर प्रतिहेक्टेयर लेने से इमारती लकड़ी के 864.748 घनमीटर सूखे मूल आयतन पर विभाग ने 30 प्रतिशत की दर से रॉयल्टी प्रभारित/वसूल की (अगस्त 1994)। इसके अतिरिक्त, रई/फर के वृक्षों हेतु पूर्ण दरों पर रॉयल्टी प्रभार्य थी, परन्तु 96.171 घनमीटर बचे खुचे हरे मूल आयतन पर भी इसे गलती से 30 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया गया। इसके परिणामस्वरुप 6.41 लाख रु0 (बिक्री कर सहित) की रॉयल्टी कम वसूल की गई।

सरकार, जिसे यह मामला जनवरी 1995 में प्रतिवेदित किया गया, ने बताया (जुलाई 1997) कि 6.41 लाख रु0 (बिक्री कर सहित) की रॉयल्टी की विभेदक राशि की निगम से मांग की जा चुकी थी (फरवरी 1995) परन्तु अभी तक भुगतान नहीं किया गया था। वसूली की आगामी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1997)।

(iii) वन मण्डल अधिकारी, निचार के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (जून 1994) कि एक जंगल के 199.23 हैक्टेयर क्षेत्र में चिह्नांकित इमारती लकड़ी के 1234.34 घनमीटर मूल आयतन के एक साल्वेज समूह को वर्ष 1990-91 के दौरान दोहन हेतु निगम को सौंपा गया। जब समूह का कार्य चला हुआ था 992.20 घनमीटर मूल आयतन की इमारती लकड़ी का अनुपूरक चिह्नांकन किया गया और वह मूल चिह्नांकन के अतिरिक्त निगम को सौप (अगस्त- अक्तूबर 1991 तथा अप्रैल 1992) दी गई। 199.23 हैक्टेयर क्षेत्र में समूह के चिह्नांकन का घनत्व इमारती लकड़ी के 2226.54 घनमीटर (मूल चिह्नांकन: 1234.34 घनमीटर जमा अनुपूरक चिह्नांकन 992.20 घनमीटर) के कुल आयतन पर संगणित किया जाना अपेक्षित था, जो 11.175 घनमीटर प्रति हैक्टेयर निकाला गया और तदनुसार रॉयल्टी पूर्ण दरों के 50 प्रतिशत पर

प्रभारित की जानी थी। तथापि, मण्डलीय अभिलेखों से उद्घाटित हुआ (जून 1994) कि अनुपूरक चिह्नांकनों का अलग से निकाल कर, विभाग द्वारा उसी वन में 992.20 घनमीटर इमारती लकड़ी पर 30 प्रतिशत की दर से रॉयल्टी प्रभारित की गई (अक्तूबर 1993)। यह 5.20 लाख रु० (बिक्री कर सहित) की कम रॉयल्टी प्रभारित किए जाने में परिणत हुई।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर (जून 1994) विभाग ने लेखापरीक्षा के तथ्य को स्वीकार कर लिया और बताया (फरवरी 1997) कि निगम से 5.20 लाख रु० (बिक्री कर सहित) की अतिरिक्त मांग जनवरी 1995 में उठाई जा चुकी थी। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1997)।

यह मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 1994)। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1997)।

5.9 हिमपात से क्षतिग्रस्त वृक्षों के निपटान न करने के कारण राजस्व का अवरोधन

वन दोहन कार्य के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरुप राज्य सरकार ने निर्णय लिया (अक्तूबर 1980) कि समूहों में सूचीबद्ध सभी वृक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को सौंपे जाएंगे और निगम ऐसे सभी समूहों पर कार्य करेगा तथा उनकी कांट-छांट नहीं करेगा। निगम मूल्य समिति द्वारा अनुशंसित तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार दोहनार्थ सौंपे गए वृक्षों पर रॉयल्टी का भुगतान करेगा।

वन मण्डल अधिकारी, पालमपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (जुलाई 1995) कि इमारती लकड़ी के 2,115.35 घन मीटर स्टैण्डिंग आयतन के बर्फ से क्षतिग्रस्त 1700 "खरसु" (1652) तथा "रई" (48) के साल्वेज वृक्षों के दो समूह चिह्नित किए गए और विभाग द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान दोहनार्थ निगम को सौंपे गए (नवम्बर 1993)। निगम ने सूचित किया (दिसम्बर 1993) कि "रई" के 48 वृक्षों का दोहन कम मात्रा के कारण अलाभकर होगा और इमारती लकड़ी के "घाल"* प्रवाह पर भारी व्यय करना पड़ेगा। "खरसु" वृक्षों, जिनसे ईंधन की लकड़ी तथा कोयला निकाला जाता है, के सम्बन्ध में यह बताया गया कि ऐसे वृक्षों का दोहन भी अलाभकर होगा क्योंकि निगम के पास कोयले का पर्याप्त भण्डार उपलब्ध था। चिह्नित समूहों के अपमार्जन हेतु विभाग से निवेदन भी किया गया। निगम द्वारा इमारती लकड़ी, ईंधन तथा कोयले के निस्सारण करने से इन्कार करने पर वन मण्डल अधिकारी ने मार्गदर्शन हेतु यह मामला अरण्यपाल धर्मशाला को भेज दिया (मई 1994)। अरण्यपाल ने यह समूह अगले वर्ष अर्थात् 1995-96 के दौरान दोहन हेतु सौंपने की सलाह दी (जुलाई 1994)। मण्डल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से उद्घाटित हुआ (जुलाई 1995) कि इस तथ्य के बावजूद कि निगम उसे सौंपे गए सभी समूहों पर कार्य करने के लिए बाध्य होता, प्रधान अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश ने अरण्यपाल तथा वन मण्डल अधिकारी को इन दो "खरसु" के समूहों को चिह्नांकन सूची से निकाल देने, ब्लेज न करने तथा निगम को न सौंपने का निर्देश दिया (जनवरी 1995)। इस प्रकार, प्रधान मुख्य अरण्यपाल का अविवेकपूर्ण निर्णय, जो सरकार के आदेशों के विपरीत था, बर्फ से क्षतिग्रस्त वृक्षों के दोहन न होने में परिणत हुआ तथा इस कारण 8.11 लाख रु० (बिक्री कर सहित) के राजस्व का अवरोधन हुआ।

---

* घाल जल के ऊपरी पसरनों से इमारती लकड़ी के थोक परिवहन को प्रदर्शित करता है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जुलाई 1995) अरण्यपाल धर्मशाला ने बताया (नवम्बर 1995) कि इन समूहों में "रई" किस्म के कोई भी साल्वेज वृक्ष चिह्नित करने के लिए उपलब्ध नहीं थे और कि वृक्षों का अपमार्जन प्रधान मुख्य अरण्यपाल के निदेशों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। विभाग का उत्तर तर्क संगत नहीं था क्योंकि हिमक्षतिग्रस्त वृक्ष शीघ्र नष्ट हो तो हैं और इन समूहों पर कार्य करने हेतु विभाग के पास निगम के सिवाय अन्य कोई एजेंसी उपलब्ध नहीं थी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 1995)। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1997)।

5.10 रज्जुमार्ग संरेखण में आने वाले वृक्षों तथा अवैध रुप से गिराए गए वृक्षों का मूल्य वसूल न करना

मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार ने मई 1989 में निर्णय लिया कि रज्जुमार्ग संरेखण में आने वाले वृक्षों का मूल्य हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम से रॉयल्टी दरों के दुगुने के बराबर प्रभारित किया जाएगा। इसके अलावा मानक अनुबन्ध विलेख में प्रावधान है कि वृक्षों के अवैध रुप से काट गिराने की स्थिति में निगम रॉयल्टी दरों अथवा बाजार की प्रचलित दरों पर मूल्य जो भी अधिक हो, के अतिरिक्त, ऐसे वृक्षों के मूल्य के 100 प्रतिशत की दर पर शास्ति का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।

वन मण्डल अधिकारी निचार के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1994) कि 1987 के दौरान किलबा रेंज में चिन्हांकित गेल्टु* समूह के रज्जुमार्ग संरेखण में आने वाले इमारती लकड़ी के 157.290 घनमीटर मूल आयतन के 144 वृक्ष वर्ष 1987-88 के दौरान दोहन हेतु निगम को सौंपे गए (अगस्त 1987)। निगम ने विभाग को सूचित किया (जून 1993) कि श्रमिक आपूर्तिकर्ता मेट की ढिलाई के कारण रज्जुमार्ग में चिन्हांकित किए गए वृक्षों का 1987-88 के दौरान दोहन नहीं किया जा सका और कार्यावधि में सितम्बर 1993 तक समयवृद्धि हेतु अनुरोध किया। निगम द्वारा मार्च 1994 में भेजे गए फरवरी 1994 माह के प्रगति प्रतिवेदित की संवीक्षा से यद्यपि यह उद्घाटित हुआ कि 1987-88 के दौरान चिन्हांकित इमारती लकड़ी के 157.290 घनमीटर आयतन के स्थान पर 220.910 घनमीटर मूल आयतन के 182 वृक्ष काट गिराए थे। अभिलेखों से पुनः यह उद्घाटित हुआ (जून 1994) कि लगभग सात वर्ष बीत जाने के बावजूद भी विभाग ने 144 वृक्षों के 3.47 लाख रु0 (बिक्री कर तथा अधिभार सहित) मूल्य की मांग नहीं की थी। उसने निगम को 1.93 लाख रु0 (बिक्री कर/अधिभार एवं शास्ति सहित) मूल्य के 63.620 घनमीटर मूल आयतन की इमारती लकड़ी के 38 वृक्षों को अवैध रुप से काट-गिराने के सम्बन्ध में भी सूचित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, समूह पर कार्य पूर्ण किए जाने की अवधि तक समयवृद्धि शुल्क भी उद्ग्राह्य था जैसा कि अनुबन्ध विलेख में प्रावधान किया गया था। इससे यह पता चलता है कि विभाग ने न तो प्रगति प्रतिवेदनों की सही ढंग से जांच-पड़ताल की थी और न ही वृक्ष कटान के कार्यों का प्रभावशाली ढंग से निरीक्षण किया। परिणामस्वरुप निगम से 5.40 लाख रु0 (182 वृक्षों की कीमतः 3.57 लाख रु0; शास्ति 0.85 लाख रु0 तथा बिक्री कर एवं अधिभारः 0.98 लाख रु0) के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

---

* फल पैकिंग डिब्बों के विनिर्माण हेतु बनाए गए विशिष्ट आकारों के लटठों के छोड़े गए किनारों के टुकड़ों को गेल्टू कहते हैं।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर (जून 1994) विभाग ने लेखापरीक्षा तथ्य को स्वीकार कर लिया और बताया (फरवरी 1997) कि रज्जुमार्ग संरेखण में चिह्नित वृक्षों तथा अवैध रुप से गिराए गए वृक्षों के मूल्य के सम्बन्ध में निगम से क्रमशः जनवरी 1995 तथा दिसम्बर 1995 में मांग उठाई गई थी। निगम से समयवृद्धि शुल्क का दावा करने सम्बन्धी कोई उत्तर नहीं मिला।

यह मामला अगस्त 1994 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1997)।

5.11 बिक्री कर की अल्प वसूली

चिह्नांकित वृक्षों को गिराने, उनके रुपान्तरण तथा इमारती लकड़ी के निस्सारण हेतु वनों के पट्टे से सम्बन्धित मानक अनुबन्ध विलेख की धारा 18 (जी) में प्रावधान है कि पट्टाधारक चाहे पंजीकृत बिक्री कर निर्धारिती हो या न हो, व रॉयल्टी के अतिरिक्त, समूह के बिक्री मूल्य पर राज्य के सम्बद्ध बिक्री कर नियमों के अन्तर्गत उद्ग्राहय बिक्री कर का भुगतान भी करेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को वन समूहों में कार्य करने के अधिकार दिए गए हैं, तदनुसार उसके लिए समूहों के बिक्री मूल्य पर हिमाचल प्रदेश के बिक्री कर कानूनों के अन्तर्गत उद्ग्राहय बिक्री कर का भुगतान करना अपेक्षित है। एक अप्रैल 1991 से 30 प्रतिशत की दर से बिक्री कर प्रभार्य है।

(i) वन मण्डल अधिकारी चुराह के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (दिसम्बर 1993) कि वर्ष 1991-92 के दौरान 123.32 लाख रु0 की रॉयल्टी के 13 साल्वेज समूह निगम को दोहन हेतु सौंपे गए। अप्रैल 1991 से रॉयल्टी की 30 प्रतिशत की दर से बिक्री कर प्रभार्य था जबकि विभाग द्वारा यह कर 27.5 प्रतिशत (बिक्री कर पर 10 प्रतिशत अधिभार सहित) की न्यून दरों पर प्रभारित किया गया। परिणामतः वर्ष 1991-92 के दौरान 3.08 लाख रु0 के बिक्री कर की अल्पवसूली हुई।

सरकार, जिसे मामला प्रतिवेदित (अप्रैल 1994) किया गया था, ने जनवरी 1995 में बताया कि निगम से बिक्री कर के सम्बन्ध में 3.08 लाख रु0 की संशोधित मांग मई 1994 में उठाई गई थी। वसूली का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1997)।

(ii) वन मण्डल अधिकारी डलहौजी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (फरवरी 1994) कि 22.25 लाख रु0 की रॉयल्टी के नौ समूह निगम को वर्ष 1991-92 के दौरान दोहन हेतु सौंपे गए। अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि रॉयल्टी के 30 प्रतिशत की दर से बिक्री कर के 6.68 लाख रु0 की प्रभार्य राशि के बदले विभाग ने गलती से 27.5 प्रतिशत की दर से (बिक्री कर पर 10 प्रतिशत अधिभार सहित) 6.12 लाख रु0 प्रभारित किए। परिणामतः वर्ष 1991-92 के दौरान 55,630 रु0 बिक्री कर की अल्पवसूली हुई।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (फरवरी 1994) विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया और बताया (फरवरी 1997) कि निगम से 55,630 रु० के बिक्री कर की अन्तरीय राशि के बारे में संशोधित मांग उठाई गई थी (जुलाई 1994)। चार अनुस्मारक जारी करने के बावजूद भी, वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1997)।

मामला सरकार को मई 1994 में प्रतिवेदित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1997)।

5.12 रॉयल्टी की अल्प वसूली

हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम जिसे वन दोहन कार्य का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, उससे यह अपेक्षित है कि एक समूह की चिह्नांकन सूची के अनुसार चिह्नित सभी वृक्षों के मूल आयतन पर रॉयल्टी का भुगतान करे।

वन मण्डल अधिकारी ठियोग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया (जून 1996) कि इमारती लकड़ी के 2367.604 घनमीटर मूल आयतन के 1381 वृक्षों के एक साल्वेज समूह का चिह्नांकन किया गया और वर्ष 1995-96 के दौरान दोहन हेतु निगम को सौंपा गया (नवम्बर 1994)। मण्डलीय अभिलेखों की संवीक्षा से यह भी उद्‌घाटित हुआ कि वास्तव में इस समूह के प्रति इमारती लकड़ी के 2627.794 घनमीटर आयतन वाले 1556 वृक्षों का चिह्नांकन किया गया था और विभाग ने केवल 1381 वृक्षों के सम्बन्ध में देयताओं का मिलान किया था। इमारती लकड़ी के 260.190 घनमीटर मूल आयतन के 175 वृक्षों को गणना में न लेने के परिणामस्वरुप 1.66 लाख रु० की रॉयल्टी की अल्पवसूली हुई जिस पर 0.50 लाख रु० का बिक्री कर भी वसूलीयोग्य था।

सरकार, जिसे मामला जुलाई 1996 में प्रतिवेदित किया गया, ने बताया (जुलाई 1997) कि अगस्त 1996 में 2.16 लाख रु० की रॉयल्टी तथा बिक्री कर की मांग की गई राशि का निगम द्वारा भुगतान नहीं किया गया था और निगम से भुगतान देने के लिए अनुरोध किया जा रहा था। आगामी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1997)।

5.13 रॉयल्टी की गलत दरें लागू करना

राज्य सरकार के एक निर्णय (अप्रैल 1983) के अनुसार साल्वेज समूहों में दोहन हेतु चिह्नित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को सौंपे गए शुष्क उपयुक्त शंकुधारी वृक्षों के लिए रॉयल्टी खड़े हरे वृक्षों के लिए निश्चित रॉयल्टी की दरों का 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत प्रभार्य है, बशर्ते कि वन के कुल क्षेत्र अथवा उसके भाग में इस प्रकार चिन्हांकित वृक्षों का घनत्व क्रमशः 15 घनमीटर व उससे अधिक, 5 घनमीटर परन्तु 15 घनमीटर से कम तथा 5 घनमीटर से कम हो। इमारती लकड़ी के चिरान हेतु चिन्हांकिन शंकुधारी वृक्षों को छोड़कर अन्य समूह उपरोक्त निर्णय के अंर्तगत नहीं आते हैं और ऐसे समूहों में समिल्लित वृक्षों पर रॉयल्टी की

पूर्ण दरें प्रभारित की जानी अपेक्षित हैं।

(i) वन मण्डल अधिकारी नाहन के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (जनवरी 1994) कि अन्य किस्म के वृक्षों सहित 197.54 मीटर मोटाई वाले मूल आयतन के खैर वृक्षों के चार समूह वर्ष 1992-93 के दौरान दोहन हेतु निगम को सौंपे गए। चूंकि इसमें कोई चिरान अन्तर्निहित नहीं थी अतः समूहों के घनत्व की दृष्टि पर विचार किए बिना, खैर वृक्षों पर रॉयल्टी की पूर्ण दरें प्रभारित की जानी अपेक्षित थी। मण्डलीय अभिलेखों की संवीक्षा से यद्यपि यह उद्घाटित हुआ (जनवरी 1994) कि विभाग ने खैर वृक्षों के लिए निर्धारित पूर्ण दरों की बजाए, घनत्व के तथ्य को ध्यान मे रखते हुए गलती से पूर्ण दरों के 30 प्रतिशत पर रॉयल्टी का दावा किया था। सही दरों पर रॉयल्टी प्रभारित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरुप 1.06 लाख रु0 (बिक्री कर सहित) की रॉयल्टी कम प्रभारित की गई।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर (जनवरी 1994), अरण्यपाल नाहन वृत्त ने बताया (जुलाई 1994) कि रॉयल्टी की सही दर पर प्रभारित करने के सम्बन्ध में उच्च प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था। प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने स्पष्ट किया (दिसम्बर 1994) कि घनत्व का विचार केवल इमारती लकड़ी के चिरान वाले शंकुधारी समूह पर ही प्रयोज्य है, अन्य समूहों पर नहीं। तथापि इसके बाद की गई आगामी कार्रवाई सूचित नहीं की गई थी (अगसत 1997)।

यह मामला सरकार को अप्रैल 1994 में प्रतिवेदित किया गया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1997)।

(ii) वन मण्डल अधिकारी पांवटा साहब के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (फरवरी 1994) कि वर्ष 1992-93 के दौरान 79 साल्वेज खैर वृक्षों के 8 समूह दोहन हेतु निगम को सौंपे गए। मण्डलीय अभिलेखों की संवीक्षा से यद्यपि यह प्रकट हुआ कि खैर वृक्षों की मोटाई के आधार पर निर्धारित पूर्ण रॉयल्टी दरों की बजाए विभाग ने घनत्व की दृष्टि से 30 प्रतिशत की न्यून दरों पर 79 खैर वृक्षों के सम्बन्ध में गलती से रॉयल्टी का दावा किया था। परिणामतः 35,166 रु0 (बिक्री कर सहित) की रॉयल्टी कम प्रभारित की गई।

यह मामला लेखापरीक्षा में विभाग को सूचित किया गया (फरवरी 1994) तथा अप्रैल 1994 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1997)।

5.14 ईंधन काष्ठ पर रॉयल्टी की वसूली न करना

फरवरी 1990 में वन विभाग ने निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश राज्य निगम द्वारा उपभोक्ताओं को डिपुओं से बेची गई ईंधन लकड़ी पर रॉयल्टी दरें तथा वाणिज्यिक संगठनों/सरकारी विभागों को बाजार दरें प्रभारित की जाएंगी। चूंकि दोनो वर्गों को एक ही डिपू से ईंधन लकड़ी बेची जाती थी, इसलिए इन दोनों वर्गों का अलग समूह चिह्नांकन करना सम्भव नहीं था, अतः विभाग ने

आरम्भ में रॉयल्टी दरों पर मांग करने तथा वाणिज्यिक संगठनों/सरकारी विभागों को आपूरित ईंधन लकड़ी की मात्रा के ब्यौरे प्राप्त होने पर संशोधित मांग उठाने का निर्णया लिया।

वन मण्डल अधिकारी पांगी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (सितम्बर 1994) कि निगम को वर्ष 1992-93 के दौरान निस्सारण हेतु चौड़ी बत्तियों वाले 101 वृक्ष सौंपे गए। निगम ने 13178 क्विंटल ईंधन लकड़ी का निस्सारण किया जो विभाग द्वारा उसके किल्लार स्थित डिपू के माध्यम से दोनो प्रकार के उपभोक्ताओं (घरेलू उपभोक्ताः 7886.72 क्विंटल तथा वाणिज्यिक संगठन/सरकारी विभाग 5291.28 क्विंटल) को बेचा गया। मण्डलीय अभिलेखों से यह भी उद्घाटित हुआ कि न तो 13178 क्विंटल ईंधन लकड़ी के लिए रायल्टी दरों पर निगम से प्रारम्भिक मांग की गई थी न ही 7886.72 क्विंटल हेतु रॉयल्टी दरों पर तथा 5291.28 क्विंटल हेतु बाजार दरों पर संशोधित मांग उठाई तथा वसूल की गई थी। यह रॉयल्टी के 1.27 लाख रु0 (बिक्री कर सहित) की अवसूली में परिणत हुई।

इसके अतिरिक्त वर्ष 1987-88 से 1991-92 तक तथा 1993-94 के दौरान ईंधन लकड़ी के रुपान्तरण हेतु सौंपे गए वृक्षों के विवरण विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए गए और विभाग द्वारा उन वृक्षों पर रॉयल्टी की मांग तथा वसूल भी नहीं की गई।

लेखापरीक्षा में यह इंगित (सितम्बर 1994) किए जाने पर, विभाग ने बताया (दिसम्बर 1996) कि निगम से 1.89 लाख रु0 (बिक्री कर सहित) की मांग उठाई गई थी। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1997)।

मामला राज्य सरकार को अक्तूबर 1994 में प्रतिवेदित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1997)।

5.15 उपयुक्त वृक्षों पर रॉयल्टी की अल्प वसूली

राज्य सरकार के अप्रैल 1983 के एक निर्णय के अनुसार साल्वेज समूहों में दोहन हेतु चिन्हांकित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को सौंपे गए उपयुक्त वृक्षों पर रॉयल्टी खड़े हरे वृक्षों के लिए निर्धारित रॉयल्टी की दरों का 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत प्रभार्य है, बशर्ते कि इस प्रकार चिन्हांकित वृक्षों का घनत्व वन के कुल क्षेत्रफल अथवा इसके भाग के प्रति हेक्टेयर का क्रमशः 15 घनमीटर व उससे ऊपर, 5 घनमीटर परन्तु 15 घनमीटर से कम तथा 5 घनमीटर से कम है। सरकार ने मई 1989 में पुनः निर्णय लिया कि साल्वेज समूहों में चिन्हांकित तथा निगम को सौंपे गए अनुपयुक्त और चिह्नांकन की उपरोक्त घनत्व सीमा वाले वृक्षों के लिए रॉयल्टी खड़े हरे वृक्षों हेतु निर्धारित दरों का क्रमशः 18 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा 9 प्रतिशत प्रभार्य है। पुनः उपयुक्त तथा अनुपयुक्त वृक्षों के चिह्नांकन में कोई अन्तर होने की स्थिति में, निगम को चिन्हांकित समूहों की चिन्हांकित सूची सौंपे जाने के 30 दिनों के अन्दर अपना विरोध दायर करना होता है।

वन मण्डल अधिकारी बिलासपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (7 अक्तूबर 1995) की इमारती लकड़ी के मूल आयतन वाले 621.88 घनमीटर के 656 उपयुक्त तथा 317.28 घनमीटर के 235 अनुपयुक्त वृक्षों के एक साल्वेज समूह का चिह्नांकन किया गया तथा वर्ष 1994-95 के दौरान दोहन हेतु निगम को सौंपा गया (सितम्बर 1994)। इस चिह्नांकन सूची की पावती निगम द्वारा यथावत दी गई (सितम्बर 1994)। मण्डलीय अभिलेखों से उद्घाटित हुआ कि निगम ने समूह को अधिकार में देने के बाद 30 दिनों की विहित अवधि के अन्दर अपनी असहमति प्रकट नहीं की गई थी। इसके बावजूद वन मण्डल अधिकारी ने इमारती लकड़ी के 621.88 घनमीटर उपयुक्त तथा 317.28 घनमीटर अनुपयुक्त आयतन के प्रति निगम के साथ इमारती लकड़ी के क्रमशः 386.39 घनमीटर तथा 552.77 घनमीटर आयतन को दर्शाने वाली एक समाधान विवरण को गलती से स्वीकार कर लिया था (अगस्त 1995)। परिणामतः 83,832 रु0 की रॉयल्टी की अल्प वसूली हुई (19,346 रु0 के बिक्री कर सहित)।

सरकार जिसे कि मामला प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 1995) ने बताया (फरवरी 1996) कि 3.65 लाख रु0 (0.84 लाख रु0 के बिक्री कर सहित) की रॉयल्टी हेतु निगम से मांग की गई थी (11 अक्तूबर 1995)। जिसमें से 2.80 लाख रु0 (रॉयल्टी: 2.15 लाख रु0 तथा बिक्री कर: 0.65 लाख रु0) जमा किए जा चुके थे। 0.85 लाख रु0 की बकाया राशि की वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1997)।

5.16 गलत दरें लागू करने से मूल्य की अल्प वसूली

वन विभाग गैर- हकदारों (हिमाचल प्रदेश में स्थायी निवासी जिनका वन अधिकार नहीं है) के साथ सरकारी विभागों को उनकी मूल आवश्यकतओं के लिए राज्य के भीतर भवन निर्माण हेतु वृक्ष विक्रय करता है। उनको आपूरित ऐसे वृक्षों का मूल्य राज्य सरकार द्वारा वृक्षों के विक्रय किए गए वर्ष के लिए निर्धारित बाजारी दरों पर प्रभारित किया जाता है।

वन मण्डलीय अधिकारी, पांगी की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1994) कि वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1992-93 के दौरान 77.50 घन मीटर के मूल आयतन वाले देवदार वृक्ष गैर-हकदार तथा लोक निर्माण विभाग को विक्रय किए गए। मण्डलीय अभिलेखों की जांच से पता चला कि वर्ष 1988-90, 1989-90 तथा 1992-93 के लिए निर्धारित बाजारी दरों पर प्रभारित वृक्षों के 6.46 लाख रु0 के सही मूल्य के प्रति विभाग ने गलती से पूर्व वर्षों के लिए प्रयोज्य दरों पर 5.89 लाख रु0 प्रभारित किए। परिणामस्वरुप वृक्षों का मूल्य 56,679 रु0(20,415 रु0 के बिक्री कर तथा अधिभार सहित) कम प्रभारित किया गया।

सरकार ने जिसे मामला भेजा गया (अक्तूबर 1994) था, बताया (मई 1995) कि गैर-हकदार तथा संबंधित विभाग को संशोधित मांग जारी कर दी थी। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1997)।

छठा अध्याय : अन्य कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां

	परिच्छेद	पृष्ठ
क-विलास कर (होटलों तथा आवास गृहों में)		
लेखापरीक्षा परिणाम	6.1	73
होटलों तथा आवास गृहों में विलास कर का निर्धारण तथा संग्रहण	6.2	73
ख-भू राजस्व		
लेखापरीक्षा परिणाम	6.3	85
राजस्व की वसूली न होना	6.4	85
ग-स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस		
लेखापरीक्षा परिणाम	6.5	87
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अल्प निर्धारण	6.6	87
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण	6.7	88

छठा अध्याय

क- विलास कर

(होटलों तथा आवासगृहों में)

6.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 1996-97 के दौरान लेखापरीक्षा में की गई विलास कर (होटल तथा आवासगृहों में) से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच से 8.39 लाख रु0 के राजस्व के 34 मामलों की अनियमितताओं का पता चला जो मुख्यतः निम्नांकित श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं:-

		मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपए)
1.	कर का अवनिर्धारण	19	5.25
2.	अन्य अनियमितताएं	15	3.14
	जोड़	**34**	**8.39**

वर्ष 1996-97 की अवधि के दौरान एक मामले में 0.56 लाख रु0 के अवनिर्धारण आदि को सम्बन्धित विभाग ने स्वीकार किया जिसे लेखापरीक्षा में वर्ष 1986-87 में इंगित किया गया था। लेखापरीक्षा में किए गए 27.33 लाख रु0 के वित्तीय प्रभाव के "होटलों तथा आवास गृहों में विलास कर के निर्धारण तथा संग्रहण" के समीक्षा परिणामों को निम्नलिखित परिच्छेदों में दिया गया है।

6.2 होटलों तथा आवास गृहों में विलास कर का निर्धारण तथा संग्रहण

6.2.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश विलास कर अधिनियम, 1979 में विलास हेतु देय प्रभारों की राशि पर होटलों तथा आवास गृहों में विलासिताओं पर कर ("विलास कर" से सम्बन्धित) के उद्ग्रहण तथा संग्रहण हेतु प्रावधान है। "होटल" तथा "होटल में उपलब्ध विलास" को परिशिष्ट (पृष्ठ-91) में परिभाषित किया गया है।

6.2.2 संगठनात्मक ढांचा

अधिनियम को लागू करने के लिए आबकारी एवं कराधान आयुक्त की सहायतार्थ उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, आबकारी एवं कराधान अधिकारी एवं अन्य सम्बद्ध कर्मी होते हैं।

6.2.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

वर्ष 1992-93 से 1995-96 के लिए उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत मई 1996 तथा दिसम्बर 1996 के मध्य कर निर्धारण और संग्रहण से संबंधित 11 जिला कार्यालयों में से 10 जिला कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई जिससे होटलों तथा आवास गृहों में विलासिताओं पर कर के निर्धारण तथा संग्रहण को विनियमित करने वाली पद्धति एवं प्रक्रिया की दक्षता के निर्धारण का पता लगाया जा सके।

6.2.4 मुख्य बातें

i) किराए के कमरे की रसीदों के जोड़ों में गणना की गलतियां पकड़ने में निर्धारण प्राधिकारी की विफलता के कारण 1.45 लाख रु0 के कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

[परिच्छेद 6.2.6 (क)]

ii) 3.04 लाख रु0 के विलास कर की गलत दरें लागू करने से अल्प निर्धारण हुआ।

[परिच्छेद 6.2.7(क)]

iii) 60 होटलों के मालिकों ने या तो कमरों की अनुमोदित शुल्क दर से कम दरों पर कर अदा किया अथवा कर दिया ही नहीं था जिसका निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा निर्धारणों के समय पता नहीं लगाया जा सका। परिणामतः 10.64 लाख रु0 का अवनिर्धारण हुआ।

[परिच्छेद 6.2.7(ख)]

iv) 26 होटलों के मालिकों ने न तो अपने होटलों का नाम पंजीकृत करवाया न ही विवरणियां भरीं अथवा विलास कर दिया। पर्यटन विभाग के साथ आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा समन्वय न रख पाने के कारण इन होटलों के मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकी।

[परिच्छेद 6.2.10(क)]

v) यद्यपि अप्रैल 1991 से अक्तूबर 1994 तक की अवधि की विवरणियों से देय विलासिता कर प्रकट हुआ लेकिन इस अवधि हेत देय कर निर्धारित करने में निर्धारण प्राधिकारी की विफलता और वर्ष 1989-90 से 1990-91 तक की अवधि हेतु अप्रैल 1996 में की गई मांग की वसूली न होने के फलस्वरुप होटल के मालिक ने 5.25 लाख रु0 का सरकारी राजस्व अनधिकृत रुप से प्रतिधारित किया। इसके अतिरिक्त 2.15 लाख रु0 का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(परिच्छेद 6.2.12)

6.2.5 राजस्व प्रवृत्ति

वर्ष 1995-96 को समाप्त अंतिम चार वर्षों के बजट प्राक्कलनों के आंकड़े तथा उनके प्रति वास्तविक प्राप्तियों का विवरण निम्नाकित है:-

वर्ष	प्राक्कलित प्राप्तियां	वास्तविक प्राप्तियां	आधिक्य(+) कमी (-)	प्राक्कलित प्राप्तियों के प्रति आधिक्य की प्रतिशतता
	(लाख रुपए)			
1992-93	113.57	189.84	(+)76.27	67
1993-94	225.40	250.80	(+)25.40	11
1994-95	230.41	354.47	(+)124.06	54
1995-96	401.00	453.54	(+)52.54	13

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 1992-93 से 1995-96 के दौरान राजस्व में वृद्धि 11 से 67 प्रतिशत रही।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने (जुलाई 1997) पर विभाग ने बताया (अगस्त 1997) कि विलास कर संग्रहण में वृद्धि कर की दर में वृद्धि (1992-93) तथा राज्य में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि का अनुमान लगाने में असमर्थता तथा होटलों की संख्या में हुई वृद्धि के कारण थी।

6.2.6 विवरणियां भरना तथा उनका निर्धारण करना

हिमाचल प्रदेश विलास कर (होटल तथा आवास गृह) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत, इसके पश्चात इसे अधिनियम कहा जाए, अप्रैल 1991 से विलास कर देने वाले प्रत्येक होटल मासिक को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र में निर्धारण प्राधिकारी को तिमाही विवरणी भेजनी होती है।

होटल मालिक से मिलने वाली विलास कर की राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आधे अथवा उसके किसी भार हेतु पृथक रुप से निर्धारित कीं जानी चाहिए। यदि निर्धारण प्राधिकारी होटल मालिक की उपस्थिति अथवा उसके द्वारा किसी साक्ष्य को प्रस्तुत किए बिना इस बात से संतुष्ट हो जाए कि किसी अवधि से संबंधित भेजी गई विवरणियां पूर्ण हैं तो वह होटल मालिक से मिलने वाली विलास कर की राशि ऐसी विवरणी के आधार पर निर्धारित करेगा। यदि निर्धारण प्राधिकारी विवरणियां भेजने वाले होटल मालिक की उपस्थिति अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की किसी अवधि की भेजी गई विवरणियों के सही तथा पूर्ण होने से संतुष्ट नहीं होता तो वह निर्धारित ढंग से नोटिस जारी करेगा और मालिक को अपनी सफाई पेश करने का अवसर देने के पश्चात उससे मिलने वाले विलास कर का निर्धारण करेगा। किसी अवधि के लिए भेजी गई विवरणियां भेजने वाला होटल मालिक यदि नोटिस की शर्तों को मानने में विफल रहता है तो निर्धारण प्राधिकारी ऐसी अवधि

की समाप्ति के पांच वर्षों के भीतर अपनी समझ के अनुसार उसके प्रति देय विलास कर का निर्धारण करेगा। यदि होटल मासिक विशिष्ट तिथि तक किसी अवधि की विवरणियां नहीं भेजता तो निर्धारण प्राधिकारी ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् पांच वर्षों के भीतर तथा सुनवाई का उपयुक्त अवसर देने के बाद अपनी समझ के अनुसार कर निर्धारण करेगा।

विवरणियों का गलत भरा जाना

(क) सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (जुलाई 1996) कि एक होटल के 1991-92 से 1993-94 के वर्षों के निर्धारणों को जून तथा अक्तूबर 1995 में अंतिम रुप दिया गया था। होटल मालिक द्वारा भरी गई विवरणियों की लेखापरीक्षा में जांच से पता चला कि कमरे किराए की रसीदों के गलत जोड़ों के कारण 14.46 लाख रु० की राशि कर लगाने से वंचित रह गई। निर्धारण प्राधिकारी की जोड़ चूक पता लगाने की विफलता के कारण 1.45 लाख रु० के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। 36,155 रु० की न्यूनतम शास्ति तथा 75,383 रु०(जुलाई 1996 तक) का ब्याज भी उद्ग्राहय था।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जुलाई 1996) सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला ने सूचित किया (जनवरी 1997) कि 2.87 लाख रु० (दिसम्बर 1996 तक के ब्याज सहित) की अतिरिक्त मांग तैयार कर ली गई थी। राशि की वसूली सूचना प्राप्त नहीं हुई (अगस्त 1997)।

(ख) अधिनियम में प्रावधान है कि होटल मालिक ग्राहक अथवा ग्राहकों को होटल मालिक के नाम तथा पते वाला बिल अथवा क्रमांकित संख्या का नकदी मिमों देगा। प्रत्येक ग्राहक के ठहरने की अवधि सहित जारी किए गए बिलों/नकदी मिमों की संख्या तथा तिथियां विवरणी (प्रपत्र-III) में दर्शाई जानी अपेक्षित हैं, जिसे निर्धारण प्राधिकारी को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् 15 दिनों के भीतर भेजना होता है।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, कुल्लू के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (नवम्बर 1996) कि एक होटल के वर्ष 1992-93 के निर्धारण को अगस्त 1996 में अंतिम रुप दिया गया। मई 1992 की विवरणी की जांच से पता चला कि 1 मई 1992 से 20 मई 1992 तक 125 ग्राहकों की प्रविष्टियों के पश्चात् 31 मई 1992 तक कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी। यह भी देखा गया कि 22 मई की अन्तिम प्रविष्टि से जून 1992 की आरम्भिक प्रविष्टि तक 90 बिल गुम थे। पुनः अभिलेखों से पता चला कि होटल मालिक ने मई 1992 के लिए विलास कर की भरी गई विवरणी की 0.73 लाख रु० की राशि के प्रति 1.10 लाख रु० जमा करवाए। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा मई 1992 मास का कर 21 मई से 31 मई 1992 तक के ग्राहकों के विवरण के साथ गुम बिलों का विवरण प्राप्त किए बिना निर्धारित कर दिया जिसके कारण विलास कर की 37,061 रु० की राशि का अवनिर्धारण हुआ। कथित रुप से अधिक जमा करवाए गए 37,061 रु० गलती से जुलाई 1992 से मार्च 1993 के महीनों के प्रति देय भुगतानों में समायोजित किए गए।

इसे लेखापरीक्षा में विभाग को इंगित (नवम्बर 1996) किया गया किन्तु उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1997)।

6.2.7 निर्धारण

(क) विलास कर की गलत दर लागू करने के कारण अवनिर्धारण

हिमाचल प्रदेश विलास कर, (होटल तथा आवास गृह) 1979 के अन्तर्गत विलास कर की दरें 20 अप्रैल 1991 से 30 जून 1992 तक निम्नांकित थीं:-

(क)	जहां आवास प्रभार पचास रुपए हो किन्तु प्रति व्यक्ति प्रतिदिन डेढ सौ रुपए से अधिक न हो तथा	ऐसे प्रभारों का 8 प्रतिशत
(ख)	जहां आवास के प्रभार प्रति व्यक्ति प्रति दिन डेढ़ सौ रुपए से अधिक हो	ऐसे प्रभारों का 10 प्रतिशत

विलास कर की दर 1 जुलाई 1992 से एक रुपए में दस पैसे निश्चित की गयी थी।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बिलासपुर, चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला तथा ऊना के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 32 होटलों/आवास गृहों के मालिकों द्वारा वर्ष 1991-92 से 1995-96 तक की भरी गई विवरणियों के निर्धारण सितम्बर 1992 तथा सितम्बर 1996 के मध्य निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए गए थे।

निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा में जांच से पता चला कि गलत दरें लागू करने के कारण 3.04 लाख रु0 (1.07 लाख रु0 के ब्याज सहित) के विलास कर का अल्प निर्धारण हुआ।

इसे लेखापरीक्षा में बताए जाने पर (मार्च 1996 तथा दिसम्बर 1996 के मध्य) ऊना तथा शिमला जिलों के पांच होटलों के संबंध में 67,969 रु0 की अतिरिक्त मांग जारी कर दी थी। बकाया मामलों के संबंध में वसूली की सूचना तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1997)।

(ख) कमरे की अनुमोदित शुल्क दर के आधार पर विलास कर का निर्धारण न करना।

अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति (होटल के कर्मचारी को छोड़कर) को उपलब्ध विलास सुविधाएं बिल्कुल भी प्रभारित नहीं की हो अथवा रियायती दर पर प्रभारित की हो, वहां ऐसी विलास सुविधा पर विलास कर का उद्ग्रहण तथा संग्रहण इस ढ़ग से

किया जाएगा, मानों ऐसी विलास सुविधा हेतु होटल के मालिका को पूर्ण प्रभार की अदायगी की गई हो। होटल द्वारा उपलब्ध करवाई गई विलास सुविधा के संबंध में रियायती दर का अर्थ है, ऐसी विलाससुविधा हेतु निश्चित सामान्य दर से कम दर अथवा सरकारी प्राधिकारी द्वारा निश्चित दर या किसी कानून के अन्तर्गत अल्प समय हेतु लागू दर।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बिलासपुर, चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन तथा सिरमौर जिलों के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 60 होटलों (बिलासपुर:1 , चम्बा: 10, कांगड़ा: 8, कुल्लू: 15, शिमला: 15, सोलन: 9 तथा सिरमौर: 2) के मालिकों द्वारा वर्ष 1990-91 से 1995-96 तक के लिए भरी गई विवरणियों के निर्धारणों को अक्तूबर 1992 तथा अक्तूबर 1996 के मध्य निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अन्तिम रुप दिया गया था। विवरणियों की लेखापरीक्षा में जांच से पता चला कि होटल मालिकों ने कमरों की अनुमोदित शुल्क दरों के बजाए निम्न दरों पर कर अदा किया या कर बिल्कुल भी अदा नहीं किया। निर्धारण प्राधिकारियों की ठीक दरों पर कर निर्धारण में विफलता के कारण 10.64 लाख रु0 के कर का अवनिर्धारण हुआ।

इसे लेखापरीक्षा में बताए जाने पर (अप्रैल 1996, जुलाई से दिसम्बर 1996) तीन जिलों के सात होटलों की 2.28 लाख रु0 की अतिरिक्त मांग जारी कर दी थी। इसमें से 10,581 रु0 वसूल किए जा चुके थे। शेष होटलों के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई और वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1997)।

6.2.8 ब्याज का अनुद्ग्रहण

हिमाचल प्रदेश विलास कर (होटल तथा आवास गृह) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत यदि होटल का मालिक अधिनियम के अन्तर्गत देय कर की राशि देने में विफल रहता है अथवा मालिक से देय विलास कर या शास्ति नोटिस में उल्लिखित अवधि के भीतर अथवा जब नोटिस में अवधि नहीं दी गई हो तो, ऐसे नोटिसों की जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर कर की राशि नहीं दी जाती तब अन्तिम तिथि के तुरन्त बाद की तिथि से इस राशि पर एक मास की अवधि तक एक प्रतिशत प्रतिमास की दर से अथवा नोटिस मांग में उल्लिखित अन्तिम तिथि से और उसके पश्चात् डेढ प्रतिशत प्रतिमास की दर से चूक जारी रहने तक की तिथि तक ब्याज प्रभारित किया जाता है।

कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, सोलन तथा ऊना जिलों के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पता चला कि 25 मामलों के सम्बन्ध में उद्ग्राहय 2.22 लाख रु0 का ब्याज उद्गृहीत नहीं किया गया था।

इन मामलों की लेखापरीक्षा में बताया गया था (जुलाई से सितम्बर 1996 तथा दिसम्बर 1996) किन्तु उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1997)।

6.2.9 बकाया निर्धारण

जिन आबकारी एवं कराधान अधिकारियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारणों का दायित्व सौंपा गया है, उनको बिक्री कर, यात्री तथा माल कर आदि के निर्धारणों सहित अन्य विभिन्न कार्य भी सौंपे जाते हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारणों को पूर्ण करने हेतु विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे। आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा आबकारी एवं कराधान अधिकारी से प्राप्त मासिक प्रगति प्रतिवेदनों में इस अधिनियम के अन्तर्गत बकायों को भेजने की सूचना अपेक्षित नहीं है। अतः अवनिर्धारणों के सम्बन्ध में आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा प्रभावी नियंत्रण रखने की सम्भावना न्यूनतम होती है।

लेखापरीक्षा द्वारा की गई विशिष्ट आपत्ति के उत्तर में विभाग द्वारा भेजे गए 31 मार्च 1996 तक के निर्धारणों के प्रतिक्षित मामलों के वर्षानुवर्ष मामलों का विवरण निम्नांकित था:-

निर्धारण वर्ष	लम्बिल मामलों की संख्या
1987-88	6
1988-89	12
1989-90	25
1990-91	82
1991-92	247
1992-93	585
1993-94	707
1994-95	818
जोड़	**2,482**

जिला कार्यालयों में अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया था जिससे लम्बित निर्धारण मामलों में अन्तःग्रस्त राशि का पता चल पाता।

(क) सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला तथा कांगड़ा के कार्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि चार होटलों (शिमला: 3 कांगड़ा:1) के वर्ष 1988-89 से 1991-92 तक के 10 निर्धारणों को न तो तैयार किया गया था न ही लेखापरीक्षा को दिए गए लम्बित मामलों के विवरणों में बकाया दर्शाया गया था। इनमें से एक होटल ने वित्तीय वर्ष 1988-89 का विलास कर नहीं दिया था तथा निर्धारण कालातीत हो गया था।

इसे लेखापरीक्षा में बताया गया (जुलाई तथा सितम्बर 1996) था किन्तु उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1997)।

(ख) शिमला जिला में दो होटलों ने क्रमशः मई 1989 तथा जून 1992 से नियमित रुप से विलास कर दिया किन्तु इन होटलों के न तो निर्धारण बताए गए न ही जिला कार्यालयों द्वारा

लेखापरीक्षा को दी गई बकाया लम्बित मामलों की सूची में दर्शाया गया।

इसे लेखापरीक्षा में बताया गया (जुलाई 1996) था किन्तु उत्त्र प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1997)।

(ग) 1 जुलाई 1992 से आवास प्रभारों के 25 रु० प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अथवा अधिक पर विलास कर एक रुपए में दस पैसे के रुप में उद्ग्रहण किया जा रहा था। कांगड़ा जिला में तीन होटलों के वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के पांच निर्धारणों को अक्तूबर 1994 और सितम्बर 1995 के मध्य निर्धारण प्राधिकारियों ने समस्त आवास को कर मुक्त मानकर "शून्य" मांग के आधार पर अन्तिम रुप दिया गया।

पर्यटन विभाग द्वारा निश्चित अनुमोदित शुल्क दर का जिला आबकारी एवं कराधान अधिकारी के अभिलेखों के साथ परस्पर सत्यापन करने से पता चला कि इन होटलों की शुल्क दरें 25 रुपये से अधिक थी तथा इसलिए इनसे विलास कर का उद्ग्रहण किया जाना था।

इसे लेखापरीक्षा में विभाग को बताया गया (सितम्बर 1996) था किन्तु उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1997)।

6.2.10 कर के अन्तर्गत न लाए गए होटल

अधिनियम के अन्तर्गत जारी (अप्रैल 1991) अधिसूचनानुसार कर देने के लिए उत्तरदायी स्वामी तब तक स्वामी के रुप मे कारोबार नहीं कर सकता है जब तक वह पंजीकृत होकर पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं रखता। पंजीकरण के लिए प्रत्येक स्वामी को संबंधित जिले के निर्धारण प्राधिकारी को निर्धारित ढंग से आवेदन करना होता है और यदि निर्धारण प्राधिकारी संतुष्ट हो तो उसे ऐसे नियमों के अनुसार तथा ऐसी फीस की, यथा निर्धारित अदायगी पर आवेदक को पंजीकृत करेगा तथा निर्धारित प्रपत्र में उसका पंजीकरण स्वीकृत करेगा। इस अधिसूचना में यह भी प्रावधान है कि, उन मामलों में जहां मालिक स्वेच्छा से पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफल् रहें, वहां निर्धारण प्राधिकारी यह निर्देश दे सकता है कि मालिक शास्ति के रुप में वह राशि अदा करेगा जो दस प्रतिशत से कम न हो परन्तु यह विलास कर की डेढ गुणा राशि से अधिक न हो। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि यद्यपि होटल मालिकों के पंजीकरण हेतु अधिसूचना जुलाई 1996 में जारी की गई थी, किन्तु दिसम्बर 1996 तक कोई मालिक पंजीकृत नहीं किया गया था और इस प्रकार पंजीकरण न करवाने के लिए शास्ती उपबन्धों की याचना नहीं की जा सकी।

होटल खोलने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश पर्यटक पंजीकरण व्यापार अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत पर्यटन विभाग के पास पंजीकरण हेतु आवेदन करना होता है तथा यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त पंजीकरण के बिना होटल का कारोबार करता है, तो उसके विरुद्ध उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जानी होती है।

(क) आबकारी एवं कराधान विभाग के साथ पर्यटन विभाग के अभिलेखों के लेखापरीक्षा में मिलान से पता चला कि हिमाचल प्रदेश पंजीकरण एवं पर्यटक व्यापार अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत 26 होटलों/आवास गृहों को पर्यटन विभाग के पास पंजीकृत करवाया गया था। निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आवास प्रभार तथा उसकी प्रतियां बिना परिवर्तन के विलास कर वसूली का अधिकार रखने वाले संबंधित कराधान प्राधिकारी को पृष्ठांकित की थीं, किन्तु इन होटलों/आवास गृहों के मालिक आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रशासित हिमाचल प्रदेश विलास कर (होटल तथा आवास गृह) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत न तो पंजीकृत किए गए न ही उन्होंने विवरणियां भरीं तथा न ही कर अदा किया था जिसे निम्न तालिकाबद्ध किया गया है:-

जिला का नाम	होटलों की संख्या	पर्यटन विभाग द्वारा पंजीकरण अवधि या पता लगाई गई अवधि	अभ्युक्तियां
शिमला	17	3 तथा 20 वर्ष वर्षों के मध्य	जिला आबकारी एवं कराधान कार्यालयों द्वारा जुलाई 1996 तक निर्धारण प्रक्रियां शुरु नहीं की गई थी तथा इन होटलों के प्रति निर्धारणों का लम्बन नहीं दर्शाया गया था । वर्ष 1990-91 तक 11 होटलों के संबंध में 47 निर्धारण मामले कालातील हो गए थे।
कुल्लू	2		
सोलन	1		
मण्डी	1		

	21		

सोलन	1	अपंजीकृत	होटल 19 फरवरी 1993 से चलाया जा रहा था। लेखापरीक्षा में विवरणियों को न भरने/विलास कर अदा न करने के तथ्य बताए गए थे (मई 1994)। इसके अनुपालन के लिए जिला आबकारी एवं कराधान कार्यालय द्वारा होटल मालिक को आठ नोटिस दिए गए। मालिक ने सूचित किया (जुलाई 1996) कि अप्रैल 1995 से जून 1996 की अवधि से संबंधित 35,504 रु0 के कर में से 7,000 रु0 जून 1996 में जमा करवा दिए थे। मामला निर्धारण हेतु लम्बित था (अगस्त 1996)। फरवरी 1993 से जून 1996 की अवधि हेतु विवरणियां न भरने के कारण देय विलास कर की लेखापरीक्षा में गणना नहीं की जा सकी।

जिला का नाम	होटलों की संख्या	पर्यटन विभाग द्वारा पंजीकरण अवधि या पता लगाई गई अवधि	अभ्युक्तियां
कांगड़ा	4	जुलाई 1993, मई तथा जुलाई 1996 के दौरान पता लगाए गए मामले	इन होटलों का नाम आबकारी एवं कराधान विभाग के अभिलेखों में नहीं था तथा परिणामतः कार्रवाई नहीं की जा सकी। इन चार होटलों में से एक होटल के अभिलेखों का पर्यटन विभाग द्वारा मई 1996 में अभिग्रहण किया गया। लेखापरीक्षा में अभिलेखों की जांच से पता चला कि (सितम्बर 1996) कि होटल ने अगस्त 1995 से 14 मई 1996 की अवधि के दौरान 1.48 लाख रु० (कमरा संख्या उपलब्ध न होने के कारण अधिभोग के आधार पर न्यूनतम दरों पर की गई गणना) कमरों के किराए के रुप में अर्जित किए थे, जिस पर विलास कर के 14,480 रु० देय थे। इसके अतिरिक्त ब्याज भी उद्ग्राहय था।

इन मामलों को लेखापरीक्षा में बताया गया था (अगस्त तथा सितम्बर 1996) किन्तु उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 1997)।

(ख) हिमाचल प्रदेश में फरवरी 1994 तक विद्यमान होटलों तथा विश्रामगृहों के संबंध में नई दिल्ली में प्रकाशित यात्रा गाइड में उपलब्ध सूचना को लेखापरीक्षा में पर्यटन विभाग में पंजीकृत होटलों की सूची के साथ मिलाया गया था। प्रकाशन में शिमला जिले के दो होटलों का नाम आया जिन्हें विभाग के पास पंजीकृत नहीं करवाया गया था। प्रकाशन की सूचनानुसार इन दो अपंजीकृत होटलों में आवास दर 350 रु० तथा 600 रु० प्रतिदिन के मध्य उपलब्ध थी।

पुनः सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला के अभिलेखों के साथ सूचना को परस्पर मिलाने से पता चला (जुलाई 1996) कि इन दो होटलों ने न तो अपनी विवरणियां भरी थीं न ही विलास कर अदा किया था। अभिलेखों से यह भी पता चला कि इन दो होटलों में से एक होटल जुलाई 1994 में सर्वेक्षण के दौरान आबकारी एवं कराधान निरीक्षक द्वारा चलाया जा रहा था। निरीक्षण टिप्पणी निर्धारण प्राधिकारी को नवम्बर 1994 में प्रस्तुत की गई थी किन्तु इस टिप्पणी पर जुलाई 1996 तक कार्रवाई नहीं की गई यद्यपि उस पर निर्धारण प्राधिकारी ने नवम्बर 1994 में आदेश किए थे कि दोषी होटल को नोटिस अवश्य दिया जाए। होटल के निर्धारण को अन्तिम रुप देने के लिए कार्रवाई नहीं की गई। इतना ही नहीं लेखापरीक्षा को दी गई सूचनानुसार होटल के प्रति निर्धारण लम्बन नहीं दर्शाया गया।

इसे लेखापरीक्षा में बताए जाने पर (जुलाई 1996) सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला ने सूचित किया (जनवरी 1997) कि होटल के प्रति 63,332 रु० की मांग जारी कर दी गई थी। दूसरे होटल के संबंध में भी निर्धारण प्रक्रिया आरम्भ कर दी थी (अगस्त 1997)।

(ग) शिमला जिले का 13 कमरों वाला एक होटल सितम्बर 1990 में पर्यटन विभाग के पास पंजीकृत था। लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (जुलाई 1996) कि इस होटल ने जिला आबकारी एवं कराधान, कार्यालय शिमला के पास सितम्बर 1990 से अप्रैल् 1993, जुलाई 1993 से सितम्बर 1994 तथा जनवरी 1995 से जून 1996 की अवधि की न तो विवरणियां भरी थीं न ही देय विलास कर अदा किया था। यद्यपि मई, जून 1993 तथा अक्तूबर से दिसम्बर 1994 तक की विवरणियां भरी थीं, फिर भी निर्धारण प्रक्रिया आरम्भ नहीं की गई थी। यह भी देखा गया कि आबकारी एवं कराधान निरीक्षक, शिमला ने पता लगाया (जुलाई 1994) कि होटल अन्य पार्टी को बेच दिया था तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र न दिखाना/पर्यटन विभाग द्वारा जारी अनुमोदित शुल्क दर सूची तथा (i) कमरों के अधिभोग और कर संग्रहण का प्रतिदिन लेखा और (ii) विलास कर की अदायगी का प्रमाण से संबंधित रजिस्टर जैसी अन्य अनियमितताएं जिनके लिए दण्डात्मक कार्रवाई अपेक्षित थी भी देखी गई। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा होटल मालिक को नोटिस जारी करने के आदेश के बावजूद निरीक्षक की निरुपण रिपोर्ट पर जुलाई 1996 तक कार्रवाई नहीं की गई। वर्ष 1990-91 के निर्धारण समय सीमा से बाधित हो गए।

6.2.11 विलास कर संग्रहण का बकाया

(क) 31 मार्च 1996 को विलास कर के वर्षानुवर्ष बकाया के लम्बित संग्रहण विभाग की सूचनानुसार निम्नांकित थे:-

वर्ष	बकाया राशि (रुपए)
1989-90	1,900
1990-91	6,100
1991-92	1,149
1993-94	24,230
1994-95	1,66,891
1995-96	4,99,245
जोड़	**6,99,515**

देय बकायों की छानबीन के समय निम्नांकित तथ्य ध्यान में आया:

(ख) बकाया को न बताना

कुल्लू जिले में 1983-84 से 1988-89 तथा 1991-92 की अवधि की दिसम्बर 1991 और फरवरी 1993 के दौरान सृजित 11,400 रु0 के कर की मांग लेखापरीक्षा को दिए गए (दिसम्बर 1996) बकायों के लम्बन विवरणों में सम्मिलित नहीं थी। बकायों पर 9,867 रु0 ब्याज भी देय हो गया था।

6.2.12 सरकारी धन का अनुचित अवरोधन

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1996) कि शिमला जिले के एक होटल मालिक के प्रति निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 1989-90 तथा 1990-91 की अवधि हेतु विलास कर की व्युत्पित (अप्रैल 1996) 1.96 लाख रु0 की मांग अदा करने को रहती थी। अभिलेखों से पता चला कि अप्रैल 1991 से अक्तूबर 1994 तक की अवधि की 3.29 लाख रु0 के देय विलास कर प्रकट करने वाली विवरणियां नवमबर 1994 में होटल मालिक द्वारा भरी गई थी। यह राशि भी जमा नहीं करवाई गई थी (जुलाई 1996)। बाद की अवधि की विवरणियों का अभिलेखों में उल्लेख नहीं था। मालिक से अप्रैल् 1991 से अक्तूबर 1994 तक की अवधि के देय कर निर्धारण में निर्धारण प्राधिकारी की विफलता तथा अप्रैल 1996 में व्युत्पित मांग की वसूली न करने के कारण होटल मालिक द्वारा 5.25 लाख रु0 के सरकारी धन का अवरोधन हुआ। इसके अतिरिक्त, 2.15 लाख रु0 का ब्याज भी उद्ग्राहय था। इसे लेखापरीक्षा में बताया गया (अगस्त 1996) किन्तु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1997)।

उपरोक्त मामले विभाग तथा सरकार को मार्च 1997 में सूचित किए थे। उनके उत्तर प्राप्त नही हुए थे (अगस्त 1997)।

ख-भू-राजस्व

6.3 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 1996-97 के दौरान लेखापरीक्षा में की गई भू-राजस्व लेखाओं के अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नांकित श्रेणियों में आने वाले सात मामलों में राजस्व की गैर वसूली या अल्प वसूली तथा 14.17 लाख रु0 की अन्य अनियमितताओं का पता चला:-

		मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपए)
1.	राजस्व की गैर वसूली/अल्प वसूली	6	11.96
2.	अन्य अनियमितताएं	1	2.21
	जोड़	**7**	**14.17**

1996-97 के दौरान संबंधित विभाग ने वर्ष 1979-81 के आठ मामलों में अन्त:ग्रस्त 4.80 लाख रु0 के अवनिर्धारणों को स्वीकार किया। 8.83 लाख रु0 के वित्तीय प्रभाव को दशनि वाली मुख्य टिप्पणियां दृष्टांत मामलों के रुप में नीचे दी जाती हैं:-

6.4 राजस्व की वसूली न होना

7 अगस्त 1987 को समाहर्त्ता जिला सोलन (पट्टा देने वाला) तथा प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक विकास निगम सीमित (पट्टाधारक) के मध्य 34 बीघा 14 बिस्वें भूमि का 95 वर्षों के लिए पट्टा विलेख का निष्पादन किया गया। विलेख अनुसार प्रत्येक वर्ष अक्तूबर से पहले अथवा अक्तूबर की पहली तिथि को भूमि का देय 69,480 रु0 का वार्षिक किराया पट्टाधारक द्वारा पट्टास्वामी को देना था। इसका प्रत्येक पांच वर्ष बाद उस समय भूमि की प्रचालित उच्च बाजार कीमत के आधार पर नवीनीकरण किया जाना था। तीन वर्षों की अवधि का किराया देने में विफलता अथवा किसी भी समय बकाया किराया राशि 2.08 लाख रु0 हो जाने की अवस्था में पट्टाधारक के उक्त पट्टे के सभी अधिकार जब्त हो जाने थे बशर्ते पट्टास्वामी ने पट्टाधारक को बकायों के भुगतान की मांग का नोटिस दिया होता। परिसरों से निकाला गया पट्टाधारक या व्यक्ति नियमों के अन्तर्गत परिसरों को पुनः अधिकार में लेने का हकदार हो सकता था यदि वह पट्टास्वामी द्वारा अन्तराल के दौरान परिसरों को अधिकार में लेने तथा रखने में खर्च हुए अन्य खर्चों सहित देय बकायों और उस पर ब्याज का भुगतान कर देता है।

समाहर्ता, सोलन के लेखाओं की लेखापरीक्षा (दिसम्बर 1996) के दौरान यह देखा गया कि यद्यपि पांच वर्षों का पहला अल्पकाल 6 अगस्त 1992 को पूर्ण हुआ था किन्तु मूल विलेख फाईल के न मिलने के कारण बाद की पांच वर्षों की अवधि (7 अगस्त 1992 से 6 अगस्त 1997) का नवीनीकरण पट्टा विलेख की शर्तों के अनुसार निश्चित नहीं किया जा सका। पट्टाधारक ने 1993 से 1995 तक की अवधि की 69,480 रु0 की पूर्व वार्षिक दर पर किराए के

2.08 लाख रु0 जमा करवाए। परिणामतः लेखापरीक्षा तक (दिसम्बर 1996) संशोधित वार्षिक किराया निश्चित न करने के कारण सरकार 8.83 लाख रु0 (अगस्त 1996 तक) के अपने वैध राजस्व से वंचित हुई।

इसे लेखापरीक्षा में बताए जाने पर (दिसम्बर 1996) विभाग ने सूचित किया (फरवरी 1997) कि 1992-93 से 1996-97 की पट्टावधि हेतु वार्षिक पट्टा किराया 2,60,250 रु0 संशोधित कर दिया गया था तथा 10.93 लाख रु0 की शेष राशि की मांग व्युत्पित कर दी थी। विभाग ने यह भी बताया (जुलाई 1997) कि सामान्य कार्रवाई के द्वारा शेष राशि की वसूली न होने के कारण उसे अब भू-राजस्व के रुप में वसूला जा रहा था। आगे की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1997)।

इसकी सूचना सरकार को जनवरी 1997 में दी गई थी। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1997)।

ग-स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस

6.5 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 1996-97 के दौरान की गई लेखापरीक्षा में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच से 38.18 लाख रु० के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस से संबंधित गैर वसूली/अल्प वसूली के 128 मामलों का पता चला जो मुख्यतः निम्नांकित श्रेणियों में आते हैं:-

		मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपए)
1.	स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की गैर वसूली/अल्प वसूली	99	30.53
2.	अन्य अनियमितताएं	29	7.65
	जोड़	**128**	**38.18**

वर्ष 1996-97 के दौरान संबंधित विभाग ने 89 मामलों से अन्तःग्रस्त 8.16 लाख रु० के अव निर्धारण स्वीकार किए जिनमें से 0.06 लाख रु० का एक मामला 1996-97 के दौरान और शेष पूर्व वर्षों, जिनमें प्राचीनतम वर्ष 1986-87 था, लेखापरीक्षा में बताए गए थे। 2.16 लाख रु० के वित्तीय प्रभाव वाले कुछ दृष्टांत निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिए जाते हैं।

6.6 स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का अल्प निर्धारण

हिमाचल प्रदेश में 31 मार्च 1989 से यथासंशोधित (हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं० 7-1989) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अन्तर्गत शुल्क से सम्बन्धित विलेख की प्रभार्यता पर प्रभाव डालने वाला प्रतिफल यदि कोई है, सम्पत्ति का बाजार मूल्य तथा सभी अन्य तथ्य व परिस्थितियों को विलेख में पूर्ण एवं सत्यतः प्रविष्ट किया जाएगा। सम्पत्ति का 'बाजार मूल्य' वह कीमत परिभाषित की गई है जो उस सम्पत्ति के स्थानान्तरण से संबंधित विलेख के निष्पादन की तिथि को उस सम्पत्ति के सार्वजनिक तौर पर बेचने से प्राप्त होती हो। यदि पंजीकरण अधिकारी को किसी विलेख का पंजीकरण करते हुए यह विश्वास हो जाए कि सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा प्रतिफल, जैसी भी स्थिति हो, विलेख में सही नहीं दिया गया है, तो वह ऐसे विलेख का पंजीकरण करने के पश्चात् बाजार मूल्य या प्रतिफल के निर्धारण तथा उस पर भुगतान योग्य उचित शुल्क की वसूली हेतु समाहर्ता को भेज सकता है।

*

चार उप पंजीयकों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1995 तथा मई 1996 के मध्य) कि 1994 तथा 1995 के दौरान पंजीकृत किए गए 51 मामलों में यद्यपि सम्पत्ति का प्रतिफल विलेख में दिया गया था, बाजार मूल्य जो स्टाम्प शुल्क के निर्धारण से सम्बद्ध था, इन विलेखों में नहीं दिया गया था। 1994 तथा 95 के दौरान निष्पादित तथा पंजीकृत विलेखों की जांच से पता चला कि इसी भांति की भू सम्पत्ति पूर्व वर्षों में पर्याप्त उच्च दरों पर बेची गई थी। पूर्व वर्षों के भूमि के मूल्य तथा इन विलेखों में किए गए प्रतिफल में भारी अन्तर को देखते हुए पंजीकरण अधिकारियों को इन विलेखों को पंजीकृत करने के पश्चात अधिनियम की धारा 47-क के अन्तर्गत ऐसे मामलों को बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु समाहर्ता को भेजना अपेक्षित था। संबंधित हल्के के पटवारी की सूचनानुसार वर्ष 1993 तथा 1994 में उस हल्के में भूमि के मूल्य के आधार पर संगणित 1.62 लाख रु0 का स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस कम आंकी गई।

इसे लेखापरीक्षा में बताए जाने पर (दिसम्बर 1995 तथा मई 1996 के मध्य) विभाग ने सूचित किया (फरवरी , मार्च तथा जुलाई 1997) कि 89,872 रु0 (चवाड़ी: 1540 रु0; धर्मशाला: 34792 रु0; कांगड़ा: 23290 रु0 तथा पालमपुर: 30250 रु0) वसूल किए जा चुके थे तथा शेष राशि वसूलने हेतु पग उठाए जा रहे थे। वसूली की और सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1997)।

इन मामलों को जनवरी 1996 तथा जून 1996 के मध्य सरकार को सूचित किया गया था। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1997)।

6.7 स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण

हिमाचल प्रदेश में यथाप्रयोज्य भारतीय स्टाम्प शुल्क अधिानयम, 1899 के अन्तर्गत मार्च 1988 में जारी अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ने सहकारी समिति अथवा अधिकारी या उसके सदस्य की ओर से निष्पादित विलेख जो समिति के कारोबार से सम्बन्धित हो, के लिए स्टाम्प शुल्क से छूट दी थी। राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया था (अगस्त 1993) कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सीमित हिमाचल प्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम 1968 की परिभाषा में आता था।

हिमाचल प्रदेश सहकारिता कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1979 की धारा 3 में प्रावधान है कि बैंक भूमि सुधार तथा उत्पादक लक्ष्यों, निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा कृषि उद्देश्य के लिए मकानों की मरम्मत हेतु, राज्य के किसी भी भाग में विद्यमान किसी नियम के अन्तर्गत किराएदारों द्वारा कृषि भूमि की खरीद अथवा अधिग्रहण हक और राज्य के किसी भी भाग में उस समय के लिए लागू किसी अधिनियम के अन्तर्गत ऋणों के परिसमापन हेतु ऋण स्वीकृत कर सकते थे। उक्त अधिनियम की धारा-53 के अन्तर्गत उस समय विद्यमान किसी भी नियम के अन्तर्गत कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के पक्ष में उसके अधिकारियों या सदस्यों द्वारा निष्पादित किसी भी सम्पत्ति के पंजीकरण के संबंध में फीस प्रभारित नहीं की जानी थी।

----

* चवाड़ी, धर्मशाला, कांगड़ा और पालमपुर

उप पंजीयक, सुन्दरनगर के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई 1996) कि वर्ष 1995 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सीमित, सुन्दरनगर से ट्रकों/मिनी ट्रकों/तिपहिया वाहनों की खरीद तथा ढाबा खोलने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु व्यक्तिगत नामों के आठ दस्तावेज निष्पादित किए गए जो उपरोक्त उद्देश्यों के अन्तर्गत नहीं आते। यद्यपि दस्तावेजों के माध्यम से वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु ऋणों को प्रत्याभूत किया गया था, लेकिन उप पंजीयक ने दस्तावेजों का पंजीकरण करते समय उन पर कोई स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण नहीं किया। परिणामतः 24,750 रु० के स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त् 29,400 रु० की पंजीकरण फीस भी उद्ग्राह्य थी।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित (जुलाई 1996) किए जाने पर विभाग ने बताया (दिसम्बर 1996) कि ऋणभोगियों को नोटिस भेजे जा चुके थे। आगामी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1997)।

ये मामले सरकार को अगस्त 1996 में सूचित किए थे। उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 1997)।

मालश्री प्रसाद
(मालश्री प्रसाद)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमलाः
दिनांकः 20 जनवरी 1998

प्रतिहस्ताक्षरित

विजय शुंगलू
(विजय कृष्ण शुंगलू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्लीः
दिनांकः 3 फरवरी 1998

परिशिष्ट

सन्दर्भ:	परिच्छेद 6.2.1 पृष्ठ: 73
'होटल'	भवन अथवा भवन का भाग जहां आवासीय स्थान आर्थिक प्रतिफल हेतु कारोबार के रुप में उपलब्ध करवाया गया हो तथा इसमें आवास गृह भी सम्मिलित है।
'होटल में उपलब्ध विलास'	होटल में उपलब्ध करवाया गया आवासीय स्थान, जिसकी प्रभार दरें (वातानुकूलन, दूरभाष, दूरदर्शन, रेडियो, संगीत या अतिरिक्त बिस्तर तथा ऐसे ही अन्य को सम्मिलित करके किन्तु खाद्य, पेय और अन्य सुख-सुविधाओं को छोड़कर) प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पचास रुपए जिसे अप्रैल 1991 से 'पच्चीस' शब्द के लिए प्रतिस्थापित किया गया।

राजकीय मुद्रणालय, हि॰ प्र॰ शिमला-5--3216/एन्जी॰/97--12·12·97--500 प्रतियां